PERFECT 7

FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

दिसंबर 2021 / Issue-2

कार्बन फुटप्रिंट

जलवायु आंदोलन : वक्त के साथ बदलता दृष्टिकोण

बदलते विश्व में शिक्षा पद्धति

भारत में ग्रीन बजट की धारणा

कृषि बिलों का समग्र अवलोकन

न्याय की मांग करता अनुसूचित जनजाति

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के आयाम

dhyeyaias.com

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

OFFLINE & ONLINE

COMPREHENSIVE ALL INDIA IAS PRELIMS TEST SERIES 2022

TOTAL TESTS - 27

STARTED ON
28th NOV
AND ONGOING

DHYEYA POWER

Period : Nov. 2021 to Feb. 2022

Autumn Phase
Total 13 Tests
(Sectional + Current Affairs)

- Focused development to ensure achievements.
- NCERT revision test.
- Theme based test.
- Segment wise test of GS.
- Test of Current Affairs and miscellaneous.

Period : March 2022 to May 2022

Knock out
Total 14 Tests
(3 Sectional + 6 GS Full Test + 4 CSAT+ 1 Full Current Affairs)

- Power packed Programme created for cracking UPSC/IAS Exam.
- Provide real feeling of UPSC/IAS Preliminary Exam.
- Full GS and CSAT tests.

Full Package (Autumn Phase +Knock Out)
Offline: Rs. 14,000/-
Online: Rs. 8,000/-

Autumn Phase
Offline: Rs. 8,000/-
Online: Rs. 5,000/-

Knock Out Phase
Offline: Rs. 8,000/-
Online: Rs. 5,000/-

DHYEYA ADVANTAGE
- 20% for non Dhyeya students who have cleared UPSC Prelims at least once.
- 20% for Dhyeya Students.
- 40% for Dhyeya Students who have cleared UPSC Prelims at least once.

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | **LAXMI NAGAR :** 9205212500, 9205962002 | **RAJENDRA NAGAR:** 9205274743 | **UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ:** 0532-2260189, 8853467068 | **LUCKNOW** (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | **LUCKNOW** (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | **GREATER NOIDA:** 9205336037, 38 | **KANPUR:** 7887003962, 7897003962 | **GORAKHPUR:** 7080847474, 9161947474 | **ODISHA BHUBANESWAR:** 9818244644/7656949029

Director's Message

Mr. Vinay Kumar Singh

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

Yours very truly,

Vinay Kumar Singh
CEO and Founder

Mr Q H Khan

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहां छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Yours very truly,

Q H Khan
Managing Director

ध्येय LAW®

An enterprise of Dhyeya IAS

Your journey of **Judicial Service** *begins here*

ADMISSIONS OPEN FOR NEW ONLINE & OFFLINE BATCHES

A Methodized Guidance for

UP PCS-J

Covers M.P. & Bihar

PCS-J

Indian Penal Code

By

Manish Sir

10th JAN 2022 | 5:30 PM

SCHOLARSHIP TEST

9th JAN 2022 | 12:00 NOON

100 MCQs

on

Constitution, Contract, Tort, IPC, CrPC, CPC & Evidence

Scholarship Test Programme

Fee Concession According to Merit

Rank 1 to 5 - 50% off

Rank 6 to10 - 30% off

*Registration Fees for Scholarship- Rs. 100

KEY FEATURES :

- Exam Focussed - Trend Analysis Based Preparation.
- Judicial Service Exam Based G.S. Classes.
- Experienced And Specialized Faculty.
- Concise And Customized Study Material.
- Personal Mentor For Each Student.
- Individual Performance Tracking Through Class Test

OTHER PROGRAMME :

- Modular Prelims - Mains - Interview (PMI) Programme.
- All India Prelims & Mains Test Series.
- Interview Guidance Programme.

A-12 SECTOR-J ALIGANJ, LUCKNOW | 7800001571, 7800001572

प्रस्तावना

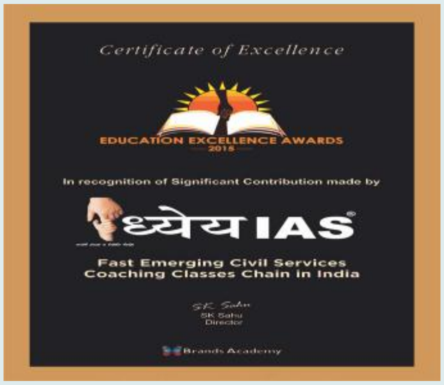

समसामयिक मुद्दे अथवा करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट 7 मैगजीन को विद्यार्थी जगत के समक्ष माह में दो बार रखा जा रहा है. आईएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के तथ्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाय. परफेक्ट 7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कंटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है. इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है. एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, पेपर 4 के लिए एथिक्स की केस स्टडीज को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्वों के जीवन और भूमिक. ाओं, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर एक माह के 14 सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें सर्वाधिक जोर पर्यावरण पारिस्थितिकी, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी , अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर है. शब्दावली और अन्य आयामों एक छोटा खंड भी परफेक्ट 7 मैगजीन का पार्ट होगा.

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ाने के लिए ब्रेन बूस्टर्स को 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैश्विक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहेगी. इस मैगजीन को केवल तथ्यों या केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नही बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का विजन यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें. हमें उम्मीद हैं कि परफेक्ट 7 अपने नए रूप में आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा और इसके साथ ही आप सभी के सुझावों का स्वागत रहेगा.

विनय कुमार सिंह
सम्पादक
ध्येय **IAS**

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7 TEAM

संपादक	• विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	• क्यू. एच. खान
सहसंपादक	• गौतम तिवारी
उप-संपादक	• आशुतोष मिश्र
	• सौरभ चक्रवर्ती
संपादकीय सहयोग	• मनीष सिंह
	• गौरव
	• शिवांगी वर्मा
मुख्य लेखक	• विवेक ओझा
मुख्य समीक्षक	• ए.के श्रीवास्तव
	• विनीत अनुराग
	• बाघेन्द्र सिंह
आवरण सज्जा एवं विकास	• प्रगति केसरवानी
	• पुनीष जैन
टंकण	• सचिन
	• तरून
कार्यालय सहायक	• राजू
	• चन्दन
	• अरुण

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.
AN ISO 9001:2008 COMPANY

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR	: 9205274741, 9205274742
RAJENDRA NAGAR	: 9205274743
LAXMI NAGAR	: 9205212500, 9205962002
ALLAHABAD	: 0532-2260189, 8853467068
LUCKNOW (ALIGANJ)	: 0522-4025825, 9506256789
LUCKNOW (GOMTINAGAR)	: 7234000501, 7234000502
GREATER NOIDA	: 9205336037, 9205336038
KANPUR	: 7887003962, 7897003962
BHUBANESWAR	: 8599071555
SRINAGAR (J&K)	: 9205962002

PERFECT 7
FORTNIGHTLY CURRENT AFFAIRS

विषय सूची

समसामयिक लेख ———————————— 1-13

- कार्बन फुटप्रिंट
- जलवायु आंदोलन: वक्त के साथ बदलता दृष्टिकोण
- बदलते विश्व में शिक्षा पद्धति
- भारत में ग्रीन बजट की धारणा को मजबूत और इकोलॉजिकल डेफिसिट को दूर करने की राह
- कृषि बिलों का समग्र अवलोकन : प्रारंभ से समापन तक
- न्याय की मांग करता अनुसूचित जनजाति
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के आयाम

संक्षिप्त मुद्दे राष्ट्रीय ---------------------------------- 14-16

संक्षिप्त मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय -------------------------------- 16-19

संक्षिप्त मुद्दे पर्यावरण -------------------------------- 20-21

संक्षिप्त मुद्दे विज्ञान एवं तकनीक -------------------------- 22

संक्षिप्त मुद्दे आर्थिक ----------------------------------22-23

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें --------- 24-27

ब्रेन बूस्टर --- 28-34

इतिहास तथा समसामयिक बहुविकल्पीय प्रश्न ----------------35-40

GS Paper IV के लिए हल केस स्टडी ---------------------- 41

व्यक्ति विशेष --------------------------------------- 42

राजव्यवस्था शब्दावली --------------------------------- 43

समसामयिक घटनाएं एक नजर में ---------------------------44

राज्यों के प्रमुख नृत्य ------------------------------------ 45

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

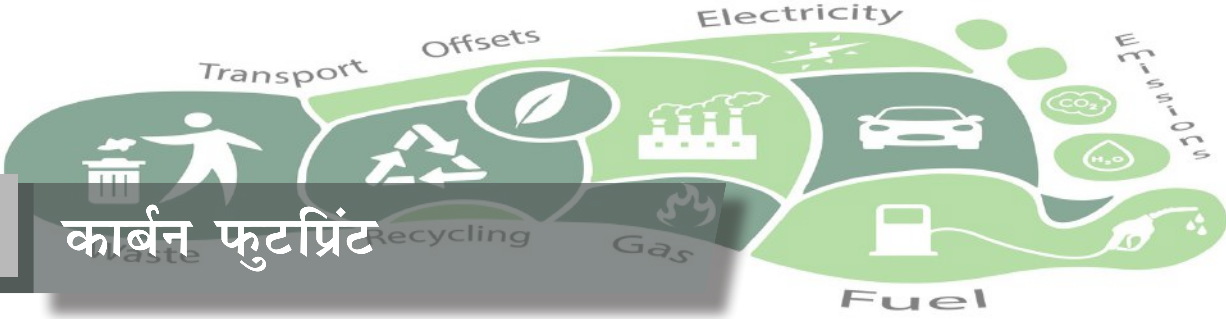

1 कार्बन फुटप्रिंट

- **क्या है लाइफ अस्सेस्मेंट विधि**
- **फ्यूल स्विचिंग**
- **जैवभार (बायोमास)**
- **ब्लैक कार्बन एरोसोल**
- **कार्बन पृथक्करण**

ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है. कार्बन फुटप्रिंट को ज्ञात करने के लिए विश्व भर में लाइफ साइकल असेसमेंट विधि का प्रयोग किया जाता है. सामान्यतया कार्बन फुटप्रिंट को CO_2 के ग्राम उत्सर्जन में मापा जाता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों का ग्लोबल वार्मिंग में योगदान लगभग CO_2 जितना ही होता है. (विश्व में सर्वाधिक ग्रीन हॉउस गैसों का उत्सर्जन चीन, अमेरिका द्वारा किया जाता है.)

वैश्विक स्तर पर कार्बन फुटप्रिंट को लेकर असमानता व्याप्त है. विकसित देशों के नागरिकों द्वारा उच्च गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली के कारण,ऊर्जा खपत अधिक होने से कार्बन फुटप्रिंट अधिक तथा निम्न व अल्पविकसित देशों में मूलभूत सुविधाओ की कमी के कारण कार्बन फुटप्रिंट का मान निम्न होता है. एक ही देश में अमीर-गरीब, नगर और ग्राम, लैंगिक, क्षेत्रीय आधार पर कार्बन फुटप्रिंट में असमानता देखने को मिलती है.

क्या है लाइफ अस्सेस्मेंट विधि:- (इस विधि में व्यक्ति या औद्योगिक इकाई द्वारा वातावरण में उत्सर्जित कुल CO_2 और ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को जोड़ा जाता है.)

फ्यूल स्विचिंग (Fuel switching)

अम्लीय गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए उच्च सल्फर मान वाले ईधन के स्थान पर निम्न सल्फर मान वाले ईधन का प्रयोग किया जाना फ्यूल स्विचिंग कहलाता है.

सामान्यता फ्यूल स्विचिंग के अंतर्गत उच्च सल्फर मान वाले कोयले के स्थान पर निम्न सल्फर मान वाले कोयले का प्रयोग किया जाता है. जबकि कोयले के स्थान पर प्राकृतिक गैस का प्रयोग करने से भी फ्यूल स्विचिंग की प्रक्रिया सम्पन्न हो सकती है.

भारत की स्थिति:- वैश्विक स्तर पर भारत सल्फर डाई आक्साइड के उत्सर्जन में अग्रणी देश है. सल्फर डाई आक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जो अम्लीय वर्षा और महासागर के अमलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

जैवभार (बायोमास):-

वनस्पतियों एवं जीव-जंतुओं के शरीर से पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थो को जैव भार कहते हैं. जैसे लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, गोबर के उपले ईधन का पारंपरिक स्रोत है. वर्तमान में जैव ईधन के अंतर्गत इथेनॉल, संपीड़ित जैव गैस, गोबर गैस और बायो डीजल को शामिल किया जाता है. जेट्रोफा, करंज, फाइटोप्लेंक्टन, गन्ना जैव ईधन वाली प्रमुख फसले हैं. यद्यपि कोयला एवं पेट्रोलियम भी पेड़-पौधों के परिवर्तित रूप हैं, किन्तु इन्हें जैव ऊर्जा के स्रोत की तरह नहीं माना जाता है क्योंकि ये प्रक्रिया हजारों वर्ष पहले हुई होगी.

जैव भार ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है. यद्यपि जीवाश्म ईधन की तुलना में जैव ऊर्जा में कम कैलोरी मान पाया जाता है परन्तु जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा के स्वच्छ एवं नवीकरणीय साधनो पर जोर दिया जा रहा है जिससे जैव ईधन का महत्व बढ़ रहा हैं.

भारत के प्रयास:- भारत ने अपने पेरिस जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु एन.डी.सी. में नवीकरणीय ऊर्जा 175 गीगावाट ऊर्जा लक्ष्यों में 10 गीगावाट ऊर्जा बायोमास से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही सरकार द्वारा बायोडीजल को बढ़ावा देने के लिए "प्रधानमंत्री जी-वन योजना", एथेनाल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, गोबर धन योजना 2018, और जैव ईधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 को लांच किया गया.

भारत के सामने समस्या:-

- तकनीकी
- वित्तीय
- संरचनात्मक

इन समस्याओं के कारण भारत बायोमास ऊर्जा की अपनी कुल संभावनाओं का दोहन नहीं कर पा रहा है.

ब्लैक कार्बन एरोसोल:

ब्लैक कार्बन एयरोसोल डीजल इंजन, कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों तथा जीवाश्म ईधन को जलाने वाले स्रोतों से उत्सर्जित होता है जिसमें पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.) का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. जीवाश्म ईधन के अपूर्ण दहन (कृषि अपशिष्ट, वनाग्नि और पुराने वाहनों) से ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन होता है.

(ब्लैक कार्बन, CO_2 के बाद ग्लोबल वार्मिंग में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है. अन्य ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत ब्लैक कार्बन एयरोसोल स्थानीय प्रभाव वाला प्रदूषक है जो मानवीय स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है. वायुमण्डल में अल्प स्थायित्व के बावजूद यह जलवायु, कृषि, मानव

स्वास्थ्य और हिमनदों पर व्यापक प्रभाव डालता है.)

कृषि अपशिष्ट एवं वनाग्नि दहन से उत्पन्न ब्लैक कार्बन एयरोसोल बर्फ की सतह पर परत बनाकर एल्बिडो प्रभाव को कम करता है जिससे सूर्य प्रकाश के अवशोषण की दर में वृद्धि होती हैं. जिससे स्थानीय तापमान में वृद्धि होती है और ग्लेशियर के पिघलने की दर तीव्र हो जाती है.

विश्व बैंक द्वारा किये गये अनुसन्धान के मुताबिक हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र में बर्फ पिघलने की औसत दर वैश्विक दर से अधिक तीव्र है. इसके पीछे ब्लैक कार्बन एयरोसोल भी एक प्रमुख कारक है.

कार्बन पृथक्करण:-

CO_2 को पृथ्वी के वायुमंडल से निकालकर ठोस या द्रव रूप में पौधों, मिट्टी, भूगर्भिक संरचनाओं और महासागरों में संग्रहीत करना कार्बन पृथक्करण कहलाता है.

वायुमंडल से CO_2 को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़-पौधों से अवशोषित कर मिट्टी और बायोमास (पेड़ की शाखाओं, पर्ण और जड़ों) में कार्बन के रूप में संग्रहीत किया जाना स्थलीय कार्बन प्रथक्करण कहलाता है. मैंग्रोव वनों, समुद्री घास के मैदानों और तटीय पारिस्थि. तिकी तंत्र में संग्रहीत कार्बन को "ग्रीन कार्बन' कहते हैं. कार्बन स्टॉक का 65% संग्रहण मश्दा और 35% संग्रहण वृक्षों में है. ऐसी स्थिति में जब वैश्विक तापन की दर और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है तो विश्व कार्बन पश्थक्करण के कृत्रिम तकनीकों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो रहा है. कृत्रिम कार्बन पृथक्करण विधियों में कार्बन उत्पादन स्रोत पर ही कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित (जैसे-फैक्ट्री की चिमनी) किया जाता है

भारत के प्रयास:- भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन) के अंतर्गत ग्रीन इण्डिया मिशन 2030 तक 10 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष लगाने की योजना का कार्यान्वयन चला रहा है. इस पूरी प्रक्रिया से 2.5 बिलियन टन का कार्बन सिंक निर्मित होगा.

कार्बन उत्सर्जित करने वाले 4 प्रमुख देश और समग्र उत्सर्जन में उनका हिस्सा:-

1 संयुक्त राज्य अमेरिका

2 चीन

3 यूरोपीय यूनियन

4 भारत

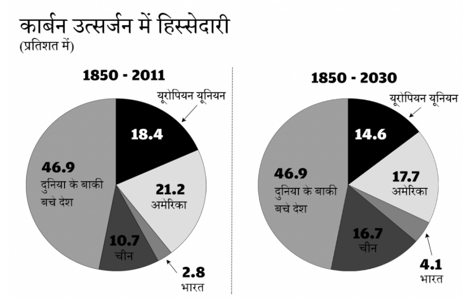

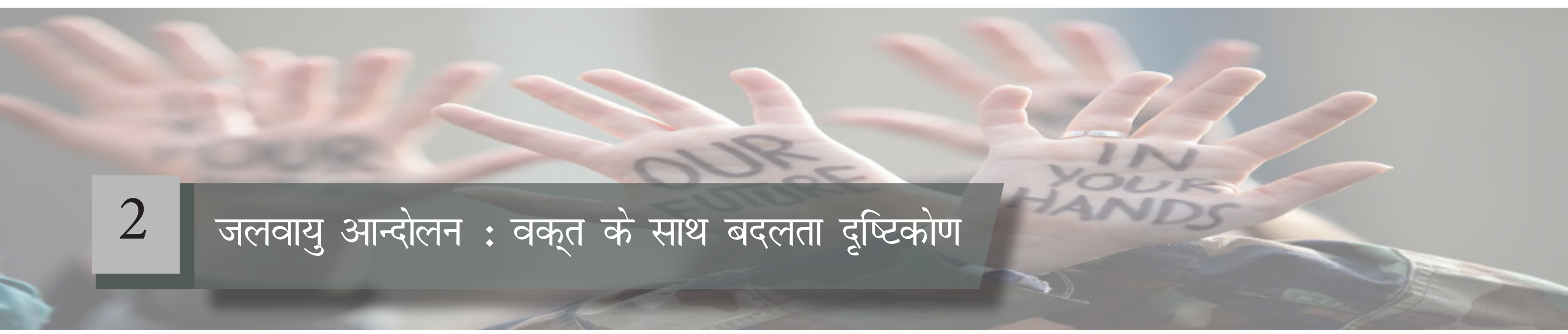

2 जलवायु आन्दोलन : वक्त के साथ बदलता दृष्टिकोण

- **पर्यावरण संरक्षण के लिए किये गए प्रयास**
- **पर्यावरण संबंधी तीन महत्वपूर्ण समझौते**
- **जलवायु आन्दोलन की सफलता**
- **जलवायु आन्दोलन की असफलता**
- **भारत के प्रमुख पर्यावरण संरक्षण संबंधी सफल आन्दोलन**
- **भारत के प्रमुख पर्यावरण संरक्षण संबंधी असफल आन्दोलन**

1972 के स्टॉकहोम कन्वेंशन के साथ वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण कि दिशा में प्रयास शुरू हुए. तीव्र औद्योगीकरण और नगरीकरण ने पर्यावरण के समक्ष गम्भीर चुनौती उत्पन्न कर दी थी. इसके कारण अनेक जीवों के प्राकृतिक आवास (वनक्षेत्र, आद्रभूमियाँ) नष्ट होने के कारण उन पर विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा था. वनों की अंधाधुंध कटाई के साथ ही घास के मैदानों को कृषि क्षेत्र में परिवर्तित किये जाने से जैव विविधता का ह्रास हुआ. जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा निम्नीकरण, अम्ल वर्षा जैसी चुनौतियाँ उत्पन्न होने लगी.

पर्यावरण संरक्षण के लिए किये गए प्रयास :-

पर्यावरण संरक्षण संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (यू.एन.ई.पी) की स्थापना के साथ ही 5 जून को अन्त. र्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया.

1987 में प्रकाशित ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 'हमारा साझा भविष्य' पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु साबित हुई.

वर्ष 1988 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू.एन.ई.पी) और विश्व मौसम संगठन द्वारा 'जलवायु परिवर्तन पर अंतर'सरकारी पैनल'(आ. ई.पी.सी.सी) का गठन किया गया जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आंकलन करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है. 1992 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के 20 वर्ष पूरे होने पर रियो में आयो. जित 'रियो अर्थ सम्मिट' पर्यावरण जागरूकता

के संदर्भ में सबसे प्रभावी वैश्विक पहल साबित हुई.

पर्यावरण संबंधी तीन महत्वपूर्ण समझौते पारित :

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.) संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (यू.एन.सी.बी.डी) संयुक्त राष्ट्र मरुस्थल. ीकरण रोकथाम सम्मलेन (यू.एन.सी.सी.डी) 197 देशों द्वारा इस समझौते को स्वीकृति प्रदान की गयी है. 1995 से प्रति वर्ष यू.एन.एफ.सी.सी की वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें पर्यावरण एवं जलवायु के मुद्दे पर व्यापक चर्चा और कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा होती है.

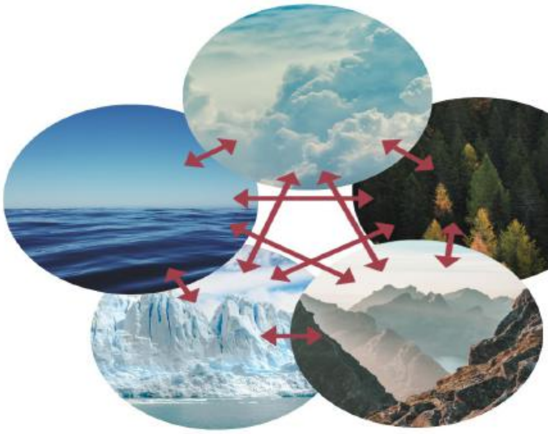

'क्योटो प्रोटोकॉल'–

1997 में आयोजित क्योटो (जापान) में कॉप-3 के अंतर्गत 'क्योटो प्रोटोकॉल' को अपनाया गया. जो ग्रीन हॉउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से संबंधित था. क्योटो प्रोटोकॉल में "कॉमन बट डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटी" के सिद्धांत को अपनाया गया. इस सिद्धांत के अनुसार जलवायु परिवत. ेन के लिए प्रमुख जिम्मेदार विकसित देश हैं जिन्होंने तीव्र औद्योगीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि की है जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन की चुनौती उत्पन्न हुई है. अत: ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की प्रमुख जिम्मेदारी इन्हीं देशों की है.

क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत देशों को तीन श्रेणियों–एनेक्स-1(विकसित अर्थव्यवस्थाएं-38 देश शामिल), एनेक्स-2 (संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थ. ाएं) और गैर एनेक्स (विकासशील और अविकसित देश) की श्रेणी में विभाजित किया गया. एनेक्स-1 देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया गया था 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ, जो 2012 में पूर्ण हुआ. दूसरे चरण का समापन 2020 में हुआ है. 2020 से पेरिस जलवायु समझौते का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है.

पेरिस जलवायु समझौते–

2015 में पेरिस में आयोजित कॉप-25 में बहुप्रतीक्षित 'पेरिस जलवायु समझौते' को अपनाया गया. इस समझौते का मुख्य उद्देश्य वैश्विक ता. पमान को इस सदी के अंत तक औद्योगिकीकरण के पूर्व के समय के तापमान के स्तर पर 2 डिग्रीसेंटीग्रेड से अधिक नहीं होने देना है. यह समझौता मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को सीमित करने पर आधारित है. पेरिस समझौते में प्रावधान है कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये गरीब देशों को जलवायु वित्तष प्रदान करके सहायता करनी चाहिये.

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एन.डी.सी.) की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया है और प्रत्येक राष्ट्र से यह अपेक्षा की गई है कि वह ऐच्छिक तौर पर अपने लिये उत्सर्जन के लक्ष्यों का निर्धारण करे.

2020 तक आते आते चरम जलवायवीय घटनाओं जैसे– पश्चिमी यूरोपीय देशों में हीट स्टोक, वना. ग्नि की घटनाओं में वृद्धि, वर्षा की तीव्रता एवं वितरण में असमानता,ग्लेशियरों का तीव्र दर से पिघलना और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता और बारम्बारता में वृद्धि ने पर्यावरणविदों के साथ ही नागरिक समाज का ध्यान 'जलवायु परिवर्तन' की ओर आकृष्ट किया.

जलवायु आन्दोलन की सफलता

वर्ष 1985 में ओजोन परत संरक्षण को लेकर 'वियना कनवेंशन' हुई. इसके बाद 1987 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु मांट्रियल प्रोटोकॉल को अपना गया. जो विश्व का सबसे सफल प्रोटो. कॉल बना. इस समझौते के तहत क्लोरो-फ्लोरो कार्बन तथा हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन के उत्स. र्जन को कम करने के लिए सीमा का निर्धारण किया गया वर्ष 2016 में मांट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करते हुए किन्गाली समझौते को अपनाया गया जिसमें हाइड्रो फ्लोरो कार्बन में चरणबद्ध कटौती करने का लक्ष्य रखा गया.

इन प्रयासों के परिणाम स्वरुप ओजोन छिद्र में संकुचन देखने को मिला है. जो ओजोन संरक्षण संबंधी प्रोटोकॉल की सफलता की ओर इशारा करता है. इस सफलता ने विश्व समुदाय में पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक जागरूकता पैदा की.

जलवायु आन्दोलन की असफलता–

आई.पी.सी.सी. की रिपोर्ट के मुताबिक पेरिस समझौते में तय लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल है. अनुमान के मुताबिक जिस दर से कार्बन उत्स. र्जन किया जा रहा है उसको देखते हुए तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 3-4 डिग्री सेंटीग्रेट तक हो सकती है.

जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती है वैश्विक सहमति का न बन पाना है. क्योटो प्रोटोकॉल का अमेरिका ने क्रियांवयन नहीं किया और पेरिस समझौते से भी अमेरिका बाहर निकल गया. विकसित देश विक. ासशील देशों पर दबाव बनाते हैं कि वो जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्ययोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जबकि विकासशील देश विकसित देशों से प्रौद्योगिकी, वित्त और विशेषज्ञता को साझा करने की अपेक्षा करते हैं.

भारत के प्रमुख पर्यावरण संरक्षण संबंधी सफल आन्दोलन–

भारत में प्राचीन काल यानि सिन्धु घाटी सभ्यता के समय से ही पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है. वस्तुत: भारत में पर्यावरण को धर्म से जोड़ देने के कारण यहां के लोग पर्यावरण के ज्यादा नज. दीक हैं. उदाहरण के लिए राजस्थान के विश्नोई समाज में काले हिरण का विशेष महत्व है.

कुछ सफल पर्यावरण संरक्षी आंदोलन निम्न. लिखित हैं –

चिपको आंदोलन

एपिक्को आंदोलन

प्रोजेक्ट टाइगर

गैर लाभकारी संस्थाओं और नागरिक समाज की भूमिका एन.जी.ओ और नागरिक समाज द्वारा आम नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण हेतु बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व प्रदान करना चाहिए. ऐसा देखा गया है कि जिन आंदोलनों में (जैसे-चिपको आन्दोलन) नागरिक समाज और एन.जी.ओ.आते हैं उनमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ जाती है. ऐसा इसलिए हो पता है क्यूंकि स्थानीय संस्कृ. ति से गहरे स्तर पर संबद्ध होने के कारण वो भावनात्मक ढंग से जनता को विषय से जोड़ लेते हैं.

भारत के प्रमुख पर्यावरण संरक्षण संबंधी असफल आन्दोलन–

भारत में कुछ आन्दोलन पर्यावरण एक्टिविस्टों द्वारा संचालित किये गये पर इनमें जनसहभागिता की कमी थी. ये आन्दोलन लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके. जैसे नर्मदा आन्दोलन.

आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के मध्य उचित संतुलन की आवश्यकता है. कई बार स्थानीय समुदाय द्वारा विकासात्मक परियोजनाओं (जैसे पन बिजली संयंत्र) का विरोध देखने को मिलता है. क्योंकि आर्थिक विकास का लाभ अन्यत्र लोगों को अधिक मिलता है जबकि पर्यावरण निम्नीकरण की समस्या और परियोजनाओं के द्वारा विस्थापन स्थानीय समुदाय को झेलना पड़ता है. जिसके कारण परियोजनाओं का विरोध प्रारंभ होता हैं.

आगे की राह:- गहन पारिस्थितिकी (डीप इकोलॉजी) के जनक आर्ने नेस ने अपनी पुस्तक 'गांधी इन एटॉमिक एरा' में वर्तमान पर्यावरण संकट के लिए भौतिकवादी पश्चिमी दार्शनिकों (जैसे-न्यूटन) की चिन्तन परम्परा में व्याप्त खामी को रेखांकित किया. इन दार्शनिकों ने उपभोगतावाद केन्द्रित तीव्र आर्थिक विकास को अतिशय महत्व दिया जिसमें वर्तमान पर्यावरण संकट ने जन्म लिया.

गांधी जी के नव्यवेदांत दर्शन जो ईशावास्यमिदं सर्वम के सिद्धांत पर आधारित है. यानी प्रकृति के कण कण में ईश्वर का वास है. यह सिद्धांत प्रकृति और मनुष्य में एक संतुलित संबंध स्थापित करने में मदद कर सकता है. साथ ही यह सिद्धांत आत्मसंयम और अनुशासन द्वारा प्राकृतिक संसाध नों के दोहन की बात करता है. धारणीय विकास की अवधारणा 'नव्य वेदांत दर्शन' पर आधारित है. विकसित देशों को मानवीय और नैतिक आधार पर पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए विकासशील और अल्पविकसित देशों को प्रौद्यो. गिकी, वित्त सहायता प्रदान करनी चाहिए. जिससे यह देश अपना आर्थिक विकास कर अपने यहाँ गरीबी की चुनौती से निजात पा सके, साथ ही पर्यावरण को भी कम नुकसान हो.

3 बदलते विश्व में शिक्षा पद्धति

- चर्चा में क्यों
- पृष्ठभूमि
- शिक्षक की भूमिका
- शिक्षकों की प्रासंगिकता
- नई पीढ़ी के निर्माण में शिक्षक की भूमिका
- आगे की राह

चर्चा में क्यों?

कोविड-19 में लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से स्कूल बंद है. करोड़ो बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित है. बदलते वक्त की समस्याओं को संबोधित करने वाली समावेशी शिक्षा पद्धति (मॉडल) पर चिंतन मनन किया जा रहा है.

पृष्ठभूमि:

शिक्षा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है. आधुनिक दौर में समाज में तीव्र सामा. जिक-सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे है. ऐसे में शिक्षा पद्धति के समक्ष इन तीन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की चुनौती हैं. कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से शिक्षण संस्थान लम्बे समय से बंद है या ऑनलाइन मोड पर संच. ालित है. यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 95 करोड़ बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ा है. जो समानता के अवसर एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास में बाधा उत्पन्न करेगा.

इसी पृष्ठभूमि में भारत ने अपनी नई शिक्षा नीति लागू की है जो शिक्षा तक सबकी आसान पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तम्भों पर आधारित है.

शिक्षक की भूमिका:

छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है. शिक्षक छात्रों के लिये रोल मॉडल होते है, उनके व्यक्तित्व की तथा आचरण की गहरी छाप छात्रों के व्यक्तित्व पर पड़ती हैं.

प्राचीन काल में शिक्षकों/आचार्यों ने अपने मौलिक

सिद्धांत प्रतिपादित किये (ज्ञान की व्यवहारिक परंपरा का विकास हुआ) जैसे- मक्खली घोषाल ने आजीविक संप्रदाय, चार्वाक ने भौतिकवादी दर्शन, बुद्ध-महावीर ने करूणा को केंद्र में रख मानवतावादी दर्शन प्रतिपादित किया. शिक्षकों के प्रभाव से छात्रों ने दूर-दूर तक उनकी शिक्षाओं/ सिद्धांतों का प्रचार किया. इसी प्रक्रिया में बौद्ध धर्म कई देशों तक फैल गया.

मध्यकाल में गुरूकुल व्यवस्था के स्थान पर विद्यालय परम्परा विकसित हुई. शिक्षक समाज में रहकर सामाजिक परिस्थितियों का आंकलन कर उपदेशों के माध्यम से जन-जन तक शिक्षा का प्रसार करते थे. अपनी रचनाओं द्वारा अपने मौलिक चिंतन को जन-जन तक पहुंचाया. आदि शंक. राचार्य, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास जैसे संतों (शिक्षकों) ने साहित्य द्वारा अशिक्षित अनपढ़जनता को ज्ञान से जोड़ा तो भक्तिकाल के कवियों (शिक्षकों) ने विषमपरिस्थितियों में समाज में आशावाद एवं नैतिक वातावरण निर्मित किया. तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' की रचना कर आदर्श राजा का चित्र जनमानस के पटल पर खींचा. आधुनिक काल में पश्चिमी देशों के प्रभाव में आधुनिक शिक्षा पद्धति का विकास हुआ जिसके केंद्र में भौतिकवाद है. शिक्षा एक व्यावसा. यिक उपक्रम बन गया. न्यूटन, आइंस्टीन, फैराडे जैसे वैज्ञानिकों ने जो खोज / अनुसंधान किये उन्हें जन सामान्य तक शिक्षा पद्धति द्वारा पहुंचाया गया. इस प्रकार शिक्षक समाज की आवश्यकताओं को समझकर न सिर्फ उन्हें पूरा करते हैं बल्कि समाज की आवश्यकताओं को प्रभावित भी करते हैं.

शिक्षकों की प्रासंगिकता:

वर्तमान की आवश्यकताओं को पहचान कर, भविष्य की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु अतीत से सीख लेकर कार्ययोजना तैयार करना शिक्षक का कर्तव्य होता है. महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मण धर्म में सुधार करने हेतु, भविष्य में विभिन्न संप्रदायों के मध्य एकता बन्धुत्व सह अस्तित्व के विकास की चुनौती के समाधान हेतु मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया. कुछ ने स्वयं आध्यात्म और भौतिकता में संतुलन साधा. उनके आचरण का प्रभाव था कि बौद्ध धर्म कम समय में ही विश्व के कई देशों में पहुंच गया.

मध्यकाल में गुरू नानक ने समतावादी (धार्मिक-जातिगत-लैंगिक समानता) सामाजिक सदभाव और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना हेतु सिख धर्म की

शुरूआत की. लंगर-पंगत और संगत के माध्यम से इन शिक्षाओं का जन-जन तक विस्तार किया.

लंगर- सामूहिक खाना बनाना (स्त्री पुरूष समानता) और भोजन वितरित करना.

पंगत- उच्च एवं निम्न जाति के भेद के बिना भोजन करना.

संगत- सामूहिक निर्णय लेना.

सामाजिक सदभाव (जो मुस्लिम शासक बहु. संख्यक हिंदू जनसंख्या जैसी परिस्थितियों के अनुकूल था)हेतु निर्गुणब्रह्म की संकल्पना को स्वीकार किया गया जिसके अनुसार- 'पूरी दुनिया ईश्वर की रचना है और सभी समान है, केवल एक सार्वभौमिक रचनाकार है अर्थात एक ओंकार सतनाम.'

आधुनिक काल में महर्षि अरबिंदो ने औपनिवेशिक काल में राष्ट्र की आवश्यकतानुसार 1906 में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार हेतु बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की. उन्होंने स्पष्ट कहा राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है. 'द सिंथेसिस ऑफ योगा' और 'द लाइफ डिवाइन' नामक पुस्तकों की रचना कर एकीकृत योग प्रणाली को प्रोत्साहन दिया. औपनिवेशिक काल में औद्योगीकरण से उपजे जलवायु संकट को नैतिक समस्या मानते हुये गांधी जी ने समाधान हेतु नव्य वेदांत दर्शन (ईशावास्यमिदे सर्वं) को अपनाया 'जो प्रकृति के कण-कण में ईश्वर का वास है' के सिद्धांत पर आधारित है.

इस प्रकार शिक्षक की प्रासंगिकता देशकाल परि. स्थितियों के साथ नये आकार में प्रकट होती हैं.

नई पीढ़ी के निर्माण में शिक्षक की भूमिका:

सामाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार के बाद दूसरी महत्त्वपूर्ण संस्था विद्यालय है जहाँ छात्र शिक्ष. कों के संपर्क में आकर उनके व्यक्तित्व और विचारधारा से प्रभावित होते हैं. अब्दुल कलाम इसीलिये माता-पिता और शिक्षक की आधुनिक राष्ट्र निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार्य करते थे.

विभिन्न स्कूल ऑफ थॉट्स से जुड़े शिक्षक छात्रों को अपने विचार से जोड़ते है. शिक्षक की नेतृत्व क्षमता, शैली, विचारधारा, सामाजिक राजनीतिक अभिवृत्ति छात्रों के व्यक्तित्व में गहरे स्तर पर अंतरनिहित हो जाती है जहाँ व्यक्तित्व परिवर्तन की संभावना कम रहती है.

छात्रों में अनुशासन, मौलिक कर्तव्य, आत्म अभिप्रेरण जैसे मूल्यों के विकास के लिये शिक्षक पृष्ठभूमि निर्मित करते हैं. वैज्ञानिक चिंतन (तर्क-मानवतावाद), सामाजिक सद्भावना, रचन. ात्मकता और सृजनात्मकता के मूल्यों को प्रोत्साहन देने में शिक्षक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है.

आगे की राह:

1. सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)-4 के तहत समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सु. निश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर प्रदान करना शामिल हैं. ऐसे में कोविड की चुनौतियों के मद्देनजर शिक्षण संस्थानों को शिक्षण माध्यम के नये विकल्पों पर विचार करना चाहिये. प्रौद्योगिकी का कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जाये जैसे- डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसी तकनीकों का प्रयोग.

2. शिक्षा की वहनीयता को संबोधित करते हुये सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन दिया जाये। सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के तहत शिक्षा में निवेश किया जाये ताकि कमजोर/ वंचित वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हो सके.

3. 'क्यू आर वर्ल्ड रैंकिंग 2021' में विश्व के टॉप 500 में भारत के सिर्फ आठ शिक्षण संस्थानों को जगह मिली है। शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय नहीं है। ऐसे में भारत को प्राथ. मिक शिक्षा के साथ ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिये. शिक्षा न सिर्फ भारतीय मूल्य पद्धति पर आधारित हो बल्कि वैश्विक मापदण्डों के अनुरूप भी हो.

4 भारत में ग्रीन बजट की धारणा को मजबूत और इकोलॉजिकल डेफिसिट को दूर करने की राह

- चर्चा में क्यों
- पृष्ठभूमि
- अभी के प्रावधान और समस्या
- 2019-20 का बजट क्यों था ग्रीन बजट
- भारत और पर्यावरणीय चुनौतियां
- हरी भरी भारत की धरती की अपेक्षाएं
- ग्रीन बजट-इकोनॉमी की जरूरत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक ने हरित बजट , हरित निवेश को बढ़ावा देने और पारि. स्थितिकी घाटे को भरने पर एक ग्रीन विजन पेश किया है जो अन्य भारतीय राज्यों और केंद्र सरकार का भी इस दिशा में उत्साहवर्धन कर सकती है. हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने अपने वन और पर्यावरण विभाग को आदेश दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों की क्षति और कुल पारिस्थितिकी घाटे का वार्षिक आंकलन किया जाए. बोम्मई ने साफ तौर पर कहा है कि पहली बार अगले साल से वो इकोलॉजिकल डेफिसिट को भरने के

प्रावधानों की शुरुआत करेंगे. कर्नाटक की इस हरित इच्छाशक्ति से एक सवाल मन में जाहिर तौर पर उठ खड़ा होता है कि क्या अन्य भारतीय राज्य भी ग्रीन बजट की दिशा में कुछ ठोस कार्य करने की मंशा रखते हैं ? क्या केंद्र सरकार ने देश के पर्यावरण और पारितंत्र को बचाने के लिए हरित निवेश या हरित बजट की कोई योजना बनाई है.

पृष्ठभूमिः

विकास शब्द तब तक बहुआयामी और सार्थक नहीं बनता जब तक कि उसके साथ समावेशी और सतत या धारणीय विकास शब्द नहीं जुड़ जाता है. विकास समावेशी हो , धारणीय हो , इसके लिए जरूरी है हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में काम किया जाये. जिसे हम अल्प कार्बन अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ना भी कह सकते हैं. प्राकृतिक संसाधनों की पूंजी का क्षरण न हो इसके लिए विभिन्न देशों की सरकारों को पर्यावरणीय निवेश या ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना जरूरी है और यहीं जरुरत समझ आती है ग्रीन बजट के प्रावधान की. पर्यावरण के विविध क्षेत्रों जैसे प्रदूषण नियंत्रण वन आवरण और वृक्ष आवरण बढ़ाने , वनों की आग पर नियंत्रण करने , प्लास्टिक प्रदूष्ण रोकने जैवविविधता को बीमारियों से सुरक्षित रखने जैसे कई क्षेत्रों में जब तक पर्याप्त निवेश सुनिश्चित नही होता , तब तक पर्यावरण को समुचित सं. रक्षण दे पाना मुश्किल है. इसलिए भारत जैसे विशालकाय देश में केंद्र सरकार और राज्य सर. कारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मूल बजट में ग्रीन बजट की समुचित व्यवस्था करें , या फिर अलग से ही ग्रीन बजट पेश करने की परिपाटी शुरू करें.

अभी के प्रावधान और समस्याः

केंद्र सरकार का कहना है कि वो पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और उसने ग्रीन बजट का भी आवंटन कर रखा है. लेकिन पर्यावरणविदों में इस बात को लेकर` असंतुष्टि है कि 2020-21 में देश के पर्यावरण और वन मंत्रालय को आवंटित किया गया कुल 3100 करोड़ की राशि पर्याप्त नही है, यह आवंटन और अधिक होना चाहिए था. प्रदूषण नियंत्रण के लिए इसमें से मात्र 460 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो पिछले वित्त वर्ष के लिए भी इतना ही था. इसमें कोई परिवर्तन नही किया गया है. वहीं क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के लिए केवल 40 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इन सब आंकड़ों , तथ्यों के साथ हाल के समय में भारत सरकार के ग्रीन बजट के प्रति प्रतिबद्धता की समीक्षा की गई है.

बजट प्रस्ताव 2021-2022 पेश करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारत सरकार उन राज्यों को प्रोत्साहित करेगी, जो एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस प्रोत्साहन के मानदण्ड के बारे में अधिसूचित किया जाएगा और 2020-21 के लिए इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु 4400 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की बात बजट में की गई है. लेकिन समग्रता में बात करें तो पर्यावरण मंत्रालय को 2021-22 में बजटीय आवंटन में 230 करोड़ रुपये की कटौती पर पर्यावरणविदों ने असंतुष्टि व्यक्त की है. पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हरित पहल को झटका लग सकता है या इसकी रफ्तार थमने का अंदेशा है. वहीं राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और विज्ञान एवं प्रौद्योगि. की संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय के 2021- 22 के बजट में 35 फीसदी की कटौती की गई. इसके साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बजटीय आवंटन में 770 करोड़ रुपये या 37 फीसदी की कमी दर्ज की गई है.

इससे पूर्व वर्ष 2019-2020 के बजट को भारतीय प्रधानमंत्री ने ग्रीन बजट कहा था. इस ग्रीन बजट से जो सबसे बड़ा अर्थ निकला वह यह है कि पर्यावरण , जैव विविधता और जलवायु प. रवर्तन के क्षेत्रों में केवल बजट का आवंटन बढ़ाने भर से सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता बल्कि इको फ्रेंडली तकनीकों का समुचित विकास और उनका क्रियान्वयन ज्यादा जरूरी है. न्यू इंडिया के इस ग्रीन बजट का मूल मंत्र था हरी-भरी धरती और नीले आकाश के साथ प्रदूषण मुक्त भारत का निर्माण. एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के लिए देश में हरित आचरण और साथ ही हरित निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत पड़ेगी.

2019-20 का बजट क्यों था ग्रीन बजट-

सरकार ने अल्प कार्बन अथवा हरित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हरित

परिवहन को बढ़ावा देने की बात थी. फेम स्कीम के दूसरे चरण में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए **1** अप्रैल **, 2019** को भारत सरकार द्वारा **10** हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग ने **2023** तक **150** सीसी वाले सभी दुपहिया वा. हनों और **2025** तक सभी तिपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में बदलने का प्रस्ताव किया उसे मूर्तरूप देने के लिए बजट में वित्त मंत्री द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को **12** प्रतिशत से घटा कर **5** प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया था. उपभोक्ताओं के लिए ये वाहन वहनीय दर पर उपलब्ध हों इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए ऋणों पर चुकाए जाने वाले ब्याज में भारत सरकार **1.5** लाख रुपए की अतिरिक्त आयकर कटौती का प्रावधान किया गया. इस कदम से वाहन उत्सर्जन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों से बचने में मदद मिलेगी.

भारत सरकार का मत है कि बजट में पेट्रोल और डीजल की ड्यूटी में वृद्धि पर्यावरण के सरोकारों को ध्यान में रखकर किया गया है. जीवाश्म ईंधन पर टैक्स के जरिए वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी. न्यू इंडिया के इस बजट में प्रदूषण नियंत्रण स्कीमों जिसमें नेशनल क्लीन एयरप्रोग्राम भी शामिल है, 460 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है. चूंकि वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा प्रदूषण संबंधित मामलों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की समितियों को रेफर करने में इजाफा हुआ है, ऐसे में सीपीसीबी का बजट 100 करोड़ रखा गया है. इस मामले पर सरकार को थोड़ा और प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत थी. हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट में बताया गया है कि वायु प्रदूषण से उत्पन्न बीमारियों के चलते भारत में जीवन प्रत्याशा में 2.6 वर्ष की कमी आयी है. आउटडोर पर्टिकुलेट मैटर के चलते 1.6 माह और हाउसहोल्ड वायु प्रदूषण के चलते एक वर्ष दो माह की कमी जीवन प्रत्याशा में देखी गई है. इस 2019-20 के हरित बजट में जल प्रबंधन और नदियों कि स्वच्छता का इंतजाम करते हुए एक नए जल शक्ति मंत्रालय को शुरू करने की बात की गई थी. ताकि जल संसाधनों और जल की आपूर्ति को एकीकृत और समग्र तरीके से दिशा दी जा सके. इसके अलावा 2024 तक हर घर जल केमंत्र के साथ सभी ग्रामीण घरों में पाइप के जरिए जल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन शुरू

करने का निर्णय लिया गया है. स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन को मांग और आपूर्ति के स्तर पर बेहतर करने की मंशा बनाई गई है. भूमिगत जल की कमी और असंतुलन को झेलने वाले भारतीय जिलों में जल शक्ति अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है. बजट 2019 में पर्यावरण संरक्षण को स्वच्छ भारत अभियान और खुले में शौच मुक्त भारत से जोड़कर देखा गया है. भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन का दायरा बढ़ाते हुए उसमें प्रत्येक गांव में धारणीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को शामिल करने की योजना बना रही है. ऊर्जा संरक्षण और सतत विकास पर बल देते हुए बजट 2019-20 में बताया गया है कि अब तक उजाला योजना के तहत 35 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं जिससे वार्षिक स्तर पर 18,341 करोड़ रूपए की लागत बचत संभव हुई है. तटीय प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 95 करोड़, जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के लिए 40 करोड़ और जोखिमकारी तत्वों के प्रबंधन के लिए 15 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की गई है.

भारत और पर्यावरणीय चुनौतियां:

भारत के पर्यावरणीय नीतियों में कई प्रकार की विसंगतियां नजर आती हैं. भारत में पैंगोलिन, स्टार कछुओं, हॉर्स सू क्रैब, लेपोर्ड जैसे कई जीव जंतुओं की अवैध तस्करी हो रही है. विदेशी खतरनाक पादप भारत के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, विदेशी कोरल अंडमान निकोबार और लक्ष्यद्वीप की सागरीय जैव विविधता को क्षति पहुंचा रहे हैं. मुंबई और चेन्नई और केरल की बाढ़ आर्द्रभूमियों, मैंग्रोव वनों और प्रवाल भित्तियों का क्षरण, वनों की आग से अपार क्षति, सूखा और बढ़ता मरूस्थलीकरण, मानव पशु संघर्ष जैसी स्थितियों से निपटने के लिए भारत को कारगर उपाय करना होगा. अक्सर कई नेशनल पार्क और वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के क्षेत्रों को विकास परियोजनाओं की बलि चढते देखा गया है, कान्हा नेशनल पार्क की बात हो, मुंबई के फ्लेमिंगो सेंक्चुअरी वाले क्षेत्र की बात हो या फिर भारत के पहले न्यूट्रिनों ऑब्जर्वेटरी को बनाने की बात हो, विकास के नाम पर समझौता करते हुए देखा गया है.

हरी भरी भारत की धरती की अपेक्षाएं :

भारत सरकार को आज प्लास्टिक, सॉलिड, बायोमेडिकल अपशिष्ट पदार्थ से बचने में अधिक निवेश करने की जरूरत है.प्लाज्मा गैसिफिकेशन या पायरलोसिस टेक्नोलॉजी के जरिए प्लास्टिक वेस्ट का प्रभावी निपटान किया जा सकता है. जीव जंतुओं की अवैध तस्करी को रोकने के प्रभावी उपाय करने होंगे. अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के दिन 22 मई को भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने भारत के सभी प्रमुख एयरपोर्ट पर उच्च संकटापन्न जीव जंतुओं की तस्वीरों को लगाने का निर्देश जारी किया है, इसमें पैंगोलीन स्टार कछुए, बाघ और तेंदुए शामिल हैं. भारत सरकार को अपने स्पिसीज रिकवरी प्रोग्राम के तहत जीव जंतुओं की सुरक्षा, कैप्टिव ब्रीडिंग के जरिए सुरक्षा और इनके ट्रांसलोकेशन के लिए अधिक हरित निवेश की जरूरत है. भारत सरकार को तत्काल वेटलैंड्स, कोरल रीफ और मैंग्रोव के पुनर्जीवन के लिए अधिक बजट आवंटन कर जैव विविधता संरक्षण को एक आंदोलन का स्वरूप देना होगा. सभी राष्ट्रीय सरकारों को याद रखना पड़ेगा कि पृथ्वी के अस्तित्व में बने रहने पर ही ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना संभव हो पाएगा हिन्द महासागर, प्रशांत महासागर ग्लोबल वार्मिंग मुक्त होंगे तभी अबाधित रूप से ब्लू इकोनॉमी का विकास हो पाएगा.

ग्रीन बजट, इकोनॉमी की जरूरत क्यूं :

क्लब ऑफ रोम ने जिसने लिमिट्स टू ग्रोथ की रिपोर्ट बनाई, वह आज प्रासंगिक हो गई है. धारणीय विकास के लिए आज पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना जरूरी है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट वर्किंग ऑन ए वॉर्मर प्लेनेट: दि इंपैक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डिसेंट वर्क" में बताया है कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के चलते 2030 तक भारत का श्रम बल काम करने के घंटों का 5.8 प्रतिशत खो देगा जो कि 34 मिलियन पूर्णकालिक रोजगार की उत्पादकीय क्षति के बराबर होगा.

5 कृषि बिलो का समग्र अवलोकन : प्रारंभ से समापन तक

- सन्दर्भ
- परिचय
- विधि के पारित होने के समय की परिस्थितियां
- कृषि अधिनियमों के विरोध का कारण
- विरोध का आरम्भ
- कानूनों की वर्तमान स्थिति
- विपक्ष
- निष्कर्ष

सन्दर्भ:

हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनो विवादा. स्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की है. इस कृषि बिल के विरोध में किसानों (मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों)ने लग. भग ने एक वर्ष से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर धरना दिया था.

परिचय:

पिछले वर्ष कृषि सुधार के उद्देश्य से सरकार द्वारा तीन कृषि विधयेक पारित किये गए थे जिन कृषि विधयेको के अधिनियमन पर किसानो को आपत्ति थी. कुछ समय उपरांत इन कृषि विधेयकों की वापसी की मांग करते हुए किसानो ने राजधानी दिल्ली का घेराव किया. किसान प्रतिनिधियों तथा सरकार के मध्य लम्बी वार्ताओं के उपरान्त भी गतिरोध कम नहीं हुआ.अंततः भारत सरकार ने इन तीनो कृषि अधिनियमों को वापस लेने का निर्णय लिया.

तीनो कानून निम्नवत हैं -

- किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, जिसका उद्देश्य मौजूदा एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समिति) मंडियों के बाहर कृषि उपज में व्यापार की अनुमति देना है.
- मूल्य आश्वासन पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता और कृषि सेवा अधि नियम, 2020 जो अनुबंध खेती के लिए एक ढांचा प्रदान करना चाहता है.
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020, जिसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाना था.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई के दौरान अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए आत्मानिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इन तीनो विधेयकों को प्रस्तावित किया था. 3 जून, 2020 को मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन कानूनों को अध्यादेश के रूप में आख्यापित किया इसके दो दिन के उपरान्त राष्ट्रपति ने अध्यादेशों को प्रख्यापित किया.संसद ने मानसून सत्र के दौरान इन कृषि बिलो को अधि नियमित कर दिया.

विधि के पारित होने के समय की परिस्थितियां

- जिस समय सरकार ने इन कृषि सुधारों की घोषणा की तथा जून 2020 में अध्यादेशों के रूप में इन्हे अधिनियमित किया , उस समय देश कोरोना महामारी की पहली लहर से जूझ रहा था परन्तु सरकार का सांकेतिक विरोध आरम्भ हो गया
- जब सरकार सितंबर 2020 में इन कानूनों को विधेयक के रूप में प्रस्तावित किया तो सरकार को संसद में भी गतिरोध का सामना करना पड़ा .विपक्षी दलों ने एक संसदीय पैनल द्वारा विधेयकों की गहन परीक्षण की मांग की.सरकार ने इन मांगों को खारिज कर दिया तथा कानून को अधिनियमित कर दिया.
- अकाली दल (सरकार में भागीदार एक दल) ने इस मुद्दे पर सरकार का साथ छोड़ दिया. कानून को जल्दबाजी में पारित किए जाने का विरोध करते हुए विपक्षी दलों के राज्यसभा सांसदों को उनके "अव्यवस्थित आचरण" के लिए एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया.
- सत्र के दौरान सरकार द्वारा प्रश्नकाल समाप्त किये जाने से भी लोगों के मन में यह भ्रान्ति उत्पन्न हो गई कि सरकार अधिनायकतंत्र में परिवर्तित हो जा रही है.

कृषि अधिनियमों के विरोध का कारण :

- इन अधिनियमो के विरोध का सबसे प्रबल कारण किसानो की न्यूनतम समर्थन मूल्य की समाप्ति के प्रति आशंका थी. किसानो को यह भ्रान्ति हुई की इन सुधारो के उपरान्त (आवश्यक वस्तु अधिनियम में हुए संसोधन) सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को अप्रासंगिक बता कर इसे निरसित कर देगी.
- इन अधिनियमों का विरोध छोटे किसानो द्वारा भी किया गया. उन्हें यह आशंका थी कि इन अधिनियमों के लागू होने के उपरान्त जमाखो. री (वस्तु की स्टाकिंग) में वृद्धि होगी. कृषि में निरंतर घटते लाभ, एमएसपी की वापसी की भ्रान्ति, तथा कालाबाजारी के साथ मिडिल मेन किसानो से सस्ते मूल्य पर उपज खरीदेंगे तथा जमाखोरी करके उपज का वास्तविक लाभ प्राप्त करेंगे तथा इससे कृषको की अपेक्षा अनाज व्यापारियों को लाभ हो रहा था.
- नए कृषि कानूनों में एपीएमसी मंडियों में उपज बेचने पर शुल्क लगता तथा मंडियों से बाहर विक्री से शुल्क नहीं लगता. जिससे मंडियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता.यह परपरागत कृषको हेतु एक समस्या थी.
- ऐसा भी सोचा गया कि नए कृषि सुधारो के उपरांत तकनीक तथा अर्थव्यवस्था की समझ वाले किसानो को लाभ होगा तथा अन्य किसानो को हानि का सामना करना पड़ेगा.

विरोध का आरम्भ :-

उपरोक्त भ्रांतियों के साथ किसानो ने 3 नवंबर को देशव्यापी सड़क नाकेबंदी सहित कृषि कानूनों के विरुद्ध छिटपुट विरोध के साथ, पंजाब और हरियाणा में किसान संघों ने 'दिल्ली चलो' आंदोलन का आह्वान किया.दिल्ली पुलिस ने कोविड-19 प्रोटोकॉल को उद्धरण के रूप में प्रस्. तुत कर राजधानी तक मार्च करने के उनके अनु. रोध को को अस्वीकार कर दिया . परन्तु संयुक्त

किसान मोर्चा (एसकेएम) के नेतृत्व में विभिन्न कृषि संघ 26 नवंबर, 2020 को राजधानी दिल्ली की सीमा पर पहुंच गए.

कृषक संघो तथा केंद्र सरकार के मध्य वार्ताओं का दौर

- केंद्र ने दिसंबर 2020 के पहले सप्ताह से ही किसानों के साथ वार्ता के उद्देश्य से कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कृषक संघ के नेताओं को दिल्ली आमंत्रित किया. कृषि सचिव ने कृषि भवन में आंदोलनकारी कृषक संघ प्रतिनिधियों के साथ पहले दौर की वार्ता आरम्भ की. हालाँकि कृषक संघ, कृषि मंत्री से वार्ता करना चाहता था.
- इस प्रथम बैठक के साथ 14 अक्टूबर, 2020 से 22 जनवरी, 2021 के बीच सरकार तथा कृषक प्रतिनिधियों के मध्य 11 दौर की वार्ता हुई. इन सभी बैठकों में कृषि मंत्री ने भागीदारी की परन्तु गतिरोध शांत नहीं हुआ. 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी किसान संघ के नेताओं के साथ देर रात बैठक की परन्तु उस प्रयास का भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आया.
- 2021 के गणतंत्र दिवस पर किसान संघो का आंदोलन उग्र रूप लेते हुए लाल किले तक पहुंच गया जिसके उपरांत पुलिस ने सख्ती से किसानो को दिल्ली की सीमा से दूर कर दिया. यह भी लगने लगा की किसान जनता के मध्य अपना आधार खो देंगे. परन्तु इन सबसे अलग अभी तक कृषि आंदोलन जारी था.

कानूनों की वर्तमान स्थिति :

- प्रधानमंत्री ने इन कानूनों को वापस लेने का निर्णय ले लिया है. जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते तब तक इनकी स्थिति निम्नवत है –
- 5 जून 2020 को इन कानूनों के सम्बन्ध में अध्यादेश लाये गए थे. इन कानूनों के विरोध में संसद से लेकर सड़क तक हर जगह विरोध प्रदर्शन हुए. इसी क्रम में कृषक संघो तथा विरोधी दलों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायलय में भी याचिका दायर की गई जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2021 को तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी.
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा, "मेरी सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करती है और इसका पालन करेगी."

- इसी समय से ये कानून अक्रिय अवस्था में हैं. अतः प्रधानमंत्री की यह घोषणा शासन तथा प्रशासन को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेगी.

इस निर्णय पर विभिन्न हितधारको के विचार

सरकार:

माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम सम्बोधन में यह स्पष्ट किया है कि शायद सरकार ही इन सुधारो के लाभ को प्रसारित कर पाने में असमर्थ रही. यह सरकार जनता की सरकार है तथा सरकार ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जो जनता को अस्वीकार हो.

संयुक्त किसान मोर्चा (कृषक संघो का प्रतिनिधि):

संयुक्त किसान मोर्चा ने कानूनों के निरसन का स्वागत किया है. इसके साथ ही यह कहा है कि वह अन्य लंबित मांगों को उठाएगा. इनकी मांगो में इन कानूनों की संसद के पटल से वापसी, एमएसपी को स्थायी बनाना, विद्युत् अधिनियमों में संसोधन करना इत्यादि सम्मिलित हैं.

विपक्ष :

विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए इस कदम को आगामी राज्य विधान सभा चुनावो (उत्तर प्रदेश, पंजाब) हेतु सरकार की रणनीति बताया है.

निष्कर्ष :

इन कानूनों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर को एग्रीप्रेन्योर में परिवर्तित करना था तथा प्रारंभिक अवस्था में सरकार अपने निर्णय को लागू करने हेतु प्रतिबद्ध दिख रही थी. परन्तु लोकतंत्र में जनता की सम्प्रभुता सिद्ध है तथा इन कानूनों का सर्वाधिक प्रभाव कृषको पर पड़ता, जो की इस कानून का विरोध कर रहे थे. अतः सरकार ने लोकप्रिय सरकार तथा लोकतान्त्रिक भावना से प्रेरित हो इन कानूनों को वापस लेने का निर्णय ले लिया.

NOTES

6 न्याय की मांग करता अनुसूचित जनजाति

- सन्दर्भ
- परिचय
- जनजातीय समुदायों के समक्ष समस्याएं
- जनजातीय वर्गों में न्याय की स्थापना हेतु किये जाने वाले प्रयत्न
- जनजातीय समुदाय के सुधार हेतु निर्मित समितियां
- निष्कर्ष

सन्दर्भ :

हाल ही में आई हुई एक फिल्म जय भीम में इरुला जनजाति समुदाय के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दिखाया गया है. समाज के आधुनिक पथ पर अग्रसर होने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि अनुसूचित जनजातियों के साथ हुए अन्याय को सामाजिक न्याय प्रदान किया जाए.

परिचय :

फिल्में समाज का दर्पण होती है. फिल्मों की विषय वस्तु या तो समाज को मार्ग दिखाती है अथवा समाज में हो रहे बदलाव की स्थितियों को प्रदर्शित करती हैं. हाल ही में आई फिल्म जय भीम में जनजातीय समुदाय के साथ हुए अन्याय को दिखाया गया है. कहीं ना कहीं फिल्म वर्तमान समाज की परिस्थितियों को परिलक्षित कर रही है. आवश्यक है जनजातीय समुदाय के साथ हुए अन्याय को न्याय में परिवर्तित कर मुख्यधारा के लोगों व जनजातीय समुदाय के लोगों के मध्य बढ़ रहे विश्वास संकट को कम किया जाए. जनजातीय समुदाय मानवीय सभ्यता के प्रारंभिक अवस्थाओं के मूल्यों को संजो कर चलने वाले समुदाय हैं अत: उन्हें सामाजिक न्याय देना मानवता के लिए आवश्यक है.

जनजातीय समुदायों के समक्ष समस्याएं

पहचान का संकट :

- जनजातीय समुदाय, भारत की विशाल जनसंख्या के अनुरूप बहुत ही कम अनुपात में बचे हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार देश के कुल जनसंख्या के अनुपात में 8.61% जनजातीय हैं. जनजातियों की भाषा, संस्कृति, पहनावा मुख्यधारा के लोगों से अलग हैं. इसके साथ ही साथ राजनैतिक रूप से बढ़ रहे संप्रदायिकता, अतिक्रमण, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, इत्यादि के कारण जनजातियों की भाषा तथा संस्कृति जैसे पहचान पर मुख्यधारा के लोगों का प्रभाव बढ़ रहा है जिससे वे पहचान संकट की स्थिति में पहुंच रहे हैं.

पार्थक्य :

- मुख्यधारा के लोगों के मन में जनजातीय समुदाय के प्रति भावना एक आदिम पिछड़ी तथा जंगली के रूप में है. इसके साथ ही साथ मुख्यधारा के लोग जनजातीय समुदाय के पहनावे को आश्चर्य की नजर से देखते हैं. इस प्रकार जनजातीय समुदाय के लोगों तथा मुख्यधारा के लोगों के बीच जुड़ाव की समस्या रहती है. अत: जनजातीय समुदाय मुख्यधारा से पूर्ण रूप से पृथक हो जाते हैं.

धर्मांतरण :

- उपनिवेशी शासन के दौरान जनजातीय समुदाय को सुभेद्य मानकर ईसाई मिशनरियों द्वारा जनजातियों का धर्मांतरण किया गया. जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था का लाभ उठाकर ईसाई मिशनरियों ने उन्हें जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया. अब स्वतंत्रता के उपरांत घर वापसी के नाम से इन जनजातियों का पुन: हिंदू धर्म में धर्मांतरण किया जा रहा है. भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जनजातियों के लिए स्वप्न मात्र हो चुका है.

प्रतिनिधित्व का अभाव :

- यद्यपि जनजातियों को सार्वजनिक स्थल लोक नियोजन विधानसभा लोकसभा राज्यसभा इत्यादि स्थानों पर आरक्षण प्राप्त है पर यह आरक्षण तब मात्र दिखावा साबित हो जाता है जब इस आरक्षण का लाभ तृणमूल स्तर तक नहीं पहुंच पाता. इस आरक्षण का लाभ अनुसूचित जनजाति के वहीं परिवार पाते हैं जिन परिवार के लोगों का आरक्षण द्वारा पूर्व ही लाभ हो चुका है. एक बड़ी जनसंख्या आरक्षण के लाभों से दूर रहती है और उनका निर्णय निर्माण प्रक्रिया में योगदान नहीं हो पाता.

आवास संकट:

- लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या तथा बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण आदिवासी क्षेत्रों का संकुचन हुआ है. रियल स्टेट के बढ़ते मांग के कारण भूमि की मांग में हुई वृद्धि से रियल स्टेट माफियाओं का ध्यान आदिवासी क्षेत्रों में गया जहां भूमि के व्यवसायिक उपयोग के कारण जंगलों को समाप्त किया गया तथा आदिवासियों को उनकी भूमि से बेदखल किया गया.
- इससे आदिवासी समुदाय अपनी ही जमीन पर अन्यत्र लोगों के तुलना में निम्न वर्ग बन गए हैं. उनका आवास छीनने के बाद उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई तथा उन्हें शहरी समाज में दोयम दर्जे का जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ा.

मूल अधिकारों का उलंघन :

- मुख्यधारा के लोगों के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के संसाधनों का बेहतर रूप से दोहन किया गया. जनजातीय क्षेत्रों में पुरातन काल से ही बहुत ही ज्यादा अतिक्रमण ना होने के कारण वहां का क्षेत्र खनिजों से प्रचुर है. विभिन्न विकास के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए खनिजों का दोहन किया जा रहा है जिससे न सिर्फ जनजातियों को उनके आवास से हटाया जा रहा है बल्कि जंगल भी प्रदूषित हो रहा है.
- अपनी आर्थिक विवशता के कारण जनजातीय समुदाय अपने पारंपरिक कार्यों से हट रहे हैं. ऐसी स्थिति में उन्हें रोजगार दिलाने के लिए अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा जनजातीय लोगों का शोषण किया जाता है. मानव देह व्यापार, यौन शोषण, जबरन सरोगेसी के लिए जनजातीय समुदाय बहुत ही अधिक सुभेदय माना जाता है. यह संविधान

में वर्णित अनुच्छेद 21 के गरिमामय जीवन तथा अनुच्छेद 23, 24 में वर्णित शोषण के अधिकारों के उलंघन को प्रदर्शित करता है.

विधिक समस्याएं :

विधिक समस्या जनजातियों की एक बड़ी समस्या है. औपनिवेशिक काल में अपने क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण के कारण जनजातीय समुदायों ने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया, मुंडा जाति का विद्रोह, संथाल विद्रोह इत्यादि प्रमुख जनजाति विद्रोह रहे. इन विद्रोह के फलस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य ने जनजातियों को आदतन अपराधी या हैबिचुअल ऑफेंडर घोषित कर दिया. जो आज भी भारतीय कानून व्यवस्था का अंग है. यह कानून जनज. ातीय लोगों को वंशानुगत अपराधी घोषित करता है. जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है. इन समस्याओं के साथ-साथ शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी, रोजगार संकट, स्वास्थ्य समस्या के प्रति सुभेद्यता जनजातियों की अन्य प्रमुख समस्या है. न्याय की स्थापना के लिए इन समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए.

जनजातीय वर्गों में न्याय की स्थापना हेतु किये जाने वाले प्रयत्न-

संवैधानिक प्रयास :

- संविधान का अनुच्छेद 15 तथा 16 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है.
- संविधान का अनुछेद 17 अस्पृश्यता के समापन की घोषणा करता है.
- संविधान का अनुच्छेद 21 सभी के लिए गरिमामय जीवन का उपबंध करता है जिसमें जनजातीय जीवन भी सम्मिलित है.
- संविधान का अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है जिसमें मानव व्यापार तथा बलात श्रम को प्रतिबंधित किया गया है .
- संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनज. ातियों को परिभाषित करता है.
- अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुच्छेद 332 विधानसभाओं में तथा अनुच्छेद 243 पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान करते हैं.
- संविधान में अनुसूची 5 तथा अनुसूची 6 में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं.
- संविधान का अनुच्छेद 371 कई राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है.

विधिक प्रावधान :

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्या. चार निरोधक) अधिनियम, 1989

- यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के विरुद्ध होने वाले अपराधों को गैर जमानती तथा दंडनीय घोषित करता है.
- यह अधिनियम किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन. जाति का सदस्य नहीं है.
- यह बंधुवा मजदूरी, बलात श्रम, मतदान में बाधक इत्यादि अपराधों को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है.
- यह अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विरुद्ध होने वाले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अपराध से इन्हे संरक्षण प्रदान करता है.

पेसा अधिनियम :

- 'पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996, भूरिया समिति की अनुशंसाओं पर आधारित था.
- यह जनजातीय क्षेत्रो में स्थानीय शासन हेतु प्रतिबद्धता स्थापित करता है.

कार्यकारी आदेश:

- राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में अपने आदेश द्वारा विधान निर्माण कर सकते हैं.
- जनजातीय प्रशासन हेतु क्षेत्रीय तथा स्वायत्त जिला परिषदें बनाई गई हैं.
- जनजातीय लोगों को सामाजिक न्याय तक पहुंच स्थापित करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कार्यरत है.

अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग-

- अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई है.
- 89 वे संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2004 से यह प्रवर्तित है.
- 1978 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग नामक एक संस्था थी. 2004 में इस संस्था के दो भाग कर दिए गए. तब से भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए अलग आयोग गठित किया गया है.
- इसमें एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष 3 पूर्णका. लिक सदस्य तथा अन्य सदस्य होते हैं.
- 3 पूर्णकालिक सदस्यों में से किसी एक का महिला होना अनिवार्य है.
- यह अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधि कारों से जुड़े सभी मुद्दों का परीक्षण तथा निर्देशन करता है.

जनजातीय समुदाय के सुधार हेतु निर्मित समितियां :

सरकार द्वारा समय समय पर जनजातीय समुदाय के विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए कई समितियों का निर्माण किया गया है.

- अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पहला पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेल. कर आयोग, 1953) ने भी अनुसूचित जनजातियों के बारे में अपनी अनुशंसा दी थी.
- एलविन कमेटी (1959) का गठन जनजातीय विकास कार्यक्रमों के लिये बुनियादी प्रशासनिक इकाई के कार्यकरण के लिए किया गया था.
- लोकुर समिति (1965) का गठन अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के मानदंड स्था. पित करने के उद्देश्य से किया गया था.
- भूरिया समिति (1991) पेसा अधिनियम से सम्बंधित थी.
- मुंजेकर समिति (2005) ने जनजातीय शासन तथा प्रशासन का परीक्षण किया.
- प्रो. वर्जिनियस शाशा समिति (2013) जनजा. तियों के समग्र विकास से सम्बंधित थी.

निष्कर्ष :

संवैधानिक प्रावधानों, विधिक अधिनियमो ,कार्यक. ारी संस्थानों की उपस्थिति के उपरांत भी जनज. ातीय समुदाय को सामाजिक न्याय नहीं प्राप्त हो सका है. आज भी जनजातीय समुदाय मुख्य ध ारा से अपनी पृथकता का अनुभव करते हैं. उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आवश्यक है कि उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त किया जाए जिससे उन्हें भारत के लोकतंत्र में स्वयं के व्यक्तित्व विकास हेतु उचित अवसर मिल सके.

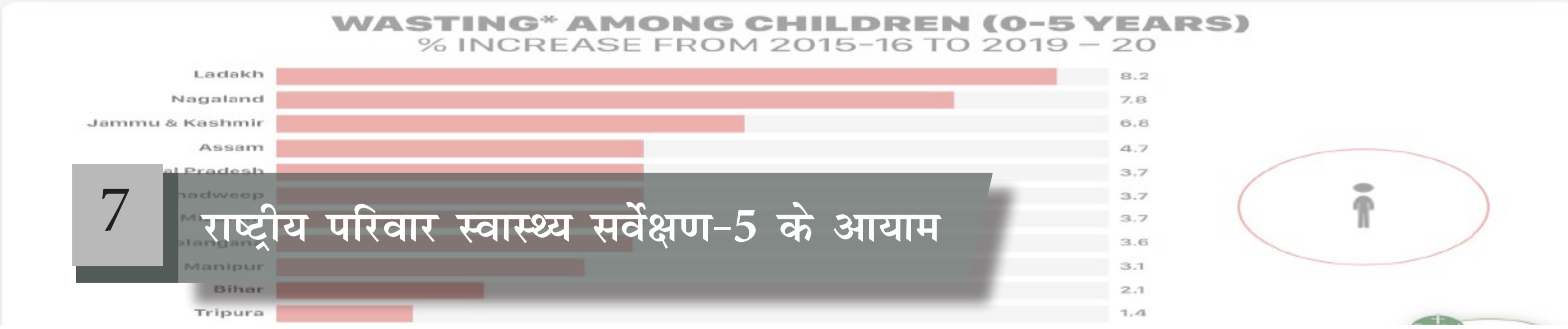

7 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के आयाम

- सन्दर्भ
- परिचय
- क्या है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से नीतिगत निष्कर्ष
- निष्कर्ष

सन्दर्भ :

हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पांचवे संस्करण (चरण 2) के आंकड़ों को जारी किया गया है. यह सर्वेक्षण दो चरणों में पूर्ण किया गया था. पहले चरण के आंकड़े दिसंबर 2020 में आ गए थे तथा दूसरे चरण के आंकड़ों को हाल ही में जारी किया गया है.

परिचय :

वर्तमान समय में डेटा आधारित सुशासन की स्थ.ापना शासन का एक महत्वपूर्ण आयाम है. डेटा आधारित शासन की स्थापना के लिए आंकड़ों का सर्वेक्षण अत्यंत आवश्यक है. जनसांख्यिकीय स्थितियों, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक आयामों के बारे में जानने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है. हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण के पांचवें संस्करण (चरण 2) के आंकड़े आए हैं. ये आंकड़े स्वास्थ्य तथा जनसांख्यिकीय स्थितियों के संदर्भ में नीति निर्माण में सहायक होंगे.

क्या है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण?

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया जाने वाला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण संपूर्ण भारत के नागरि.कों के जनसांख्यिकीय तथा स्वास्थ्य स्थितियों पर किया जाने वाला एक व्यापक सर्वेक्षण है. यह सर्वेक्षण 1992-93 से आरंभ किया गया था तथा अब तक इसके 4 संस्करण आ चुके थे.
- 2019-20 का यह संस्करण अपनी प्रकार का पांचवा संस्करण है. यह संस्करण दो चरणों में पूर्ण किया गया था. यह संस्करण 131 संकेतों के आध.ार पर सर्वेक्षण करता है.
- मुंबई स्थित (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज) इस सर्वेक्षण हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आक.ड़े तथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 से तुलना

लिंगानुपात :

इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं का हो गया है. स्वतंत्रता के उपरांत ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पुरुषों की अपेक्षा महिला आबादी अधिक है. ग्रामीण क्षेत्र में यह आंकड़ा प्रति हजार पुरुषों पर 1037 महिलाएं तथा शहरी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर 985 महिलाएं हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 ग्रामीण क्षेत्र में यह आंकड़ा प्रति एक हजार पुरुषों पर 1009 महिलाओं तथा शहरी क्षेत्र में 956 महिलाओं का था. हालाँकि जन्म के समय लिंगानुपात अभी भी प्रति 1000 पुरुष बच्चों पर 952 बच्चियां हैं.

प्रजनन दर में गिरावट:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के प्रथम चरण मे में कुल प्रजनन दर 2.1 तथा चरण 2 के राज्यों में कुल प्रजनन दर 2 है. यह जनसंख्या नियंत्रण के उपायो की सफलता को दर्शाता है. बिहार में कुल प्रजनन दर 3 तथा उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर 2.4 दर्ज की गई है. चरण 2 में सम्मिलित राज्यों में मध्य प्रदेश राजस्थान, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त सभी राज्यों ने प्रजनन क्षमता का प्रतिस्थ.ापन स्तर 2.1 के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है.

कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट:

सर्वे में कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट 67% हो चुका है जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे संस्करण में 54% था. कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट का बढ़ना यह प्रदर्शित करता है कि लगभग सभी राज्यों में गर्भनिरोधक के आधुनिक तरीकों का उपयोग बढ़ा है.

टीकाकरण में वृद्धि:

12 से 23 माह के बच्चों के मध्य टीकाकरण 76% हुआ है जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे संस्करण में 62% था. इस संदर्भ में उड़ीसा का सर्वाधिक अच्छा प्रदर्शन रहा है तथा उड़ीसा में इस आयु वर्ग के 90% से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया है. इसका श्रेय 2015 में आरंभ हुए मिशन इंद्रधनुष पहल को दिया जा सकता है.

महिलाओं का वित्तीय समावेशन:

महिला सशक्तिकरण संकेतों में भी सुधार हुआ है अखिल भारतीय स्तर पर 79% महिलाओं के पास बैंक खाते हैं जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे संस्करण में 53% पर सीमित थे.

संस्थागत प्रसव:

अखिल भारतीय स्तर पर 89 प्रतिशत बच्चों का प्रसव हॉस्पिटल या स्वास्थ्य संस्थाओं में हुआ है. जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे संस्करण में 79% था. तमिलनाडु तथा पांडिचेरी में यह 100% रहा है. आंकड़े बताते है कि संस्थागत प्रसव की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है.

पोषण:

अखिल भारतीय स्तर पर बाल पोषण संकेतको में थोड़ा सुधार दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 में बच्चो में चाइल्ड स्टॉटिंग 36 प्रतिशत ,वेस्टिंग 19 प्रतिशत तथा अंडरवेट 32 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे संस्करण में क्रमशः 38% ,21% तथा 36% थे.

स्वास्थ्य:

- महिलाओं तथा बच्चों में एनीमिया अभी भी एक संकट का विषय बना हुआ है. भारत के सभी राज्यों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 67% महिलाओं में 57% तथा पुरुषों में 25% लोग एनी. मिया से ग्रस्त हैं. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे संस्करण में यह क्रमश: 58.6% 53.1% तथा 22.7% था.
- महिलाओं और पुरुषों दोनों में रक्त शर्करा के स्तर में बहुत भिन्नता है. महिलाओं की तुलना में पुरुषों में उच्च या बहुत अधिक रक्त शर्करा होने की संभावना जताई गई है. पुरुषों में उच्च रक्तचाप (हाइपरटेंशन) के मामले महिलाओं की तुलना में कुछ अधिक पाए गए हैं.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से नीतिगत निष्कर्ष:

- लिंगानुपात में आई वृद्धि यह प्रदर्शित करती है कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे प्रथाओं में कमी आई है. परंतु इसी के साथ में यह आंकड़े एक अलग चुनौती प्रस्तुत करते हैं. हमारे समाज की निर्णय निर्माण प्रक्रिया तथा विधिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं का योगदान अत्यंत कम है. राष्ट्र की 50% जनसंख्या को सर्वोच्च न्यायालय, संसद, कार्यबल में अत्यंत कम प्रतिनिधित्व प्राप्त है. यह एक नीतिगत द्वंद को दिखाता है कि जहां अधिक जनसंख्या वाले वर्ग को अत्यल्प प्रतिनिधित्व दिया गया है अत: इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है.
- ग्रामीण क्षेत्र जिसे अक्सर लोग पिछड़ा हुआ समझते हैं वहां लिंगानुपात शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा अधिक है.
- एनीमिया से लड़ने के तमाम प्रयासों के उपरांत एनीमिया अभी भी उपस्थित है तथा निरंतर बढ़ रहा है. यह भारत के स्वास्थ्य ढांचे के लिए एक बड़ी समस्या है. अत: एनीमिया के स्थाई समाधान की तरफ बढ़ना होगा. कोरोना जैसी महामारी स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा तंत्र का सुदृढ़ होना अनिवार्य है.
- पोषण के मामले में कुछ सुधार देखने को मिला है परंतु यह अत्यंत निम्न है. बच्चों में पोषण सुनिश्चित करना अत्यंत अनिवार्य है और इस दिशा में सरकार को प्रयत्न करना चाहिए. इसके हेतु वन साइज फॉर ऑल के दृष्टिकोण से हटकर कार्य करने की आवश्यकता है.

- जन्म के समय लिंगानुपात का आंकड़ा यह प्रदर्शित कर रहा है कि अभी भी माता-पिता के मन में संतान के रूप में पुत्र की चाह अत्यंत बलवती है. स्पष्ट है कि लिंगानुपात में हुई वृद्धि समाज की प्रगति से कम तथा विधिक बंधनों से अधिक प्रेरित है.
- कुल प्रजनन दर की स्थिति बेहतर है. कानून के अभाव के उपरांत भी माता-पिता दो संतानों तक सीमित हो चुके हैं. जनसंख्या वृद्धि दर को कम करके ही संसाधन दबावों को कम किया जा सकता है.
- उज्जवला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मिशन इंद्रधनुष, जनधन योजना जैसे योजनाओं की सफलता ने यह दिखाया है कि निरंतर प्रयास से लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है. अत: अब आवश्यकता है कि एनीमिया तथा पोषण के क्षेत्र जहां पर्याप्त सुधार नहीं हो सका है वह भी बेहतर योजनाओं को बनाकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए.

निष्कर्ष :

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों ने स्पष्ट किया है कि भारत में निरंतर जनसंख्या, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय सशक्तिकरण इत्यादि के संदर्भ में प्रयास जारी है. कई क्षेत्रों में भारत ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है परंतु स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लक्ष्य को प्राप्त करना अभी शेष है. इन लक्ष्यों को प्राप्त करना यह दर्शा. ता है कि भारत सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की राह में निरंतर आगे बढ़ रहा है. यह आवश्यक है कि इन आकड़ो के साथ आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक न्याय को प्राप्त करने का प्रयास हो.

NOTES

संक्षिप्त मुद्दे

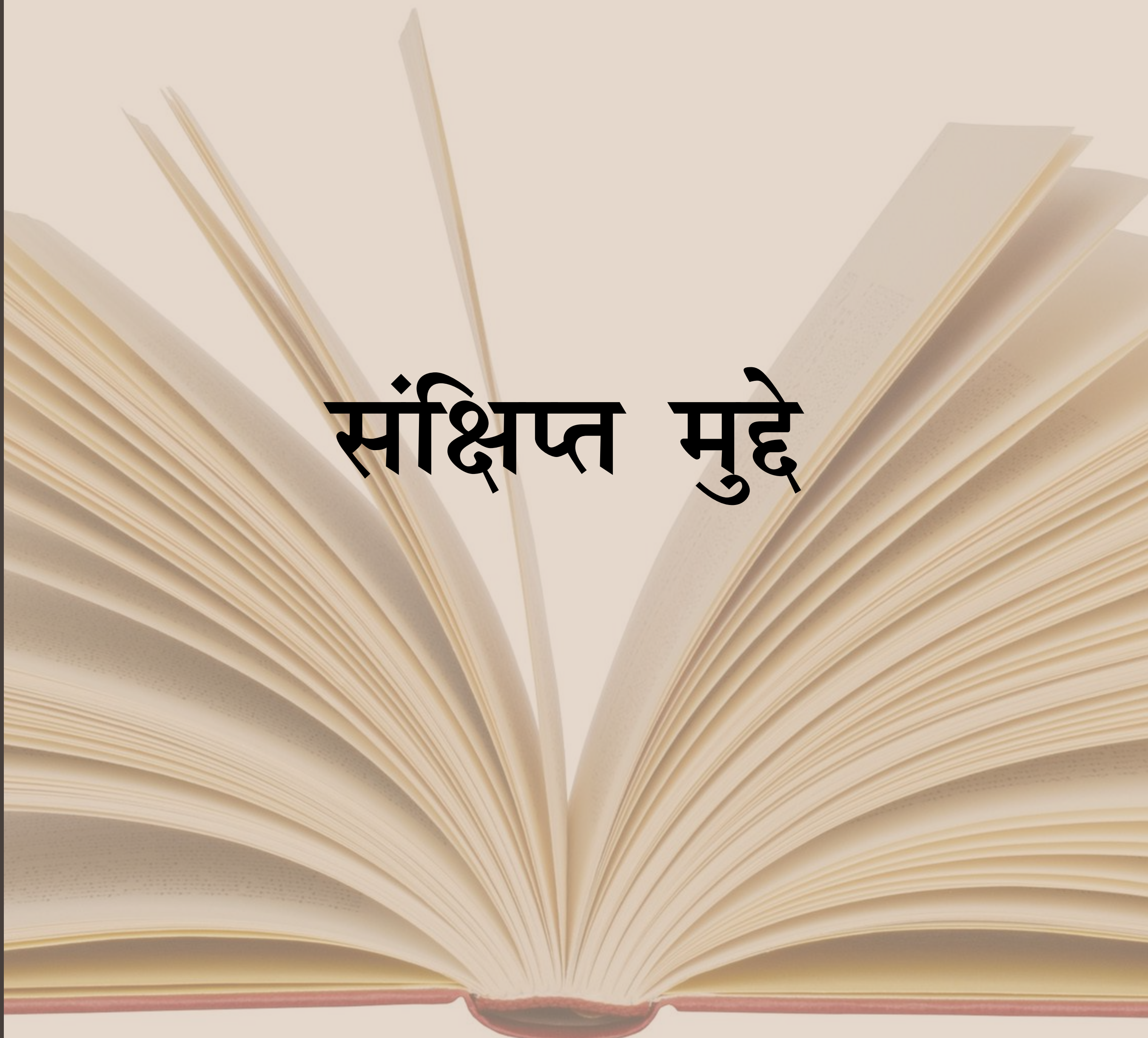

1 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस

1 दिसंबर, 2021 को देश भर में भारत के प्रमुख अर्ध-सैनिक बल अथवा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया. वर्ष 1965 के पहले भारत-पाकिस्तान की 3, 323 किलोमीटर लंबी सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियनों को दी गई थी. लेकिन पाकिस्तान ने 9 अप्रैल, 1965 को कच्छ की खाड़ी में सरदार पोस्ट, बेरियाबेट, चहरबेट पर आक्रमण कर दिया था तब ये राज्य स्तरीय बटालियन्स सुरक्षा की दृष्टि से कुछ खास नहीं कर पाईं थी. इसलिए युद्ध की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक विशेषीकृत और केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के गठन की आवश्यकता महसूस हुई. अतः 1 दिसंबर, 1965 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया और के.एफ रुस्तमजी को इसका प्रमुख बनाया गया.

बीएसएफ ने वर्ष 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उस समय एनी टास्क, एनी व्हेयर, एनी टाइम का नारा इसने दिया था. वर्तमान में ठैथ में कुल 192 बटालियन्स हैं और जब इसकी स्थापना हुई थी तब केवल 25 बटालियन्स के साथ इसने काम करना शुरू किया था. वर्तमान में 2.72 लाख कर्मचारी इसमें काम करते हैं जिसमें 5,217 महिला कर्मचारी हैं. **BSF** का बजट 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का है और यह दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है.

बीएसएफ के कार्य:

बीएसएफ की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा, सीमा. ओं पर बाड़बंदी, सीमाओं पर लाइटिंग की व्यवस्था करना और महत्वपूर्ण सामरिक मार्गो व सड़कों का निर्माण है. इसका एक प्रमुख कार्य घुसपैठ और सीमा पार आतंकवाद और सीमा पार संगठित अपराधों जैसे ड्रग्स, हथियार, जाली मुद्रा आदि की तस्करी को नियंत्रित करना है. बीएसएफ के कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं :-

- बीएसएफ प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशनों की सेवाओं में अपने कर्मिकों की तैनाती भी करता है.
- वर्ष 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान बीएसएफ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की थी.
- बीएसएफ के कर्मचारी मणिपुर में आंतरिक सुरक्षा के दायित्व का भी निर्वहन कर चुके हैं. बीएसएफ ने मणिपुर में काउंटर इंसर्जेंसी अभियान भी चलाए हैं .
- इसके द्वारा बाढ़ ग्रस्त इलाकों में पीड़ित लोगों को राहत और बचाव कार्य के जरिए सहयोग प्रदान करने का काम भी बीएसएफ द्वारा किया गया है.
- बीएसएफ द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के मन में सुरक्षा का भाव भरने के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम भी चलाया जाता है जिसके जरिये लोगों को दवाइयों, स्कूली शिक्षा, छोटे निर्माण कार्य, शिविरों का आयोजन कर सुरक्षित महसूस कराया जाता है.
- बीएसएफ जम्मू कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की बाड़बंदी पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है और यह बांग्लादेश से भी आने वाले अवैध प्रवासियों पर भी निगाह रखकर नियंत्रण करता है.
- भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी और अन्य अवैधानिक गतिविधियों को रोकने में भी बीएसएफ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

2 कश्मीर के 4 धरोहर स्थलों का यूनेस्को द्वारा पहला सर्वेक्षण संपन्न

हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) एक ब्लू प्रिंट तैयार करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है. इस ब्लू प्रिंट के तहत कश्मीर में हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व के चार विरासत स्थलों को यूनेस्को की वैश्विक विरासत सूची में शामिल कराया जाएगा. इन स्थलों में कश्मीर के रैनावारी मंदिर, अवंतीपोरा में स्थित मंदिर, श्रीनगर के हारवन में बौद्ध स्थल, गांदरबल के नारानाग में शिव मंदिर और श्रीनगर में श्री प्रताप सिंह संग्रहालय शामिल हैं.

यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इन्हें शामिल कराने के लिए एनएमए के अध्यक्ष तरुण विजय के नेतृत्व में कश्मीर घाटी में इन स्थलों का अपनी तरह का पहला सर्वेक्षण हाल ही में कराया गया है. राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष का कहना है कि मार्तंड मंदिर, श्रीनगर में परिहासपोरा, गांदरबल में शिव मंदिर और श्रीनगर में हारवन उन विशिष्ट ऐतिहासिक धरोहरों में प्रमुख हैं, जिन्हें यूनेस्को की वैश्विक विरासत स्थल सूची में स्थान जरूर मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि एक बार संभावित सूची में नाम शामिल हो जाए, फिर यूनेस्को विरासत स्थलों की अंतिम सूची में स्थान बनाना सुगम हो जाएगा. गौरतलब है कि श्रीनगर के रैनावारी इलाके में मीशा साहब के पास शिव मंदिर को संरक्षण देने की बात हो रही है. रैनावारी इलाके में 2016 में 27 वर्षों के बाद वैताल भैरव का मंदिर भी खुला था जहां देश विदेश से पहुंचे कश्मीरी पंडितों ने पूजा अर्चना की थी. रैनावारी के जोजिलंकर मोहल्ले में स्थित वैताल भैरव मंदिर की काफी मान्यता है. यहां विचारनाग और शंकराचार्य मंदिर भी स्थित हैं.

अवंतीस्वामी और अवंतीश्वरा मंदिर अवंतीपुर शहर में स्थित हैं. उत्पल साम्राज्य के अवन्तिवर्मन ने इस शहर की स्थापना की थी. उसने 855 से 883 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और उन्होंने ने ही अवंतीपुर में दो महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण कराया था. इन मंदिरों में एक भगवान शिव को समर्पित और एक भगवान विष्णु को समर्पित है. कश्मीर के दक्षिणी भाग में अनंतनाग से पहलगाम के रास्ते में मार्तण्ड नामक स्थान पर सूर्यदेव का एक मंदिर स्थित है जिसका नाम मार्तंड मंदिर है. इसका निर्माण 8 वीं शताब्दी में कराया गया था. इस मंदिर को कारकोटा राजवंश के शासक ललितादित्य मुक्तपीड ने बनवाया था. ऐसा कहा

जाता है कि राजा ललितादित्य सूर्य की पहली किरण निकलने पर सूर्य मंदिर में पूजा कर चारों दिशाओं में देवताओं का आह्वान कर ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते थे.

भारत में सूर्यदेव के चार प्रमुख मंदिर हैं. इनमें उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, गुजरात के मेहसाणा को मोढेरा सूर्य मंदिर, राजस्थान के झाल. रापाटन का सूर्य मंदिर और कश्मीर का मार्तंड मंदिर शामिल है. वहीं परिहासपोरा का मंदिर श्रीनगर के बारामूला में है. शंकर वर्मन काल के दौरान परिहासपोर शहर कश्मीर की राजधानी थी.

3 भारत का पहला फूड म्यूजियम तंजावूर में

हाल ही में भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा तमिलनाडु के तंजावूर में भारत के पहले फूड म्यूजियम का उद्‌घाटन किया गया है. इस म्यूजियम को फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है जिसमें उसे विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्युजियम्स, बेंगलुरु का सहयोग मिला है. यह 1860 स्क्वायर फीट एरिया पर बनाया गया है और इस पर 1.10 करोड़ रुपये की लागत आई है. दरसअल तंजावूर फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का बर्थ प्लेस रहा है जहां इसका पहला ऑफिस 14 जनवरी ,1965 को खोला गया था.

यह भारत और दुनिया भर में खाद्यान्न उत्पादन परिदृश्य और भंडारण की चुनौतियों को दर्शाने वाला खाद्यान्न संग्रहालय है. इस फूड म्यूजियम के जरिये जिन महत्वपूर्ण विषयों और बिंदुओं को दर्शाया जाएगा उनमें शामिल हैं

चारागाहों का इतिहास:

यह फूड म्यूजियम मानव जाति के लिए कृषि प्रणालियों के विकास को प्रदर्शित करता है और यह बताता है कि कैसे घुमंतू खानाबदोश शिका. रियों के जमाने से लेकर कृषि उत्पादकों की स्थिर प्रणाली से होते हुए यह सभ्यता आज आधुनिक किसानों तक पहुचीं है. इस रूप में यह फूड म्यूजियम बताएगा कि मानव सभ्यता आधुनिक कृषि प्रणालियों को किन मार्गों को पार करते हुए पहुंचा है.

भोजन भंडार:

भारत के पहले फूड म्यूजियम में विभिन्न प्रकार के खाद्य भंडारण विधियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा. जिन्हें भारत और साथ ही दुनिया भर में विकसित और उपयोग किया गया है. यह भारत और विश्व भर में खाद्यान्न उत्पादन परिदृश्य और संग्रहालय में प्रदर्शन के हिस्से के रूप में भंडारण की चुनौतियों को भी प्रदर्शित करेगा.

अंतिम मील वितरण:

इस खाद्य संग्रहालय में प्रदर्शित एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू में खेत से उपभोक्ता की थाली तक खाद्यान्न की यात्रा और इसमें एफसीआई द्वारा निभाई गई भूमिका शामिल है.

एफसीआई के संचालन:

डिजिटल प्रस्तुति के माध्यम से, खाद्य संग्रहालय कृषि उत्पादन और वितरण नेटवर्क को सुव्यव. स्थित करने के लिए एफसीआई द्वारा नियोजित कई तकनीकी विशेषताओं को भी प्रदर्शित करता है. यह फूड म्यूजियम प्रोजेक्शन मैपिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, टच स्क्रीन कियोस्क, प्रॉक्सिमिटी और टच सेंसर और वर्चुअल रियलिटी सिस्टम जैसी विभिन्न तकनीकों को प्रदर्शित करता है.

भारत में खाद्यान्न सुरक्षा का संस्थागत तंत्र:

1942 में बंगाल में पड़े अकाल के पश्चात भारत सरकार ने खाद्य विभाग की स्थापना की, जिसका कार्य कुछ तथ्यों को देखना तथा उसे कार्यान्वित करना था. तत्पश्चात 1965 में भारतीय खाद्य निगम अस्तित्व में आया. भारतीय खाद्य निगम में लगभग 21870 अधिकारी एवं कर्मचारी जन हितकारी कार्यों के लिए समर्पित भाव से जुड़े हुए हैं. निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है. प्रशासनिक सुविधाओं के लिए निगम को 5 आंचलिक कार्यालयों, 24 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 162 जिला कार्यालयों में बांटा गया है, जिनके अधीन लगभग 1452 खाद्य भंडार डिपो हैं. इस तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तथा गुजरात से अरूणाचल प्रदेश तक भारतीय खाद्य निगम एक विशाल एवं सुचारू नेटवर्क के अंतर्गत कार्य करता है. भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा नीति के अधीन कई प्रकार की खाद्यान्न वितरण योजनाएं लागू हैं, जिनमें लक्ष्य आधारित वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय अन्न योजना, मध्याह्न भोजन योजना, अन्नपूर्णा योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नारी निकेतन और रक्षा कार्मिकों, हितकारी संस्थाओं और छात्रावासों के लिए खाद्यान्न वितरण की योजनाएं शामिल हैं, जिनसे पूरे भारत के नागरिक लाभाविन्वत होते हैं.

NOTES

4 बच्चो में एनीमिया की बढ़ती समस्या

सन्दर्भ :-

हाल ही में बच्चो में एनीमिया के संदर्भ में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े चिंताजनक रहे हैं।

परिचय :-

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार भारत में 6-59 महीने की आयु के बच्चों के अधिक अनुपात में एनीमिक पाए जाने से स्थिति चिंता जनक हो गई है.एनएफएचएस-4 (2015-16) की तुलना में, वर्ष 2019-20 में 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 30 में 6-59 माह आयु वर्ग के आधे से अधिक बच्चे एनीमिक पाए गए.सर्वाधिक चिंताजनक तथ्य यह है कि एनएफएचएस-4 की तुलना में एनएफएचएस -5 में 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एनीमिक बच्चों के अनुपात में वृद्धि हुई है.

एनीमिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु :-

- भारत के सभी राज्यों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में 67%, महिलाओं में 57%, तथा पुरुषों में 25% लोग एनीमिया से ग्रस्त हैं.
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार गुजरात में 6 से 59 माह के आयु वर्ग के लगभग 79.7% बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं, जो राज्यों में सर्वाधिक है.
- स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों तथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के आंकड़े की तुलना पर यह पाया गया है कि बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ में एनीमिया की वृद्धि दर सबसे तेज रही है.
- केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक एनीमिया लद्दाख में 92.2% है.अन्य बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश 72.7% बिहार 69.4% तथा उत्तर प्रदेश 66.4% बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं.

क्या है एनीमिया :-

- एनीमिया अथवा रक्त की कमी एक प्रकार की बीमारी है, जो शरीर में हिमोग्लोबिन की कमी के कारण होती है.एनीमिया शरीर में आयरन की कमी के फलस्वरूप होता है.
- जब किसी व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी होती है तब शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं के नष्ट होने की दर निर्माण होने की दर से अधिक हो जाती है.
- इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है.
- इसका शिकार अधिकतम महिलाएं होती हैं जिसका मुख्य कारण माहवारी के दौरान खून की कमी अथवा प्रसव के दौरान खून की कमी है.
- थाली में पोषण युक्त आहार की कमी के फलस्वरूप यह बीमारी और ही अधिक बढ़ रही है जो अब बच्चों तथा व्यक्तियों में भी पाई जा रही है.
- एनीमिया में त्वचा सफेद तथा आंखें पीली हो जाती हैं.थकान, हृदय गति बढ़ना, श्वसन में समस्या चेहरों तथा पैर में सूजन इत्यादि एनीमिया के लक्षण है.
- इससे बचाव हेतु आवश्यक है कि आयरन की कमी को पूर्ण किया जाए तथा पोषण युक्त आहार किया जाए.

अंतरराष्ट्रीय

1 भारत की चार देशों के साथ टू प्लस टू वार्ता

रूस के राष्ट्रपति पुतिन 6 दिसंबर को भारत आए जहां भारत रूस वार्षिक समिट में भाग लेकर वो द्विपक्षीय संबंध के भिन्न भिन्न मुद्दों पर चर्चा की. इस यात्रा के दौरान भारत रूस की पहली 2 प्लस 2 डायलॉग आयोजित हुई. ऐसे में सवाल उठता है कि भारत ने अभी तक कितने देशों के साथ 2 प्लस 2 संवाद किया है और रूस भारत के बीच पहली बार होने वाली इस वार्ता का क्या महत्व है. भारत ने अब तक 3 देशों के साथ 2 प्लस 2 वार्ता किया है. इस साल सितंबर माह में भारत ने दो देशों के साथ ऐसी वार्ता की है. 1 सितंबर, 2021 को भारत और अमेरिका ने आधिकारिक स्तर पर 2 प्लस 2 इंटरनेशनल मीटिंग को वाशिंगटन डीसी में सम्पन्न किया था. इसमें भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी को मजबूती देने, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में गठजोड़, विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष सहयोग, इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी और दक्षिण एशिया की घटनाओं के विकास पर चर्चा हुई.

इसके अलावा 10 सितंबर को भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना पहला 2 प्लस 2 डायलॉग सम्पन्न किया है. इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की ओर से बढ़ते सैन्य दबाव के बीच दोनों देशों के बीच संपूर्ण रक्षा एवं सामरिक सहयोग को और बढ़ाना है. पिछले साल जून माह में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर पहुँचाया था और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए मिलिट्री बेसेस तक पारस्परिक पहुँच (**reciprocal access**) के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया है. दरसअल ऑस्ट्रेलिया हाल के वर्षों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के अलावा अनेक अन्य मुद्दों पर अपनी अहमियत सिद्ध कर पाया है. इसलिए वो क्वाड की मजबूत कड़ीं है और यही कारण है कि अमेरिका, भारत और जापान ने हाल के समय में ऑस्ट्रेलिया को मालाबार संयुक्त नौ सैन्य अभ्यास

का भाग भी बना लिया है. भारत-जापान विदेश और रक्षा मंत्रियों की वार्ता (2+2) 30 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में हुई
थी. जापान और भारत ने पिछले साल ही एक करार पर दस्तखत किए थे, जिसके मुताबिक दोनों देशों की सेनाएं समुद्र में एक दूसरे को सहयोग करेंगी और भोजन व ईंधन मुहैया कराएंगी. वहीं, जापान कह चुका है है कि दोनों देशों के मंत्रियों के बीच एशियाई क्षेत्र में आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने समेत कई और मुद्दों पर भी बात होगी. अगर रूस भारत 2 प्लस 2 वार्ता के महत्व की बात करें तो कुछ बातें सामने आती हैं.

1. रूस जो चीन के साथ मिलकर क्वाड को एशियाई नाटो मानता है, वो भारत के साथ इंडो पैसिफिक की सुरक्षा में कितना और किस प्रकार सहयोग करेगा.
2. अफगानिस्तान में क्षेत्रीय शांति में रूस की भूमिका क्या होगी और वहाँ भारत के हितों को सुरक्षित रखने में रूस कितना सहयोग देगा.
3. साइबर वारफेयर, अंतरिक्ष सहयोग, नाभिकिय ऊर्जा, कोविड हेल्थ पार्टनरशिप और भारत के ऊर्जा सुरक्षा में रूस का सहयोग बढ़ना जरूरी है.

क्या है 2 प्लस 2 वार्ता :

टू प्लस टू वार्ता में दो देशों के दो-दो मंत्री भाग लेते हैं. इस हिसाब से किन्हीं दो देशों के शीर्ष मंत्रियों और उनके समकक्षों के बीच होने वाली वार्ता को टू प्लस टू वार्ता कहते हैं. वार्ता के इस स्वरूप की शुरुआत जापान ने की थी. बाद में दुनिया भर के कई देशों ने बातचीत के इस तरीके को अपनाया. आम तौर पर इस तरह की वार्ताओं का लक्ष्य दो देशों के बीच रक्षा सहयोग के लिए उच्च स्तरीय राजनयिक और राजनीतिक बातचीत को सुविधाजनक बनाना होता है. इस वार्ता में दो देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं और अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती देते हैं.

2 यूनाइटेड नेशन्स द्वारा पीसकीपिंग मिशन के लिए भारत की तारीफ

यूनाइटेड नेशंस के पीसकीपिंग प्रमुख ने हाल ही में कहा है कि भारत के पास यूएन पीसकीपिंग मिशन को मजबूती देने के लिए बड़ी क्षमता और संभावना है. उन्होंने कहा की भारत दुनिया भर के अशांत, युद्ध ग्रस्त क्षेत्रों में तैनात ब्लू हेलमेट्स यानी संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों को अपनी क्षमता और टेक्नोलॉजी के स्तर पर बड़ा सहयोग कर सकता है.

दिसम्बर में यूएन पीसकीपिंग की मंत्रिस्तरीय बैठक सियोल में होनी है. उसी के मद्दे नजर यू एन पीसकीपिंग ऑपरेशन्स के महासचिव जीन पियरे लैकरोइक्स ने संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग मिशनों में भारत की खुलकर तारीफ की है. महासचिव ने कहा कि भारत के पास पुलिस और सैन्य दोनों ही प्रकार के शांतिरक्षकों के रूप में यूएन को सहयोग करने की बड़ी क्षमता है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत यूएन पीसकीपिंग में महिला शांतिरक्षकों की संख्या बढ़ाने में यूएन को मदद देने में सक्षम है. उन्होंने यूएन पीसकीपिंग मिशनों में सीनियर महिला अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की बात की और कहा कि भारत महिला पुलिस और सैन्य पीसकीपर देकर यूएन की मदद कर सकता है. दरअसल संयुक्त राष्ट्र को योग्य अनुभवी पीसकीपर्स चाहिए जिसके लिए वो भारत की तरफ देख रहा है.

दरअसल भारत ने यह घोषणा कर दी है कि वह यूनाइट अवेयर प्लेटफार्म से बाहर निकलेगा. यह प्लेटफार्म पीसकीपर्स को स्थलाकृतियों (**terrain**) संबंधित सूचनाएं प्रदान करने और सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए काम करता है. अब तक 49 यूएन पीसकीपिंग मिशन में भारत के 2,50,000 से अधिकसैनिक जवान, कर्मचारी तैनात किए जा चुके हैं. सितंबर, 2021 तक के आंकड़ों को देखें तो भारत यूएन पीसकीपिंग में पुलिस अथवा सैन्य कर्मचारियों के स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है. इस समय दुनिया भर के 12 यूएन मिशनों में भारत के 5,481 पीसकीपर तैनात हैं.

अगस्त, 2021 में भारत ने यूएन सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में पीसकीपिंग के मुद्दे पर दो अहम आउटकम डाक्यूमेंट्स को अंगीकार किया था. जिसमें पहला था संयुक्त राष्ट्र शांति अनु. रक्षकों के खिलाफ अपराध की जिम्मेदारी पर प्रस्ताव और दूसरा था टेक्नोलॉजी फॉर पीसकीपिंग पर प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट को एडॉप्ट करना. इस विषय पर यह यूएन सुरक्षा परिषद का पहला ऐसा दस्तावेज था जिसे भारत के नेतृत्व में अंगीकृत किया गया था.

इस साल भारत ने, संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सेवारत शान्तिरक्षकों के लिये, कोरोनावायरस वैक्सीन की दो लाख खुराकें उपहार स्वरूप भेंट की थीं.

यूएन के अनुसार, वर्तमान में विश्व में संयुक्त राष्ट्र के शान्तिरक्षक विभाग के नेतृत्व में, 12 शान्तिरक्षक अभियानों में 95 हजार से ज्यादा शान्तिरक्षक तैनात हैं, जिनमें योगदान करने वाले देशों में भारत की एक अहम भूमिका है.

NOTES

3 इंग्लिश चैनल : फ्रांस और ब्रिटेन के बीच विवाद का मुद्दा

फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच प्रवासी शरण ाार्थियों को लेकर विवाद बढ़ गया है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन को संबोधित एक पत्र ट्विटर पर पोस्ट किया और कहा कि फ्रांस माइग्रेंट्स की क्रॉसिंग के मामले में गंभीर नहीं है और इस संकट के समाधान के लिए ईमानदारी से नहीं सोच रहा है. जवाब में फ्रांस ने हाल ही में माइग्रेंट क्रॉसिंग के मामले में ब्रिटेन से होने वाले वार्ता को रद्द कर दिया है क्योंकि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो ट्विटर पर लेटर पोस्ट किया गया है वह फ्रांस के अनुसार अस्वीकार्य है. हाल में ही इंग्लिश चैनल को पार करते हुए 27 प्रवासी शरणार्थियों की मौत हो गई है. इंग्लिश चैनल की सीधी लंबाई 34 किलोमीटर है, लेकिन लहरों के कारण इसे पार करना बहुत कठिन है.

इस घटना के बाद फ्रांस और ब्रिटेन के रिश्ते प्रभावित हुए हैं. दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर पोस्ट लेटर में उन तरीकों का प्रस्ताव किया है जिससे फ्रांस से ब्रिटेन में आने वाले प्रवासियों को रोका जा सके. फ्रांस और ब्रिटेन के बीच स्थित इंग्लिश चैनल को पार करते हुए 27 प्रवासियों की नाव इंग्लिश चौनल में डूब गई, जिससे फ्रांस बहुत आहत है. ये 27 लोग यूनाइटेड किंगडम में शरण लेना चाहते थे. यह घटना उत्तरी फ्रांस के कैलिस पोर्ट के पास घटित हुई. इन 27 में 3 छोटे बच्चे भी थे.

संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने कहा है कि यह ट्रेजेडी 2014 के बाद से लार्जेस्ट लॉस ऑफ लाइफ है इस संगठन ने इंग्लिश चौनल में मिसिंग माइग्रेंट्स के आंकड़ों को जब कलेक्ट करना शुरू किया तब यह निष्कर्ष सामने आया.

ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मतभेद इस मुद्दे पर बढ़ा है कि इन प्रवासियों के जीवन और उनकी क्षति की जिम्मेदारी कौन लेगा? दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी रखे हुए हैं. ब्रिटेन के गृह मंत्री का कहना है कि यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है और इंग्लिश चौनल में सक्रिय क्रिमिनल गैंग भी चिंताएं उत्पन्न कर रही हैं.

माइग्रेंट की स्मगलिंग का मुद्दा भी उन्होंने उठाया और शरणार्थियों के ब्रिटेन में शरण के मुद्दे पर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा यानी अलग-अलग तर्क और औचित्य पेश किए गए.

प्रीति पटेल ने तो यहां तक कह दिया कि फ्रांस इस बात का ध्यान रखें और ऐसी व्यवस्था करें कि उसके कैलिस बंदरगाह से शरणार्थी ब्रिटेन में इस तरीके से प्रवेश न करें. ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि ऐसी घटना के बाद भी फ्रांस की नावें यूके के डोवर बंदरगाह पर आ रही हैं.

यहां समस्या की जड़ यह है कि ब्रिटेन ने ब्रेकजिट यानी यूरोपियन यूनियन की सदस्यता त्यागने के बाद शरणार्थियों के संदर्भ में हुए डबलिन एग्रीमेंट से भी अपने को बाहर कर लिया है. इसके चलते शरणार्थियों के मुद्दे पर उसका किसी भी यूरोपीय देश द्वारा सहयोग प्राप्त करना भी कठिन हो गया है. लेकिन बात जब इंग्लिश चौनल की हो और वहां शरणार्थियों के सर्च और रेस्क्यू मिशन्स की हो तो फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और कुछ अन्य देशों के बीच सहयोग जरूरी हो जाता है.

डबलिन एग्रीमेंट में कहा गया है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देश शरण की तलाश करने वाले शरणार्थियों, प्रवासियों को वैसे ही संरक्षण प्रदान करेंगे जैसा कि सभी ईयू सदस्य राष्ट्रों को मिलता है. डबलिन एग्रीमेंट में यह प्रावधान है कि कोई भी शरणार्थी जिस भी देश में पहले पहुँचेगा, उसे उसी देश में शरण, आश्रय लेने का दावा करना होगा. गौरतलब है कि ब्रिटेन शरणार्थी के मुद्दे को बोझ के रूप में देखता रहा है, वहीं जर्मनी ने यूरोप में सबसे अधिक संख्या में शरणार्थियों को शरण दे रखी है.

इंग्लिश चैनल के बारे में :

इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है. यह तकरीबन 560 कि.मी. (1,840,000 फीट) लंबी है और चौड़ाई में 240 कि.मी. (790,000 फीट) है. इसकी व्यापकता डोवर जलडमरूमध्य में केवल 34 कि.मी. (112,000 फीट) तक है. यह यूरोप के महाद्वीपीय शेल्फ के आसपास के उथले समुद्रों में सबसे छोटा है जिसमें तकरीबन 75,000 कि.मी. (8.1×1011 वर्ग फुट) का एक क्षेत्र शामिल है.

NOTES

4 हिन्द महासागर सम्मेलन 2021 और भारत

हिन्द महासागर के निर्विवाद महत्व के बारे में पूरा विश्व जानता हैं. हिन्द महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है. सागरीय मार्ग से होने वाले 80 प्रतिशत तेल व्यापार हिन्द महासागर में स्थित समुद्री व्यापारिक मार्गों से ही गुजरता है और इसीलिए हिन्द महासागर को महाशक्तियों के महत्वाकांक्षा की झील भी कहते हैं.

हिंद महासागर एक साझा परिसंपत्ति है और दुनिया के आधे कंटेनर जहाजों, दुनिया के थोक कार्गो यातायात का एक तिहाई और दुनिया के दो तिहाई तेल लदान को ले जाने वाले प्रमुख समुद्री लेन के नियंत्रण के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार और परिवहन के लिए यह एक साझी परिसंपत्ति और जीवन रेखा है.

यहां अपनी नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत करने का प्रयास कई देश करते रहे हैं. नौसैनिक अड्डों के निर्माण के लिए देश यहां सक्रिय हैं, यहां के भिन्न भिन्न संसाधनों के लिए भी राष्ट्रों की भूख देखी गई हैं. लेकिन पिछले एक दशक में हिन्द महासागर क्षेत्र की स्थिरता, समृद्धि, विकास के लिए कुछ बड़ी शक्तियों में सहमति बननी शुरू हुई है, और वे संस्थागत स्तर पर समिट, कॉन्फ्रेंस के स्तर पर हिन्द महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए काम करते नजर आये हैं.

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के अबूधाबी में आयो. जित 5 वें 'हिंद महासागर सम्मेलन' 2021 को संबोधित किया. इसमें 200 प्रतिनिधि मंडलों और 30 देशों ने भाग लिया. इस वर्ष के सम्मेलन की थीम इकोलॉजी, इकॉनमी और एपिडेमिक पर केंद्रित थी.

इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंडिया फाउंडेशन ने **RSIS** सिंगापुर, श्रीलंका के इंस्टिट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज और संयुक्त अरब अमीरात के एमिरेट्स सेन्टर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड रिसर्च के गठजोड़ में किया गया. इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में हिंद महासागर के विकास को प्रभावित किया है. इसका सबसे बड़ा कारण क्षेत्र को लेकर बदलती अमेरिकी रणनीति है. बदली हुई रणनीति में अमेरिका हिंद महासागर क्षेत्र में अपने पुरातन सोच की तुलना में ज्यादा सक्रिय साझेदार बना है. वर्ष 2008 के बाद से हमने अमेरिकी शक्ति के प्रदर्शन में अधिक सावधानी देखी है. उसने इसके अतिविस्तार को ठीक करने का प्रयास किया है. कुल मिलाकर अमेरिका अपने और दुनिया के बारे में यर्थाथवाद की ओर बढ़ रहा है. वह बहुध्रुवीय व्यवस्था व पुनर्संतुलन में समायोजन कर रहा है. अमेरिका अपनी घरेलू पुनर्वास और विश्व के प्रति अपनी वचनबद्धता का पुनर्परीक्षण कर रहा है. दूसरा बड़ा बदलाव चीन का उदय है. वैश्विक स्तर पर उसकी सत्ता का उदय असाधारण ढंग से हुआ है. यह एक अलग तरह की राजनीति है, जो परिवर्तन की भावना को बढ़ाती है. रूस ने भले ही कुछ ऐसी स्थिति कभी पैदा की होंगी, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में कभी भी ऐसी केंद्रीय स्थिति नहीं थी जो आज चीन के पास है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा है कि हिंद महासागर में चीन का बढ़ता वर्चस्व काफी चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में चीन के उदय ने हिंद महासागर के विकास को प्रभावित किया है. इसके अलावा भारत का इस बैठक में कहना था कि इस ग्लोबल विश्व में नौग. मन की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए. बता दें कि प्रथम हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन सितंबर, 2016 में सिंगापुर में किया गया था. वहीं 31 अगस्त, 2017 को कोलंबो में इसका दूसरा सम्मेलन, अगस्त, 2018 में वियतनाम के हनोई में इसका तीसरा सम्मेलन, सितंबर, 2019 में मालदीव के माले में चौथा और अब कोविड 19 की बाधा के बाद 2021 में अबू धाबी में इसके 5वें सम्मेलन का आयोजन किया गया.

हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों में आज आर्थिक और सुरक्षा संबंधी सहयोग को मजबूत करना, भूमि और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए क्षमताओं को बढ़ाना, टिकाऊ क्षेत्रीय विकास की दिशा में काम करना, टिकाऊ और विनियमित फिशिंग सहित ब्लू अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री डकैती, आतंकवाद, अवैध, असूचित और अनियमित (आईयूयू) फिशिंग आदि जैसे क्षेत्रों की पहचान कर हिन्द महासागर को सुरक्षित करना समय की मांग है. हिन्द महासागर क्षेत्र को समुद्री डकैती, ड्रग्स/ लोगों और हथियारों की तस्करी, मानवीय एवं आपदा राहत और खोज और बचाव (एसएआर) जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें राष्ट्रों द्वारा समुद्री सहयोग के जरिए पूरा किया जा सकता है. 7500 किलोमीटर की विशाल तट रेखा वाले हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में भारत की सक्रिय भू. मिका सभी देशों के शांतिपूर्ण और समृद्ध सह-अ. स्तित्व के लिए है.

NOTES

1 आयुष मंत्रालय में अश्वगंधा के पत्तों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन किया

आयुष मंत्रालय ने एएसयू (आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी) दवाओं में अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफ. रल) के पत्तों के उपयोग से संबंधित मामले की पुन: समीक्षा करने का फैसला किया है और इसके लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है.

इससे पहले मंत्रालय ने एएसयू दवाओं में अश्वगंधा की पत्तियों का इस्तेमाल ना करने का परामर्श जारी किया था. आयुष मंत्रालय ने इसका प्रयोग न करने की सलाह इसलिये दी थी क्योंकि अश्वगंधा के पत्तों के प्रयोग की सिफारिश क्लासिकल आयुर्वे. दिक ग्रंथों में नही की गई है, बल्कि प्राचीनतम आयुर्वेदिक ग्रंथों में अश्वगंधा के जड़ों (तववजे) के प्रयोग की सिफारिश की गई है. इसी बात को आयुष मंत्रालय ने आधार बनाकर अश्वगंधा के पत्तों के उपयोग पर रोक लगाने के मद्देनजर एएसयू ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को अक्टूबर माह में पत्र लिखा था और इसके बाद एएसयू दवा विनिर्माण उद्योग के शेयरहोल्डरों से एप्लीकेशन प्राप्त हुए थे. साथ ही, आयुष मंत्रालय ने हित धारकों को एएसयू उत्पादों में अश्वगंधा के पत्तों के उपयोग को लेकर अपनी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था.

इसी चर्चा के आधार पर मंत्रालय ने अश्वगंधा (विथानिया सोम्निफरल) के पत्तों के उपयोग से बचने के लिए दवा निर्माताओं को जारी किए गए परामर्श की पुन: समीक्षा करने का फैसला किया है. विशेषज्ञ समूह वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर एएसयू उत्पादों में अश्वगंधा के पत्तों/अश्वगंधा के पंचांग के उपयोग पर भारत सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करेगा.

अश्वगंधा पादप का महत्व :

अगर हम अश्वगंधा पौधे और इसके पत्तियों के महत्व की बात करें तो आयुष मंत्रालय के इसके प्रयोग को रोकने के पूर्व के फैसले पर आश्चर्य होगा.

अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंग या विंटर चेरी या प्वाइजन गूजबेरी भी कहते हैं. यह भारतीय उपमहाद्वीप का नेटिव प्लांट है. इसकी जड़ें और पत्तियों का आयुर्वेदिक औषधि के हिसाब से बहुत अधिक महत्व है.

इसका इस्तेमाल आर्थराइटिस, इनसोम्निया (अनिद्रा), एंजायटी, ट्यूमर्स, ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, ल्युकोडर्मा, ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक लिवर डिजीज आदि के उपचार में किया जाता है. अनु. संधानों में यह बात भी सामने आई है कि यह ब्लड शुगर लेवल में कमी करता है. इन्सुलिन के स्राव को बढ़ाता है. यह कैंसर के खिलाफ काफी लाभकारी पाया गया है. ऐसा पाया गया है कि यह कैंसर की नई कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में सक्षम है. साथ ही पहले से ही शरीर में मौजूद कैंसर कोशिकाओं को मार सकता है. इनमें से अधिकांश निष्कर्ष एनिमल पर किये गए अध्ययनों में सामने आए हैं.

अश्वगंधा की उपयोगिता के बारे में यह भी बताया गया है कि यह शरीर में कार्टिसोल के लेवल में कमी कर तनाव यानी स्ट्रेस को दूर करने में सहायक है, इसीलिए इसकी पत्तियों का इस्तेमाल चाय में भी किया जाता है.

यह प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है यानी इम्युनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है. यह नेचुरल किलर सेल्स यानी इम्युनिटी सेल्स की एक्टिविटी में वृद्धि करता है जो शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायक होता है.

अश्वगंधा मेल फर्टिलिटी में भी सुधार करता है. यह टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन के उत्पादन और स्पर्म हेल्थ को ठीक रखने में भी सहायक है

2 2022 की शुरुआत में कर्नाटक के पहले समुद्री अभ्यारण्य के गठन का निर्णय

समुद्री पारितंत्र और जैव विविधता का संरक्षण वर्तमान समय की मांग है. सागरीय जीव जंतुओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण किया जाना आवश्यक है .यह उतना ही आवश्यक है जितना स्थल पर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कम्युनिटी रिजर्व, वा. इल्डलाइफ कॉरिडोर बनाना आवश्यक होता है. वर्तमान में जिस तरह से सागरों में प्लास्टिक की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और इसके अलावा समुद्री जीव जंतुओं के अवैध व्यापार की प्रवृत्ति भी तेज गति से बढ़ी है, उसको देखते हुए समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को अधिक संख्या में निर्मित करना जरूरी हो गया है. भारत के कई राज्यों में इसलिए मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के तहत मरीन सैंक्चुअरी और कुछ राज्यों में मरीन नेशनल पार्कों का गठन किया जा चुका है. इसी कड़ी में हाल ही में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के होन्नावर क्षेत्र में वर्ष 2022 के शुरुआत में ही कर्नाटक की पहली मरीन अभ्यारण गठित करने का निर्णय लिया गया है. कर्नाटक के चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन ने इस बात की पुष्टि की है.

दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करें तो दो अन्य प्रमुख राज्यों केरल और तमिलनाडु में समुद्री अभ्यारण्य पहले से ही है. इसके अलावा सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की थी कि वह पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग (समुद्री गाय) संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा जो 500 वर्ग किमी. के क्षेत्र में होगा.

कर्नाटक के कुछ प्रमुख समुद्री तटों की बात करें तो उनमें शामिल हैं :

भटकाल समुद्री तट, देवबाघ तट, करवार समुद्री तट, मेल्प तट, मारावंथे तट, मुरुदेश्वर तट और सेंट मेरी आइलैंड तट.

वर्तमान में भारत में 6 मरीन नेशनल पार्क्स हैं जिसमें 2 अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में, 1 गुज. रात में, 1 ओडिशा में और 1-1 तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हैं.

भारत में कुल 6 मरीन नेशनल पार्क हैं :

- रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार द्वीप समूह
- गहिरमाथा मरीन नेशनल पार्क, उड़ीसा
- गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क,

तमिलनाडु
- मालवन मरीन नेशनल पार्क, महाराष्ट्र
- महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह
- मरीन नेशनल पार्क, जामनगर, गुजरात

वहीं भारत में स्थित कुछ प्रमुख समुद्री अभ्यारण्य हैं :

आंध्र प्रदेश : कोरिंगा , पुलीकट और कृष्णा

ओडिशा : चिल्का , गहिरमाथा , भितरकनिका , बालुखण्ड कोणार्क

तमिलनाडु : पॉइंट कैलिमर, पुलीकट झील-

3 मानव-पशु संघर्ष

सन्दर्भ :-

हाल ही में मानव-पशु संघर्षों में पांच हाथियों की मौत हो गई.निरंतर बढ़ता मानव -पशु संघर्ष जैव विवधता संकट का एक बड़ा कारण बन रहा है.

मुख्य बिन्दु :-

- तमिलनाडु तथा केरल में मानव-पशु संघर्षों में एक सप्ताह के भीतर पांच हाथियों की मृत्यु ट्रेनों से टकराने तथा बिजली के तारों से टकराने के कारण हुई. इस आकड़े ने पुन: देश में मानव-पशु संघर्षों को कम करने के प्रयास की कमियों की उजागर कर दिया है.
- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलीफेंट डिवीजन द्वारा मई में आरटीआई सवालों के जवाब में यह बताया गया कि पिछले 11 वर्षों में 1,160 हाथियों की मृत्यु हुई हैं. जिसमे बिजली के झटके से 741 मौतें, 186 मौतें रेलवे दुर्घटना से तथा अवैध शिकार से 169 और विषक्तिकरण से 64 हाथियों की मृत्यु हुई हैं.
- कैग ने रेल मंत्रालय पर अपनी नवीनतम अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पुष्टि की है कि जो रेलवे ट्रैक हाथी गलियारों में पड़ते हैं उनमें हाथियों की मृत्य अधिक होती है.

क्या हो सकते हैं समाधान :-

- हाथियों की मृत्यु के मुख्य दो कारण हैं पहला इलेक्ट्रोक्यूशन तथा दूसरा ट्रेन हिट. तमिलनाडु और केरल में योजना के अनुसार हैंगिंग सोलर पावर्ड बाड़ लगाना और हाथियों को रोकने के लिए असम के गोलाघाट जिले की तरह सिट्रोनेला और लेमन ग्रास लगाने से कुछ प्रभाव आ सकते हैं.
- अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई अवैध बिजली की बाड़ या कांटेदार तार की बाड़ न हो. इसके बदले सौर ऊर्जा से संचालित बिजली का प्रयोग किया जाए.
- स्थानीय समुदायों की भागीदारी महत्वपूर्ण है. जैव विविधता संरक्षण में हाथियों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में हाथी गलियारों में रहने वाले लोगों को जागरूक करना चाहिए.
- पर्यावरण मंत्रालय और रेल मंत्रालय को भी जानवरों के सुरक्षित मार्ग के लिए एलिवेटेड वा. इल्डलाइफ क्रॉसिंग या इको-ब्रिज और अंडर पास के प्रस्तावों में तेजी लानी चाहिए।
- कैग की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मध्य और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अधिकार क्षेत्र में अंडरपास और ओवरपास के निर्माण के बाद, हाथियों की दुर्घटना में मृत्यु में कमी आई है.अत: इस प्रकार के अन्य उपायों को स्वीकारना चाहिए.

प्रोजेक्ट एलिफैंट के विषय में :-

प्रोजेक्ट एलीफेंट 1992 में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था. इस परियोजना के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सपोर्ट वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट द्वारा प्रदान किया जा रहा है.

उद्देश्य:-

इस परियोजना के निम्न उद्देश्य है :-

- हाथियों, उनके गलियारों तथा आवास की रक्षा.
- मानव पशु संघर्ष के मुद्दे का निस्तारण.
- हाथियों का कल्याण.
- हाथी दांत के लिए हाथियों के शिकार पर रोक.

परियोजना मुख्य रूप से भारत के उन क्षेत्रों में थी जहां हाथियों की संख्या अधिक पाई जाती है.भारत में हाथी मुख्य रूप से 16 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं.

निष्कर्ष :-

भारत में 29,964 हाथियों में से, लगभग 14,580 दक्षिणी क्षेत्र में हैं, और संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र को मानव-पशु संघर्ष की समस्या का स्थायी समाधान खोजने की आवश्यकता है.

NOTES

विज्ञान एवं तकनीक

1 डीआरडीओ ने 'वर्टिकल लॉन्च- शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल' का सफल परीक्षण किया

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संग. ठन (डीआरडीओ) ने वर्टिकल लॉन्च-शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (**VL-SRSAM**) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. इससे पहले डीआरडीओ ने 22 फरवरी, 2021 को दो वर्टिकल लॉन्च- शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया था. इस परीक्षण में वर्टिकल लॉन्च प्रणाली की प्रभावकारिता के साथ-साथ मिसाइल की अधिकतम और न्यूनतम सीमा का परीक्षण किया गया था. जबकि हाल में किया गया परीक्षण डीआरडीओ ने सभी हथियार प्रणाली घटकों के एकीकृत संचालन का परीक्षण करने के लिए किया है. परीक्षण में मिसाइल ने 15 किलोमीटर दूर स्थित अपने लक्ष्य को सरलतापूर्वक भेद लिया है.

परीक्षण के मुख्य तथ्य

वर्टिकल लॉन्च-शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया. मिसाइल का लॉन्च एक ऊर्ध्वाधर लॉन्चर से बहुत कम ऊंचाई पर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य की तरफ किया गया था. मिसाइल के उड़ान पथ और अन्य मानकों को ट्रैक करने के लिए कई उपकरणों का उपयोग किया गया. ध्यातव्य है कि इन ट्रैकिंग उपकरणों को आईटीआर, चांदीपुर द्वारा तैनात किया गया था. बता दें कि इस मिसाइल का विकास नौसेना की वॉरशिप के लिए किया गया है. इस प्रणाली के विकास के बाद हवाई खतरों के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाजों की रक्षा क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा. वहीं इस तकनीकी के पूर्ण विकास के बाद नौसैनिक जहाजों पर हथियार प्रणालियों के एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त होगा. साथ ही इस तकनीक का उद्देश्य समुद्री स्कीमिंग टारगेट सहित सीमा पर हवाई हमले को बेअसर करना है. कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल का लॉन्च सभी हथियार प्रणाली घटकों से किया जा सकता है.

वीएल- एस आर.यस ए एम मिसाइल (VL-SRSAM)

वीएल-एसआरयसएएम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है. इसमें फाइबर-ऑप्टिक जायरोस्कोप के माध्यम से मिड-कोर्स इनेर्सि. अल गाइडेंस के साथ-साथ टर्मिनल चरण के दौरान सक्रिय रडार होमिंग जैसी विशेषताएं शा. मिल हैं. इस मिसाइल में 'लॉन्च से पहले लॉक (**LOBL**)' और लॉन्च के बाद लॉक (**LOAL**) की क्षमता है.

आर्थिक

1 ऑपरेशन चेक शर्ट्स

हाल ही में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3.7 करोड़ रुपये की अवैध विदेशी मुद्रा के साथ 2 यात्रियों को पकड़ा है. इस मुहिम की खास बात यह रही है कि ऑपरेशन चेक शर्ट्स के तहत, डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने भारत के बाहर विदेशी मुद्रा की तस्करी करने के इरादे से इन दो यात्रियों पर विशिष्ट खुफिया जानकारी प्राप्त की थी. उनके सामान की जांच के दौरान अमरीकी डॉलर और सऊदी दिरहम के 3.7 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है.

इन तस्करों द्वारा विदेशी मुद्रा को कैरी-ऑन लगेज के निचले हिस्से में धूर्तता से डिजाइन किए गए स्थान में छुपा कर रखा गया था. छुपाने के तरीके से साधारण बैगेज के स्कैन में इसका पता लगाना मुश्किल होता. इन यात्रियों से बरामद विदेशी मुद्रा को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया है.

विदेशी मुद्रा का अवैध निर्यात करना सीमा शुल्क अधिनियम के संदर्भ में "तस्करी" के अलावा, गैरकानूनी और आपराधिक गतिविधियों द्वारा अवैध आय का एक साधन है. इसके अलावा, यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा है. डीआरआई भारत में और देश के बाहर विदेशी मुद्रा, सोना, नशीले पदार्थों और अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी को रोकने के लिए काम करता है. पिछले डेढ़ महीने में किसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी विदेशी मुद्रा जब्ती का यह चौथा ऐसा मामला है.

अगर जाली मुद्रा के व्यापार की बात करें तो भारत नेपाल सीमा, भारत-पाकिस्तान सीमा और भारत-बांग्लादेश सीमा से देश के अंदर जाली मुद्रा के कारोबार को बढ़ावा देने वाले गिरोह सक्रिय रहे हैं.

लेकिन सरकार ने देश में जाली भारतीय करेंसी नोटों की तस्करी और प्रचलन को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न. लिखित हैं:-

1. नई निगरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके 24 घंटे निगरानी के लिए अतिरिक्त ह्यूमन रिसोर्स को

तैनात करना, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी चौकियां स्थापित करके, सीमा पर बाड़ लगाकर और गहन गस्त लगाकर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा प्रदान की गई है.

2. देश में जाली करेंसी नोटों के प्रचलन की समस्या का सामना करने के लिए राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी या सूचना को साझा करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जाली भारतीय करेंसी नोट समन्वय समूह यानी एफसीओआरडी बनाया गया है.

3. आतंक के वित्त पोषण तथा जाली करंसी के मामलों की जांच करने के लिए एनआईए में टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल यानी कि टीएफएफसी का गठन किया गया है.

4. जाली करेंसी नोटों की तस्करी और प्रचलन को रोकने के लिए और उसका सामना करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है.

5. नेपाल और बांग्लादेश के पुलिस पदाधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि उन्हें भारतीय मुद्रा की तस्करी या जालसाजी अथवा काउंटर फिटिंग के बारे में जानकारी दी जा सके.

2 आल इण्डिया क्वार्टली इस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे

सन्दर्भ :

हाल ही में आल इण्डिया क्वार्टली इस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे द्वारा कोरोना महामारी में हुई क्षेत्रवार बेरोजगारी का सर्वेक्षण किया गया. इस सर्वे के अनुसार देशव्यापी लॉकडाउन में लगभग 7.5 % लोगों को बेरोजगार होना पड़ा.

सर्वे के मुख्य बिन्दु :

- इस सर्वेक्षण के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में कोरोना के दौरान लगभग 14.2 लाख लोगों को अपना रोजगार गवाना पड़ा है.
- व्यापार तथा शिक्षा के क्षेत्र में कुल जॉब लॉस क्रमशः 1.8 लाख तथा 2.5 लाख रहा है.
- वहीं दूसरी तरफ वित्त क्षेत्र के व्हाइट कॉलर जॉब में लगभग 40,000 तथा आईटी और बीपीओ क्षेत्र में 1 लाख लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं.
- महिलाओं में जॉब लॉस का प्रतिशत लगभग 7.44% रहा है। श्रम तथा रोजगार मंत्री द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह वक्तव्य दिया गया कि विनिर्माण क्षेत्र में 3.3 लाख महिलाओं की जॉब गई है, वहीं लगभग 11 लाख पुरुष इससे प्रभावित हुए हैं.
- कोरोना के दौरान लगभग 81% लोगों को पूर्ण पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है जबकि 16% लोगों को तुलनात्मक रूप से कम पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है, वहीं सर्वे के अनुसार 3% लोगों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ है.
- समग्र रूप से 9 क्षेत्रों में कुल 23 लाख लोगों को अपनी नौकरी गवानी पड़ी जिसमें लगभग 16 लाख पुरुष तथा 7 लाख महिलाऐं हैं.

क्षेत्रवार आकड़े निम्नवत तालिका में वर्णित हैं

क्षेत्र	कार्यरत पुरुषों की संख्या 25 मार्च 2020 (लॉकडाउन के पूर्व) (लाख में)	कार्यरत पुरुषों की संख्या लॉकडाउन के उपरान्त (लाख में)	क्षेत्रवार कार्यरत महिलाओं की संख्या 25 मार्च 2020 (लॉकडाउन के पूर्व)(लाख में)	क्षेत्रवार कार्यरत महिलाओं की संख्या (लॉकडाउन के उप. रान्त)(लाख में)
विनिर्माण	98.7	87.9	26.7	23.3
कंस्ट्रक्शन	5.8	5.1	1.8	1.5
व्यापार	16.1	14.8	4.5	4
परिवहन	11.3	11.1	1.9	1.9
शिक्षा	38.2	36.8	29.5	28.1
स्वास्थ्य	15	14.8	10.6	10.1
रेस्टोरेंट	7	6.2	1.9	1.7
आईटी/बीपीओ	13.6	12.8	6.3	6.1
वित्तीय सेवा	11.5	11.3	5.9	5.7
कुल	217.8	201.5	90.0	83.3

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें

1. बहुआयामी गरीबी के आंकड़े नीति आयोग द्वारा जारी

हाल में ही नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी (एमपीआई) के आंकड़े जारी किये हैं. एमपीआई के आंकड़े मुख्यत: तीन समान रूप से भारित आयाम- स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर जरी किये जाते हैं. इन आयामों को 12 संकेतकों जैसे पोषण, स्कूल में उपस्थिति, स्कूली शिक्षा के वर्ष, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते आदि द्वारा दर्शाया जाता है. इस बार के एमपीआई आंकड़े, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) की 2015-16 के आधार पर दिए गए हैं. जारी किये गए एमपीआई आंकड़ों के मुख्य निष्कर्ष निम्न लिखित हैं:-

- आंकड़ों के अनुसार, बिहार में बहुआयामी गरीब लोगों का अनुपात सबसे अधिक है. सूचकांक के अनुसार, बिहार में 51.91% आबादी बहुआयामी गरीब है. बिहार के बाद क्रमश: झारखंड (42.16%), उत्तर प्रदेश (37.79%), मध्य प्रदेश (36.65%) और मेघालय (32.67%) का स्थान आता है.
- सूचकांक में 0.71% स्कोर के साथ केरल का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है. वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में, पुडुचेरी में गरीबों का अनुपात सबसे कम 1.72% है.
- दादरा और नगर हवेली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दमन और दीव और चंडीगढ़ भारत के सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) हैं.

2. नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए परियोजना शुरू

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है. नंदा शिल्प सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक के माध्यम से भेड़ के ऊन से बना एक गलीचा (मोटा कपड़ा) होता है. नमदा कारीगर मुख्यत: कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं. यह शिल्प मुख्य रूप से पिंजारा और मंसूरी समुदायों में प्रचलित है.

परियोजना के मुख्य बिंदु :-

- परियोजना के अन्तर्गत कश्मीर के कारीगरों और बुनकरों को कुशल बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा. यह प्रशिक्षण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 3.0 के तहत दिया जायेगा.
- इसका उद्देश्य कश्मीर के स्थानीय बुनकरों और कारीगरों को आरपीएल मूल्यांकन और प्रमाणन के माध्यम से उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौशल प्रदान करना है.

3. बांग्लादेश और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास "कैरेट" संपन्न

बांग्लादेश कि नौसेना और अमेरिकी नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग (कैरेट) समुद्री अभ्यास संपन्न किया. नौ दिवसीय इस अभ्यास में नौसैनिक क्षमताओं को विस्तृत करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था. अभ्यास के उद्देश्य को बताते हुए बांग्लादेश के नेवी फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल एस एम अब्दुल कलाम आजाद ने बताया कि 'कैरेट' का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है. बता दें कि कैरेट नौसेना अभ्यास में बांग्लादेश 2011 में सम्मलित हुआ था.

कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग (अभ्यास कैरेट):

अभ्यास कैरेट एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक फ्लीट, यूएस नेवी का एक कमांड कई आसियान सदस्यों के साथ इसका संचालन करता है. वर्तमान में, अभ्यास कैरेट नौ देशों की नौसेनाओं के साथ आयोजित किया जाता है. जिनमें बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की नौसेनाएं शामिल होती हैं.

4. 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पणजी में आयोजित होगा

गोवा के पणजी में 10 से 13 दिसंबर तक, 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) 2021 आयोजित किया जाएगा. यह आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और गोवा सरकार के तत्वाधान में आयोजित किया जायेगा. महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों के 100 से अधिक वैज्ञानिक भाग लेंगे. साथ ही इस आयोजन में 70 देशों की 740 विज्ञान फिल्मों का अवलोकन किया जायेगा. आयोजन का आदर्श वाक्य "विज्ञान के उत्सव और सभी के द्वारा इसके प्रचार-प्रसार" है. अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पहला आयोजन विज्ञान भारती के सहयोग से 2015 में किया गया था.

5. पूर्ण स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजनस्काईरुट एयरोस्पेस ने विकसित किया

हैदराबाद की स्टार्टअप कम्पनी, स्काईरूट एयरोस्पेस ने पूर्ण स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाया है. यह इंजन, तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और तरल ऑक्सीजन पर कार्य करता है. यह पहला अवसर है जब किसी निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी ने एलएनजी (एक हरित ईंधन) का उपयोग किया है. क्रायोजेनिक तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर काम करती है. इस इंजन का नाम इसरो के पूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर धवन-1 रखा गया है. कम्पनी का दावा है कि क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक परीक्षण करने बाद वे बड़े क्रायोजेनिक इंजन का विकास करेंगे. जिसका उपयोग कम्पनी 2023 में लॉन्च होने वाले अपने रॉकेट विक्रम-2 में करेगी.

6. एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना के नए प्रमुख बनाये गए

एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना का नया प्रमुख बनाया गया है. वे नौसेना स्टाफ के 25वें प्रमुख होंगे. एडमिरल हरि कुमार, एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे, जो 30 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे. एडमिरल आर हरि कुमार नौसेना के 1983 बैच के अधिकारी हैं. नौसेनाध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने नौसेना के विभिन्न कमांड, स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियों में काम किया है. नौसेना में अपनी सेवा के दौरान आर हरि कुमार को परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया जा चुका है.

7. अंजू बॉबी जॉर्ज ने सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक्स का पुरस्कार जीता

भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने विश्व एथलेटिक्स का सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार जीता है. उनको यह सम्मान महिलाओं को खेलों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया है. इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज को 2004 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और 2003 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. वहीं पेरिस में 2003 में उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चौंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था विश्व चौंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं. वर्तमान में अंजू बॉबी जॉर्ज टीओपीएस (टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम) की चेयरपर्सन हैं और खेलो इंडिया प्रोजेक्ट की कार्यकारी सदस्य भी हैं.

8. लियोनेल मेसी ने सातवीं बार बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीता

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड सातवीं बार पुरुषों वर्ग का बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीता है. जबकि बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलस ने महिला वर्ग का बैलोन डी'ओर पुरस्कार जीता है. मिडफील्डर पुटेलस को पहली बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है. इससे पहले पुटेलस को अगस्त में यूईएफए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिल चुका है. वहीं स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को तथा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार जियानलुइगी डोनारुम्मा को मिला है. जबकि सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार बार्सिलोना के पेड्री को और सर्वश्रेष्ठ क्लब का खिताब चेल्सी को दिया गया है. वर्ष 2020 के बैलोन डी' आर पुरस्कार कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिए गए थे.

संक्षेप में जाने बैलोन डीश्ओर पुरस्कार को

बैलोन डी'ओर अवॉर्ड फ्रांस की फुटबॉल पत्रिका 'फ्रांस फुटबॉल' द्वारा दिए जाते हैं. यह पुरस्कार क्लब और राष्ट्रीय टीम से एक साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है. साल 1956 में पहली बार इन पुरस्कार कि शुरुआत की गयी थी. स्टेनली मैथ्यूज यह पुरस्कार पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी थे. वर्ष 2018 में पहली बार महिला फुटबॉलर्स को यह पुरस्कार देने कि शुरुआत हुई थी.

9. एससी छात्रों के उत्थान के लिए श्रेष्ठ योजना का आरंभ

दिसंबर को डॉ बी आर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर लक्षित क्षेत्रों के उच्च विद्यालयों में एससी छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना "श्रेष्ठ" शुरू की गयी है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों का सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास करना है. इस योजना के अंतर्गत 9वीं से 12वीं कक्षा तक अनुसूचित जाति के छात्रों में ड्राप आउट की समस्या को कम करना है. अपने आधिकारिक बयान में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अगले पांच वर्षों में मंत्रालय लगभग 25 हजार योग्य अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगा.

10. मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप सौरव घोषाल ने जीती

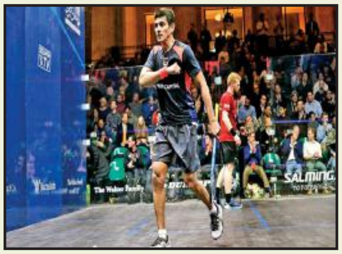

पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में कोलम्बिया के मिगुएल रोड्रिगेज को हराकर भारत के स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने मलेशियाई ओपन चौंपियनशिप जीत ली. यह खिताब जीतने वाले सौरव पहले भारतीय हैं. इससे पहले क्वार्टर फाइनल और प्री-क्वार्टर फाइनल में एल सरमे और एम गमाल को हराने के बाद, घोषाल ने सेमीफाइनल में फरांस के वी क्राउइन को 3-0 से हराया था. इसी मुकाबले में महिला एकल का खिताब मलेशिया की आइफा अजमान ने अपने नाम किया.

11. भारत और मालदीव के बीच 'एकुवेरिन' सैन्य अभ्यास संपन्न

भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास एकुवेरिन का 11 वां संस्करण मालदीव के कढधू द्वीप में संपन्न हुआ. यह सैन्य अभ्यास आतंकवादी विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों देशों के सशस्त्र बलों के मध्य तालमेल और अंतर-संचालन को बढ़ाने में सहयोग करेगा. इस वर्ष संयुक्त सैन्य अभ्यास में रक्षा सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां भी शामिल की गयी थी. हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा के चिंता बीच यह अभ्यास काफी अहमियत रखता है. बता दें कि भारत और मालदीव के मध्य एकुवेरिन सैन्य अभ्यास का आयोजन वर्ष 2009 से किया जा रहा है.

12. भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन से 40% बिजली उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया

भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित बिजली क्षमता के 40 प्रतिशत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लिया है. सीओपी-21 में भारत ने यह प्रतिबद्धता जताई थी कि वह वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के हिस्से के रूप में अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 40% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करेगा. नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक बयान में बताया की नवम्बर 2021 में भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 156.83 गीगावाट और नाभीकीय ऊर्जा क्षमता 6.780 गीगावाट है, जो कुल उत्पादित क्षमता का 40% है. हाल ही में हुए सीओपी-26 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है.

13. गीता गोपीनाथ को आईएमएफ की उप-प्रबंध निदेशक नियुक्त

भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का उप-प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है. इससे पहले वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री पद पर तैनात थी. गीता गोपीनाथ की नियुक्ति उनके वैश्विक अर्थव्यवस्था और फंड को "हमारे जीवन के सबसे खराब आर्थिक संकट" के "ट्विस्ट एंड टर्न्स" को नेविगेट करने के लिए दी गयी है. आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टा. लिना जॉर्जीवा ने बताया की, गोपीनाथ जेफ्री ओकामोटो का स्थान लेंगी. गीता गोपीनाथ मुख्य अर्थशास्त्री के अपने कार्यकाल को समाप्त कर जनवरी 2022 से वापस हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शैक्षणिक स्थिति में लौटने वाली थी. लेकिन अब वे उप-प्रबंध निदेशक के कार्यकाल के लिए आईएमएफ से जुड़े रहने का फैसला किया है.

14. सुशासन पर दो दिवसीय सम्मलेन भुवनेश्वर में संपन्न

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के तत्वाधान में ओडिशा के भुवनेश्वर में 3-4 दिसंबर, 2021 को सुशासन पर अर्ध-आभासी क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया. इस सम्मेलन की थीम "सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति" रखी गयी थी. आयोजन में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के लोक प्रशासन संगठनों को एक साझा मंच प्रदान करना था. अर्ध-आभासी प्रारूप में, भारत के उत्तर-पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों के 14 राज्यों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग किया.

15. हिमाचल प्रदेश कोविड-19 टीकाकरण पूरा करने वाला पहला राज्य बना

हिमाचल प्रदेश सभी वयस्कों का टीकाकरण (दोनों खुराक) पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इससे पहले सभी वयस्कों को पहली खुराक 100% लक्ष्य भी हिमाचल प्रदेश ने ही पूरा किया था. 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग देने के लिए कुछ चुने हुए स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया गया. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर में कोविड-19 कार्यकर्ताओं के सम्मान में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया था.

ब्रेन बूस्टर

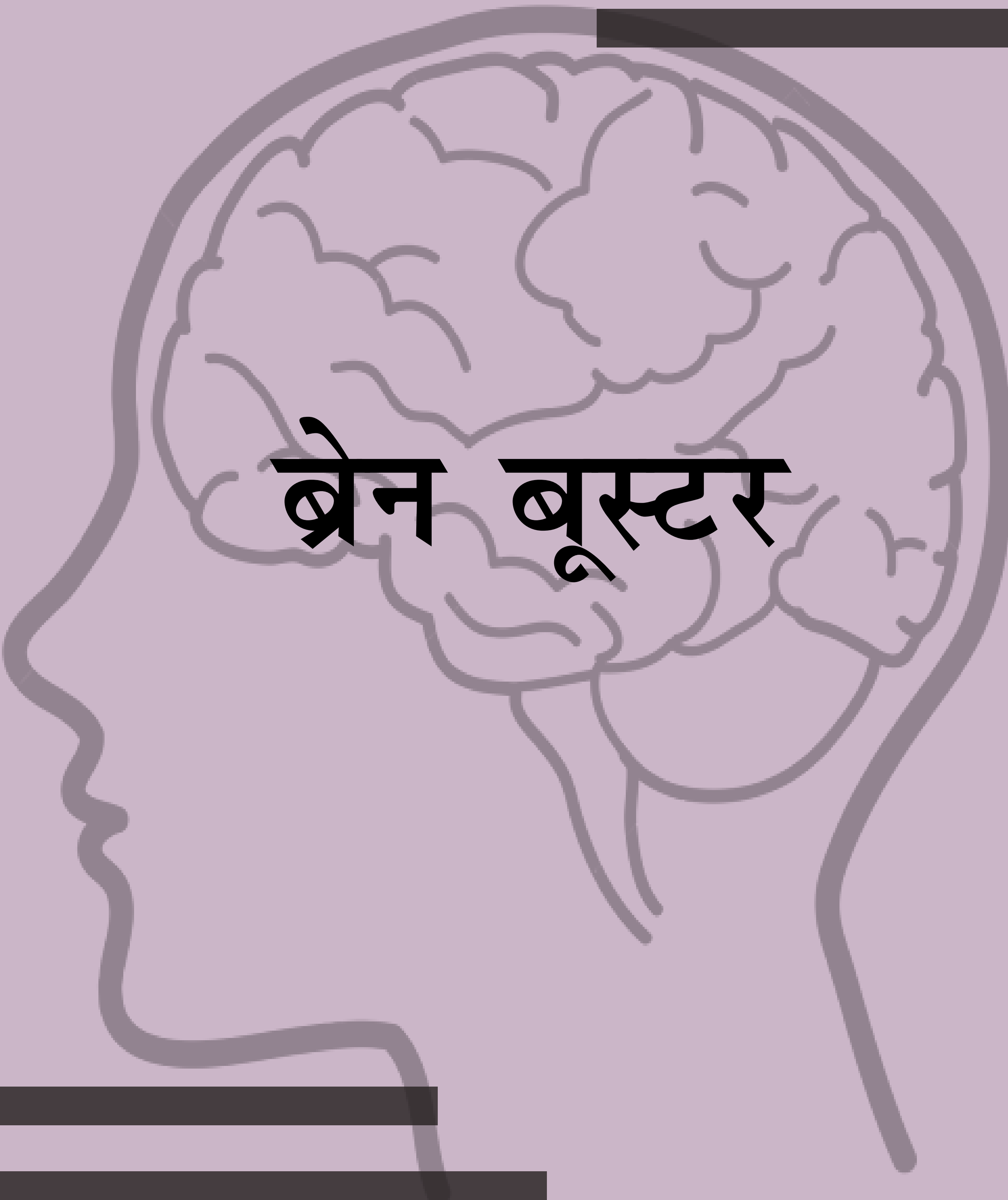

चीन-ताइवान विवाद

खबरों में क्यों ?

16 नवंबर, 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लगभग साढ़े तीन घंटे तक मुलाकात की. चीन के सरकारी मीडिया ने शी के हवाले से कहा, "यह आग से खेल रहा है, तुम जल जाओगे" यह बयान ताइवान के प्रति अत्यधिक चीनी आक्रामकता को दर्शाता है.

पीआरसी और आरओसी का निर्माण

- 1937 में जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया, तो माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्टों और जनरल च्यांग काई-शेक के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों ने जापानियों के खिलाफ एक गठबंधन बनाया.
- 1945 में मित्र देशों की सेना द्वारा जापान की हार के साथ, कम्युनिस्टों और राष्ट्रवादियों के बीच लड़ाई एक बार फिर भड़क गई, और जल्द ही चीन एक खूनी गृहयुद्ध में घिर गया.
- जैसे ही कम्युनिस्ट ताकतें जीतने लगी, च्यांग ने चीनी मुख्य भूमि से 100 मील दूर ताइवान के द्वीप पर सैनिकों और सोने के भंडार को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया.
- 1 अक्टूबर, 1949 को बीजिंग में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) की स्थाप. ना के दो महीने बाद, च्यांग और राष्ट्रवादियों ने ताइवान पर निर्वासित सरकार के रूप में प्रतिद्वंद्वी रिपब्लिक ऑफ चाइना (आरओसी) की स्थापना की. दोनों ने पूरे चीन की एकमात्र, वैध सरकार होने का दावा किया.

चीन-ताइवान तनाव

- 1954-55 तथा 1958 में, पीआरसी ने ताइवान के नियंत्रण में जिनमेन, माजू और दचेन द्वीपों पर बमबारी की, जिसके कारण अमेरिका को बीच में आना पड़ा.
- अमेरिकी कांग्रेस ने फॉर्मोसा प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति आइजनहावर को आरओसी की रक्षा के लिए अधिकृत किया.
- 1995-96 में, चीन ने ताइवान के आसपास के समुद्रों में मिसाइलों का परीक्षण शुरू किया, जिससे वियतनाम युद्ध के बाद से इस क्षेत्र में सबसे बड़ी अमेरिकी सेना भेजी गई.

क्या ताइवान (आरओसी) संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है?

- नहीं, चीन संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में एक सदस्य के रूप में ताइवान की भागीदारी को विरोध करता है
- ताइपे नियमित रूप से इसके बहिष्कार का विरोध करता है; संयुक्त राज्य अमेरिका भी ऐसे संगठनों में ताइवान की सार्थक भागीदारी पर जोर देता है.
- ताइवान चालीस से अधिक संगठनों में सदस्य है. उनमें से अधिकांश क्षेत्रीय, संगठन जैसे एशियाई विकास बैंक और एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच, विश्व व्यापार संगठन आदि हैं.

भारत के लिए मायने

- पिछली गर्मियों से चीन के साथ गतिरोध, भारत को अपनी 'एक चीन नीति' पर पुनर्विचार करने पर जोर दे कर रहा है.
- तिब्बत मुद्दे पर भी ध्यान देने और क्रिय. न्वयन की जरूरत है.
- चीन को संदेश देने के लिए भारत ने ता. इवान के साथ संबंध मजबूत किए हैं
- भारत और ताइवान वर्तमान में एक दूसरे की राजधानियों में "व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान" कार्यालय बनाए हैं.
- ताइवान और भारत, भारत में 7.5 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर तथा चिप निर्माण संयंत्र के लिए सौदे को अंतिम रूप दे रहे हैं.

ताइवान के राजनयिक संबंध

केवल पंद्रह देशो ने ताइवान के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध बनाए हुए हैं. किसी भी सरकार ने कभी भी चीन और ताइवान दोनों के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं बनाए हैं.

क्या ताइवान के लोग स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं?

- ताइवान में ज्यादातर लोग यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन करते हैं.
- राष्ट्रीय चेंगची विश्वविद्यालय द्वारा किए गए जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार, एक छोटी संख्या तत्काल स्वतंत्रता का समर्थन करती है.
- चीन के साथ ताइवान के एकीकरण के लिए बहुत कम देश समर्थन करते हैं.
- एक भारी बहुमत "एक देश, दो प्रणाली" मॉडल को अस्वीकार करता है. यह बीजिंग द्वारा हांगकांग की स्वतंत्रता पर किये गये प्रहार के बाद बढ़ी है.

वर्त्तमान गतिरोध के कारण

- 2016 में, ताइवान की वर्तमान राष्ट्रप. ति त्साई इंग-वेन चुनी गयी. वह डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) का नेतृत्व करती हैं, जो चीन से अंतिम आधिकारिक स्वतंत्रता की पक्षधर है.
- सुश्री त्साई ने 2020 में दूसरा कार्यकाल शुरू किया. उस समय तक ताइवान ने हांगकांग की अशांति तथा दमन को देखा था.
- पिछले साल, कोविड और व्यापार पर अमे. रिका-चीन के बिगड़ते संबंधों के बीच, विदेश विभाग ने अपना सर्वोच्च रैंकिंग प्रतिनिधिमंडल ताइपे भेजा था.
- अक्टूबर 2020 में, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएलए को युद्ध की तैयारी करने के लिए कहा, जिससे ताइवान में सतर्कता बढ़ गयी है.
- बाइडेन प्रशासन, ताइवान के लिए "रॉक सॉलिड" प्रतिबद्धता घोषित की है. ताइपे ने चीनी युद्धक विमानों द्वारा घुसपैठ के बारे में विश्व को आगाह किया है.

बच्चों का जलवायु जोखिम सूचकांक

खबरों में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने फ्राइडस फॉर फ्यूचर (fff) के सहयोग से "द क्लाइमेट क्राइसिस इज ए चाइल्ड राइट्स क्राइ. सिस" रिपोर्ट जारी की है.

रिपोर्ट के बारे में

- यह उच्च-रिजॉल्यूशन भौगोलिक मानचित्रों को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु प्रभावों का विवरण देने वाले मानचित्रों के साथ संयोजित करने वाली पहली जलवायु रिपोर्ट है जो उन क्षेत्रों को दिखाती है जहां बच्चे गरीबी और शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल या स्वच्छ पानी तक पहुंच की कमी सहित कई कमियों की एक श्रृंखला के कारण कमजोर हैं.
- रिपोर्ट में नए बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक (सीसीआरआई) का परिचय दिया गया है, जो एक समग्र सूचकांक है जो राष्ट्रों को निम्न आधार पर रैंक देता है

1. बच्चों का जलवायु खतरों के संपर्क में आना
2. जलवायु संकट से बच्चे वास्तव में कैसे प्रभावित होते हैं, इस विषय पर पहला व्यापक नजरिया प्रदान करना
3. सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों के आधार पर कार्यवाही को प्राथमिकता देने की मांग करने वाले नीति निर्माताओं के लिए एक रोड मैप की पेशकश करना
4. पाकिस्तान (14वां), बांग्लादेश (15वां), अफगानिस्तान (25वां) और भारत (26वां) दक्षिण एशियाई देशों में शामिल हैं जहां बच्चों पर जलवायु संकट के प्रभाव का अत्यधिक जोखिम है

- इससे पहले नोट्रेडेम ग्लोबल एडाप्टेशन इनिशिएटिव (एनडी-गेन) इंडेक्स पर आधारित एक विश्लेषण ने दुनिया भर के बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दिखाया था

वैश्विक स्थिति

- मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, नाइजीरिया, गिनी और गिनी-बिसाऊ जैसे देशों का विश्लेषण अधिकतम भेद्यता पर किया जाता है जहां बच्चे सर्वाधिक जोखिम में होते हैं
- यह पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की अत्यधिक कमी के कारण है और इस प्रकार, जलवायु के मुद्दे उन्हें विविध तरीकों से प्रभावित करते हैं
- दुनिया भर में लगभग हर बच्चे को कम से कम एक जलवायु और पर्यावरणीय खतरों से खतरा है जो तटीय बाढ़, नदी में बाढ़, चक्रवात, वेक्टर जनित रोग, सीसा प्रदूषण, गर्मी की लहरें और पानी की कमी हैं.

- अनुमानित 850 मिलियन बच्चे -(दुनिया भर में 3 में से 1)- ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां इनमें से कम से कम चार जलवायु और पर्यावरणीय समस्याएं ओवरलैप होती हैं.
- कम से कम 330 मिलियन बच्चे -(दुनिया भर में 7 में से 1)- कम से कम पांच बड़े समस्याओ से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जीएचजी) के कारण सबसे कम जिम्मेदार देशों के बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा. वे अन्य कारकों के अलावा जहरीले रसायनों, तापमान परिवर्तन और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील और सुभेद्य हैं.

भारतीय परिदृश्य

- भारत उन चार दक्षिण एशियाई देशों में से एक है जहां बच्चों को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सबसे अधिक खतरा है.
- यह अनुमान है कि आने वाले वर्षों में 600 मिलियन से अधिक भारतीयों को 'अत्यधिक पानी की कमी' का सामना करना पड़ेगा, जबकि साथ ही वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की वृद्धि के बाद भारत के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में फ्लैश फ्लडिंग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.
- 2020 में सबसे प्रदूषित हवा वाले दुनिया के 30 शहरों में से 21 शहर भारत में थे.

सिफारिशें

- बच्चों से संबंधित प्रमुख सेवाओं के लिए जलवायु अनुकूलन और लचीलेपन में निवेश बढ़ाना.
- तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए देशों को 2030 तक अपने उत्सर्जन को कम से कम 45% (2010 के स्तर की तुलना में) कम करने की आवश्यकता है.
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए अनुकूलन और तैयारी के लिए बच्चों को महत्वपूर्ण जलवायु शिक्षा और हरित कौशल प्रदान करें.

- सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं और निर्णयों में युवाओं को शामिल करें.
- हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 महामारी से उबरना हरित, निम्न-कार्बन और समावेशी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों की जलवायु संकट को संबोधित करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता से समझौता न हो.

- प्रत्येक बच्चे को किसी भी सामाजिक आपदा से सुरक्षित रखने के लिए अधिक देशों को बाल अधिकारों पर कन्वेंशन में अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में काम करने की आवश्यकता है.

भविष्य के विकल्प

- कार्बन डाइऑक्साइड का वैश्विक शुद्ध मानव निर्मित उत्सर्जन 2030 तक लगभग आधा हो जाना चाहिए, और 2050 तक "शुद्ध शून्य" तक पहुंच जाना चाहिए.

संविधान की मुख्य विशेषताएं

संविधान के बारे में

भारतीय संविधान अपने तत्वों और भावना में अद्वितीय है. इसमें दुनिया के लगभग हर संवि. धान से अच्छे तत्व लिए गए हैं लेकिन भारत के संविधान में कई मुख्य विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों के संविधानों से अलग करती हैं.

मुख्य विशेषताएं

1. सबसे लंबा लिखित संविधान

संविधानों को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है.

- लिखित जैसे भारत, जर्मनी, फ्रांस, यूएस
- अलिखित जैसे यूके, न्यूजीलैंड और इजराइल

भारतीय संविधान के विस्तृत होने के प्रमुख कारण

- **भौगोलिक कारकः**- देश की विशालता और विविधता के कारण
- **ऐतिहासिक कारकः**-भारत शासन अधिनियम 1935 के कारण जो कि विस्तृत था.
- केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एकल संविधान.
- संविधान सभा में विधि विशेषज्ञों की प्रमुखता.

2. विभिन्न स्त्रोतों का प्रभाव

- **भारत शासन अधिनियम,1935:**- संघीय तंत्र, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान तथा प्रशासनिक विवरण
- **ब्रिटिश संविधानः**- संसदीय शासन व्यवस्था, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नाग. रिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख और द्विसदनीयता
- **अमेरिकी संविधानः**- मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद.
- **आयरलैंड का संविधानः**- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि
- **जापान संविधानः**- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया.

3. कठोर एवं लचीलापन

- अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 2 तरह से संशोधन किये जा सकते है.
- केशवानंद भारती केस (1973) में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन यह संविधान के 'मूल ढांचे' को नहीं बदल सकती है.

4. सरकार का संसदीय स्वरूप

संसदीय प्रणाली को सरकार के 'वेस्टमिंस्टर' मॉ. डल, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार के रूप में भी जाना जाता है. सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताएं हैं.

- नाममात्र और वास्तविक कार्यपालको की उप. स्थिति
- बहुमत वाले दल का शासन
- विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी
- मंत्री किसी भी सदन के सदस्य होते हैं
- प्रधानमंत्री का नेतृत्व
- मात्र निचला सदन भंग होता है

5. मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान का भाग 3, छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है.

6. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए हैं. इनका लक्ष्य भारत में एक 'कल्याणकारी राज्य' स्थापित करना है.

7. संघीय व्यवस्था

भारत का संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली की स्थापना करता है. इसमें दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपा. लिका और द्विसदनीयता शामिल हैं.

8. एकात्मकता की ओर झुकाव

एकात्मक की ओर झुकाव एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचील. ापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाओं, आपातकालीन प्रावधानों आदि द्वारा देखा जा सकता है.

9. एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका

भारतीय संविधान एक एकीकृत और स्वतंत्र न्या. यिक प्रणाली की स्थापना करता है.

10. मौलिक कर्तव्य

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया. 86वें संविध ान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया.

11. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है उसे मतदान का अधिकार है. 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई

12. एकल नागरिकता

भारतीय संविधान संघीय है और इसमें सर. कारों का प्रावधान है केंद्र और राज्य. यह केवल एक ही नागरिकता प्रदान करता है, अर्थात भारत की नागरिकता.

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 तथा अमृत 2.0

खबरों में क्यों

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर, 2021 को स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एसबीएम-यू) और अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के नए संस्करणों का शुभारंभ किया.

स्वच्छ भारत मिशन के बारे में

1. एसबीएम-शहरी को औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था मिशन के उद्देश्य थे:
- सभी वैधानिक शहरों को खुले में शौच मुक्त करना
- नगर निगम के ठोस कचरे का शत-प्रतिशत वैज्ञानिक प्रबंधन
- जन आंदोलन के माध्यम से प्रभावी व्यवहार परिवर्तन

2. मिशन ने शहरी भारत में स्वच्छता सुवि. धाओं का 100% पहुंच प्रदान की और मिशन के तहत 70 लाख से अधिक घरों, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है

3. इस अभियान ने स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की, जिन्हें गूगल मानचित्र पर एसबीएम शौचालय जैसे डिजिटल नवाचार के माध्यम से और बेहतर बनाया गया है, इसमें 3,300+ शहरों में 65,000 से अधिक सार्वज. निक शौचालयों को लाइव बनाया गया है

4. वर्ष 2019 में, शहरो भारत को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था, जिसमें 3,000 से अधिक शहरों और 950 शहरों को क्रमशः ओडीएफ + और ओडीएफ ++ प्रमाणित किया गया था

5. जल+ प्रोटोकॉल के तहत शहर जल+ प्रमाणीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो अपशिष्ट जल के प्रबंधन और इसके इष्टतम पुन: उपयोग पर केन्द्रित है

6. अब एसबीएम-यू 2.0 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, इस प्रकार शहरी भारत को 'स्वच्छता' के अगले स्तर पर ले जाया जाएगा.

एसबीएम-यू 2.0 के प्रमुख घटक

- अगले 5 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने वाली अतिरिक्त आबादी की सेवा के लिए स्वच्छता सुविधाओं तक पूर्ण पहुंच.
- 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पूर्ण तरल अपशिष्ट प्रबंधन- रोकथाम, संग्रह, परिवहन, तरल अपशिष्ट का उपचार.
- स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्रोत पृथक्करण पर अधिक जोर. अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं और सामग्री रिकवरी केंद्र भी स्थापित की जाएंगी.
- सभी पुराने डंपसाइट्स का उपचार मिशन की एक अन्य प्रमुख विशेषता होगी.
- यह उम्मीद की जाती है कि सभी शहर कम से कम 3-स्टार कचरा मुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे और सभी वैधानिक शहर कम से कम ओडीएफ+ बन जाएंगे
- विशेष रूप से केंद्रित प्रमुख क्षेत्र - स्वच्छता और अनौपचारिक अपशिष्ट श्रमिकों की भलाई.
- 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए **SBM-U 2.0** के लिए 1,41,600 करोड़ के वित्तीय परिव्यय को अंतिम रूप दिया गया है.

अमृत 2.0 के बारे में

इसे 2015 में पहले जल-केंद्रित मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें 500 प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें शहरी आबादी का 60% से अधिक है

अमृत के तहत प्रमुख उपलब्धियां

1. अमृत शहरों में कुल 4.14 करोड़ कनेक्शन देने की योजना पर कार्य करते हुए 1.14 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं
2. लगभग 3850 एकड़ हरित स्थानों को जोड़ा गया है.
3. 106 जलाशयों का कायाकल्प किया जा चुका है.
4. 2200 जलभराव स्थलों का निस्तारण कर दिया गया है.
5. 470 शहरों में क्रेडिट रेटिंग का काम पूरा हो चुका है.
6. 10 यूएलबीएस ने म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए करीब 3840 करोड़ रुपये जुटाए हैं.
7. 455 अमृत शहरों में ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली लागू किया गया है.
8. 89 लाख पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटों से बदला गया है.

अमृत 2.0 का उद्देश्य

- अमृत 2.0 का लक्ष्य लगभग 4,700 कस्बों/शहरों को साफ पानी पहुंचाना है.
- यह पानी की जरूरतों को पूरा करने, जल निकायों को फिर से जीवंत करने, जलाशयों का बेहतर प्रबंधन करने, शोधित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करने के लिए कार्य करेगा जिससे पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.
- यह लगभग 4700 शहरी स्थानीय निकायों के सभी घरों में पानी की आपूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करेगा.
- 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज कनेक्शन का 100% कवरेज होगा.
- 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर अमृत के तहत कवर किये गए 500 शहरों से लेकर सभी 4,372 शहरों तक, 100% शहरी भारत को कवर किया जाएगा.
- कागज रहित अभियान के माध्यम से डिजि. टल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा. चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से पानी की मात्रा और गुणवत्ता, जल के समान वितरण, अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और जल निकायों के मानचित्रण को सु. निश्चित करने के लिए शहरों में पेय जल सर्वेक्षण किया जाएगा.
- यह सभी हितधारकों के लिए लक्ष्य आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम के साथ-साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी को भी बढ़ावा देगा.
- एनआरएससी के माध्यम से शहरी जल सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे जलभृत प्रबंधन प्रणाली विकसित होगी. सूचना, शिक्षा और संचार अभियान से जनता में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलेगी.

पश्चिमी घाट के संदर्भ में कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट

खबरों में क्यों

पश्चिमी घाट पर कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर एक आभासी बैठक में, कर्नाटक के सीएम ने कहा कि पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने से इस क्षेत्र के लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. कर्नाटक में पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत - 46.50% है.

पारिस्थितकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए)

- पारिस्थितकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर स्थित हैं
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा ईएसए को अधिसूचित किया जाता है
- ईएसए का उद्देश्य नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है.

कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट

कस्तूरीरंगन समिति ने विकास और पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने पर ध्यान दिया. प्रमुख सिफारिशें थीं:

- पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल का 37%, जो लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर है, को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) घोषित किया जाना है.
- खनन, उत्खनन, रेड केटेगरी के उद्योगों की स्थापना और ताप विद्युत परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध.
- इन गतिविधियों के लिए अनुमति दिए जाने से पहले वन और वन्य जीवन पर ढांचागत परियोजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया जाना चाहिए.
- यूनेस्को विरासत टैग पश्चिमी घाट में मौजूद विशाल प्राकृतिक संपदा की वैश्विक और घरेलू मान्यता बनाने का एक अवसर है.
- कुल 39 स्थल पश्चिमी घाट में स्थित हैं. यह केरल (19), कर्नाटक (10), तमिलनाडु (6) और महाराष्ट्र (4) में वितरित हैं.
- ज्यादातर मामलों में साइटों की सीमा कानूनी रूप से सीमांकित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, बाघ अभयारण्यों और वन प्रभागों की सीमाएं हैं और इसलिए, पहले से ही उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है.

रिपोर्ट पर राज्य सरकारों की राय

- राज्य सरकारों का मानना है कि रिपोर्ट के लागू होने से क्षेत्र में विकास की गतिविधियां ठप हो जाएंगी.
- सैटेलाइट इमेज के आधार पर कस्तूरीरंगन रिपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है.
- क्षेत्र के लोगों ने कृषि और बागवानी गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अपनाया है. वन संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है.
- इस प्रकार, एक और नियम लाना जो स्थानीय लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा, उचित नहीं है.

पश्चिमी घाट पर रिपोर्ट के गैर-कार्यान्वयन का प्रभाव

- जलवायु में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, जो सभी लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा, पुनर्जीवन/पुनरुद्धार के लिए संसाधनों को खर्च करने की तुलना में नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करना विवेकपूर्ण है.
- वन्यजीव संरक्षणवादी जोसेफ हूवर ने कहा कि हम चरम जलवायु घटनाओं की चपेट में हैं, जो प्रकृति और लोगों को प्रभावित कर रही हैं. अगर सरकार सही मायने में पश्चिमी घाटों द्वारा पोषित 22 करोड़ लोगों के कल्याण की परवाह करती है, तो वह कस्तूरीरंगन समिति की कम से कम 85 प्रतिशत सिफारिशों को स्वीकार करेगी. नहीं तो यह लोगों की पीड़ा का कारण होगा.

पश्चिमी घाट का महत्व

- पश्चिमी घाट छह राज्यों में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है.
- यह कई लुप्तप्राय पौधों और जानवरों का प्राकृत आवास है.
- यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है.
- यह दुनिया में जैविक विविधता के आठ "हॉटेस्ट हॉटस्पॉट" में से एक है.
- पश्चिमी घाट बारिश से भरे मानसून बादलों को रोककर भारतीय मानसून के मौसम के पैटर्न को प्रभावित करते हैं.

निष्कर्ष

- यह एक तकनीकी बनाम पारिस्थितिक विकास बहस है.
- निर्णय वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होने चाहिए न कि लोकप्रिय इच्छा पर.
- रिपोर्ट के क्रियान्वयन में देरी, जैविक हॉटस्पॉट के नष्ट होने का कारण बन सकती है.

मानित वन भूमि की वर्तमान स्थिति

- वनों के अतिक्रमण को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है. उदाहरण के लिए, कर्नाटक में, राज्य सरकार ने डीम्ड वन क्षेत्र को 3,30,186.938 हेक्टेयर से घटाकर 2 लाख हेक्टेयर करने की योजना बनाई है.
- वन क्षेत्रों में वनों का बड़े पैमाने पर दोहन हुआ है और यह राजनीतिक नेताओं, उद्योगपतियों और वन अधिकारियों के इशारे पर किया गया है.

खबरों में क्यों

4 दिसंबर 2021 को, नागालैंड में गलत पहचान के कारण सुरक्षा बलों द्वारा गोलीबारी के कारण नागरिकों की मृत्यु हो जाने से एक बार फिर सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (**AFSPA**) पर बहस शुरू हो गई है.

अधिनियम में सुरक्षा के प्रावधान

- अधिनियम सुरक्षा बलों को गोली चलाने की शक्ति देता है, लेकिन यह संदिग्ध को पूर्व चेतावनी दिए बिना नहीं किया जा सकता है.
- सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गए किसी भी संदिग्ध को 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाना चाहिए.
- सशस्त्र बलों को जिला प्रशासन के सहयोग से कार्य करना चाहिए न कि एक स्वतंत्र निकाय के रूप में.

अफस्पा कब लागू किया गया

- यह अधिनियम 11 सितंबर, 1958 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था
- अफस्पा को पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में लागू किया गया है

अफस्पा अब प्रभावी है

- वर्तमान में, अफस्पा जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर (इंफाल के सात विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर) और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रभावी है

अफस्पा क्या है

अफस्पा सशस्त्र बलों को 'अशांत क्षेत्रों' को नियंत्रित करने के लिए विशेष अधिकार देता है, इन क्षेत्रों की पहचान सरकार द्वारा की जाती है तथा यह आम सहमति बनती है कि ऐसे क्षेत्र, अशांत या खतरनाक स्थिति में है तथा कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है

- इसके प्रावधानों के तहत, सशस्त्र बलों को अधिकार दिया गया है

1. फायरिंग की छूट
2. वारंट के बिना प्रवेश और खोज की छूट
3. किसी गलत कार्रवाई के मामले में भी सशस्त्र बलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है.

अफस्पा

अधिनियम के साथ समस्याएँ

- अफस्पा की अक्सर "कठोर अधिनियम" के रूप में आलोचना की जाती है क्योंकि यह सशस्त्र बलों को असीमित शक्ति देता है और सुरक्षा कर्मियों को कानून के तहत किए गए अपने कार्यों के प्रति संरक्षण प्राप्त है
- अफस्पा के तहत, "सशस्त्र बल" केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति पर फायरिंग तथा मकान को नष्ट कर सकते हैं
- एक गैर-कमीशन अधिकारी या समकक्ष रैंक और उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति राय और संदेह के आधार पर बिना वारंट गिरफ्तारी या फायरिंग कर सकता है
- सुरक्षा बलों द्वारा हथियार के रूप में इस्तेमाल होने वाली किसी भी चीज को ले जाने वाले किसी व्यक्ति पर केवल "ऐसी उचित चेतावनी के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे" फायरिंग कर सकती है
- एक बार अफस्पा लागू हो जाने के बाद, इस अधिनियम के तहत "केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना सुरक्षा बलों पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा"

'अशांत क्षेत्र'

- अशांत क्षेत्र वह है जिसे अफस्पा की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाता है.
- विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण एक क्षेत्र को अशांत घोषित किया जा सकता है.

अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार

- केंद्र सरकार, या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल पूरे या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते है.
- अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में धारा 3 के अनुसार प्रकाशित की जाती है. इसके अनुसार इसे उन जगहों पर लागू किया जा सकता है जहां नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है.

भविष्य के विकल्प

- 2004 में गठित जीवन रेड्डी समिति ने कानून को पूरी तरह से निरस्त करने की सिफारिश की थी
- वीरपा मोइली की अध्यक्षता वाले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इन सिफारिशों का समर्थन किया
- 2016 में, एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एक्जीक्यूशन विक्टिम्स फैमिलीज एसोसिएशन (**EEVFAM**) द्वारा दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि

1. अफस्पा के तहत क्षेत्रों से रिपोर्ट की गई नागरिक शिकायतों में उचित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है.
2. यह अधिनियम उग्रवाद विरोधी अभियानों में सैन्य कर्मियों को पूरी तरह से संरक्षण प्रदान नहीं करता है
3. शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि पिछले 20 वर्षों में मणिपुर में कथित फर्जी मुठभेड़ों के 1,500 से अधिक मामलों की जांच की जानी चाहिए.

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि किसी भी क्षेत्र में विस्तारित अवधि के लिए अधिनियम की निरंतरता नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों की विफलता का प्रतीक है.

केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना

खबरों में क्यों

कैबिनेट ने 44,605 करोड़ रुपये की केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है. प्रोजेक्ट आठ साल में पूरा होगा.

केन-बेतवा लिंक परियोजना के बारे में

- केन-बेतवा इंटरलिंकिंग एक बहुउद्देशीय जल विकास परियोजना है.
- इस परियोजना के तहत केन नदी से पानी बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा. ये दोनों नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं.
- केन-बेतवा लिंक नहर 221 किमी लंबी होगी, जिसमें 2 किमी लंबी सुरंग भी शामिल है.
- यह भारत की प्रस्तावित राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना (NRLP) के सबसे छोटे घटकों में से एक है.
- एनआरएलपी ने लगभग 30 नदी लिंक के प्रस्तावित नेटवर्क के माध्यम से 37 नदियों में 178 किमी³ पानी स्थानांतरित करने की परिकल्पना की है.
- यह प्रायद्वीपीय घटक में एक स्वतंत्र कड़ी है जो ग्रेटर गंगा बेसिन में उत्तर की ओर बहने वाली दो छोटी नदियों, केन और बेतवा नदियों को जोड़ती है.
- परियोजना के दो चरण, चार घटकों के साथ इस प्रकार हैं

1. चरण-1 में एक घटक शामिल होगा - दौधन बांध परिसर और इसकी सहायक इका. इयाँ जैसे लो लेवल टनल, हाई लेवल टनल, केन-बेतवा लिंक नहर और बिजली घर.
2. चरण-2 में तीन घटक शामिल होंगे - लोअर ओरर बांध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज. जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई, लगभग 62 लाख लोगा. ें को पीने के पानी की आपूर्ति और 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है.

केन-बेतवा परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर

- 22 मार्च, 2021 को जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच केन-बेतवा लिंक परियोजना (KBLP) को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

परियोजना के लाभ

- इस परियोजना से बुंदेलखंड के पानी की कमी वाले क्षेत्र को अत्यधिक लाभ होगा.
- 10.62 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई.
- क्षेत्र के 62 लाख लोगों के पीने के पानी की जरूरतों को पूरा किया जायेगा.
- इस परियोजना के अंतर्गत 103 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन भी किया जायेगा.
- 27 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी प्रस्तावित है.

भविष्य के विकल्प

- यह नदी परियोजना और अधिक नदियों को जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पानी की कमी देश के विकास में अवरोध न बने.
- कई चिंताओं पर फिर से विचार करना और उनका समाधान करना आवश्यक है जो शायद व्यवहार्यता अध्ययनों से चूक गए हों.
- गतिविधि के हर क्षेत्र में पानी का कुशल उपयोग.

परियोजना के कारण चिंताए

- फसल पैटर्न और क्षेत्र के लिए उनकी उपयुक्तता पर अपर्याप्त ध्यान दिया गया है. केबीपी क्षेत्र में पिछले रुझानों और मौजूदा फसल पैटर्न की तुलना में प्रस्तावित फसल पैटर्न की अनुकूलता एक प्रमुख चिंता का विषय है.
- भविष्य के जल संसाधन विकास की जरूरतों के विभिन्न परिदृश्यों को पूरा करने के लिए आधी-अधूरी परियोजना योजना.
- व्यवहार्यता अध्ययन में अपर्याप्त जल संतुलन अध्ययन किया गया है.
- परियोजना नियोजन की निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की पर्याप्त भागीदारी का अभाव था.
- मौजूदा बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग नहीं हुआ है.
- वैकल्पिक विकल्प विश्लेषण का अभाव.
- लागत के अनुरूप पर्याप्त लाभ नहीं
- प्रस्तावित बांध के कारण लगभग 9,000 हेक्टेयर का कुल क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, जिसमें से 5,803 हेक्टेयर पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर है, जिसे इस क्षेत्र में बाघों का मुख्य आवास माना जाता है.

नदी जोड़ परियोजना के लिए जरूरी मंजूरी

- केंद्रीय जल आयोग द्वारा दी गई तकनी. की-आर्थिक मंजूरी.
- पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दी गई वन मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी.
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातीय आबादी का पुनर्वास और पुनर्वास योजना.
- केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा वन्यजीव मंजूरी.

इतिहास से जुड़े 50 बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक, राजा राममोहन राय के सामाजिक और धार्मिक सुधार के विचारों के सम्बन्ध में सही नहीं है?
- **(a)** उनके प्रयासों से 1828 ई. में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई
- **(b)** उन्होंने विभिन्न धर्मों को सार्वत्रिक ईश्वरवाद का मूर्त रूप माना
- **(c)** उनको वेदान्ती अद्वैतवाद 1815 ई. के बाद ईसाई एकेश्वरवाद के प्रभावस्वरूप मजबूत हुआ
- **(d)** उन्होंने अनन्य रूप में उदीयमान भारतीय मध्यम वर्ग की समस्याओं/ मुद्दों पर ही ध्यान दिया

2. निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए कि यह किसका कथन है?

मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें सबसे गरीब यह महसूस करे कि ये देश उनका है, जिसके निर्माण में उनकी बुलन्द आवाज शामिल हो, एक भारत जिसमें लोगों का कोई उच्च वर्ग या निम्न वर्ग नहीं हो, एक भारत जिसमें सभी समुदायों के लोग बेहतर सामंजस्य के साथ रहेंगे।
- **(a)** बाबा साहेब अम्बेडकर
- **(b)** महात्मा गाँधी
- **(c)** गुरूदेव टैगोर
- **(d)** पण्डित नेहरू

3. 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसको प्रदान की गई थीं?
- **(a)** संघीय विधानमण्डल को
- **(b)** प्रान्तीय विधानमण्डलों को
- **(c)** गवर्नर-जनरल को
- **(d)** प्रान्तीय गवर्नरों को

4. 1857 के बाद निम्नलिखित में से किस एक ने, इलाहाबाद में एक दरबार में, ग्रेट ब्रिटेन सम्प्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी?
- **(a)** लॉर्ड कैनिंग
- **(b)** सर जॉन लॉरेन्स
- **(c)** लॉर्ड मेयो
- **(d)** लॉर्ड नॉर्थबुक

5. रैयतवाड़ी बन्दोबस्त के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. इसने काश्तकारों को भूस्वामियों के रूप में मान्यता दी।
2. यह अस्थायी बन्दोबस्त था।
3. यह स्थायी बन्दोबस्त की अपेक्षा बाद में प्रारंभ किया गया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
- **(a)** 1 और 2
- **(b)** 2 और 3
- **(c)** केवल 1
- **(d)** उपर्युक्त सभी

6. असहयोग आन्दोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह आन्दोलन राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग राजनीति, धर्म, सामन्तवाद, कृषिक असन्तोष और श्रमिक वर्ग आन्दोलन का मिश्रण था.
2. यह आन्दोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आन्दोलन की अपेक्षा काफी व्यापक था.
3. यह आन्दोलन हिन्दू-मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ.

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- **(a)** केवल 2
- **(b)** 2 और 3
- **(c)** केवल 3
- **(d)** 1 और 3

7. कथन 1: बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन-सामान्य के बीच विसरित करने का प्रयास किया.

कथन 2: तिलक ने दक्कन में अकाल-पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया.
- **(a)** दोनों कथन सत्य हैं और कथन 2ए कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है
- **(b)** दोनों कथन सत्य हैं, किन्तु कथन 2, कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है
- **(c)** कथन 1 सत्य है, किन्तु कथन 2 असत्य है
- **(d)** कथन 1 असत्य है, किन्तु कथन 2 सत्य है

8. ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए

1. सन्थाल विद्रोह
2. नील विद्रोह
3. सन्यासी और फकीर विद्रोह
4. बिरसा मुण्डा विद्रोह

निम्नलिखित में से कौन-सा एक, उपरोक्त घटनाओं का, सबसे पहली घटना से प्रारम्भ करते हुए सही कालानुक्रम है?
- **(a)** 3, 2, 1, 4
- **(b)** 1, 4, 2, 3
- **(c)** 3, 1, 2, 4
- **(d)** 1, 2, 4, 3

9. निम्नलिखित में से कौन-सा एक, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था?
- **(a)** भारतीय कृषि का विनाश
- **(b)** भारतीय उद्योगों का विनाश
- **(c)** भारतीय व्यापार का विनाश
- **(d)** भारतीय सामन्तवाद का विनाश

10. 1857 ई. के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है?

(a) इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित, संभ्रान्त भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया

(b) विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए

(c) विद्रोह में हिन्दू-मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक लोगों द्वारा स्वीकार किया गया

(d) विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला

11. 1813 ई. से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया?

(a) भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन

(b) मुक्त व्यापार नीति

(c) भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता वाले उत्पादों को उत्पादित करने के लिए बाध्य करना

(d) जहाँ भी सम्भव हो, कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊँची दरों पर बेचना

12. निम्नलिखित में से किस एक ने रवीन्द्रनाथ टैगोर को 'सर' की उपाधि त्यागने के लिए उकसाया?

(a) रौलेट एक्ट का पारित होना

(b) 1919 के अधिनियम का पारित होना

(c) महात्मा गाँधी के सत्याग्रह आन्दोलन का समर्थन करने के लिए

(d) जालियाँवाला बाग हत्याकांड और पंजाब में मार्शल लॉ के अधिरोपण का विरोध करने के लिए

13. महात्मा गाँधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौनै-सा/से कथन सही है/हैं?

1. सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संघटक हैं.
2. सत्याग्रह के अनुयायी बुराई का प्रतिरोध करेंगें परन्तु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे.
3. सत्याग्रही, यदि आवश्यक हो, तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुँचाएगा.

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए.

(a) 1, 2 और 3

(b) 2 और 3

(c) केवल 1

(d) 1 और 2

14. निम्नलिखित अनुच्छेद पर विचार कीजिए

साइमन कमीशन के विरूद्ध प्रदर्शनों के दौरान लाहौर में हुए पुलिस लाठी. चार्ज में वे गम्भीर रूप से घायल हुए, जिसके परिणामस्वरूप नवम्बर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई. बाद में उन पर लाठीचार्ज के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारी को भगत सिंह और राजगुरू ने गोली से मार दिया.

उपरोक्त अनुच्छेद में निर्दिष्ट एक क्रान्तिकारी निम्नलिखित में से कौन हैं?

(a) पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त

(b) लाला लाजपत राय

(c) मंगल सिंह

(d) मोतीलाल नेहरू

15. जब लॉर्ड माउण्टबेटन भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल बने, उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल बने?

(a) लॉर्ड माउण्टबेटन

(b) मुहम्मद अली जिन्ना

(c) लियाकत अली खान

(d) शौकत अली

16. भारत में 'द्वैध शासन' सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरम्भ किया गया?

(a) मॉर्ले-मिण्टो सुधार

(b) मॉण्टफोर्ड सुधार

(c) साइमन आयोग

(d) भारत सरकार अधिनियम, 1935

17. निम्नलिखित में से कौन-सी भारत सरकार अधिनियम, 1919 की मुख्य विशेषता(एँ) थी/थीं?

1. प्रान्तीय कार्यकारी सरकारों में द्वैध-शासन की शुरूआत
2. मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचक-मण्डल का प्रारम्भ।
3. केन्द्र द्वारा प्रान्तों को विधायी प्राधिकार का अवक्रमण।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 2

(b) 1 और 3

(c) केवल 3

(d) 2 और 3

18. निम्नलिखित आयोगों/समितियों में से किस एक की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड की जाँच के लिए की गई थी?

(a) वेल्बी आयोग

(b) हण्टर समिति

(c) साइमन आयोग

(d) बटलर समिति

19. मुस्लिम लीग के संविधान, 'द ग्रीन बुक', का प्रारूप किसने बनाया?

(a) रहमत अली

(b) मुहम्मद इकबाल

(c) मुहम्मद अली जिन्ना

(d) मौलाना मुहम्मद अली गौहर

20. किस कारण 26 अक्टूबर, 1947 भारतीय इतिहास की एक प्रमुख तिथि है?

(a) महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन-पत्र पर हस्ताक्षर किया जाना
(b) पाकिस्तान के साथ युद्ध-विराम
(c) सिन्ध का विलय
(d) पाकिस्तान द्वारा भारत पर युद्ध की घोषणा

21. भारत और पाकिस्तान के बीच ई. 1950 में नेहरू-लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए?
(a) अल्पसंख्यकों का संरक्षण
(b) देशी रियासतों का अधिमिलन
(c) सीमा-विवाद
(d) शरणार्थियों की समस्या

22. विख्यात मुजफ्फरपुर हत्याओं (1908) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. वह बम, जो श्रीमती प्रिंगल और उनकी पुत्री की गाड़ी पर फेंका गया था, वस्तुतः मुजफ्फरपुर के जिला-जज किंग्सफोर्ड के लिए अभिप्रेत था.
2. क्रान्तिकारी किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियतावादियों को कठोर दण्ड दिए थे.
3. खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी को अपने कार्य के लिए दण्ड, मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा.
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

23. राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात् ब्रह्म समाज दो अनुभागों में विभक्त हो गया, भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। इन दोनों अनुभागों के नेता क्रमशः कौन थे?
(a) केशव चन्द्र सेन और देवेन्द्रनाथ टैगोर
(b) राधाकान्त देव और देवेन्द्रनाथ टैगोर
(c) केशव चन्द्र सेन और राधाकान्त देव
(d) देवेन्द्रनाथ टैगोर और राधाकान्त देव

24. स्वामी विवेकानन्द के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
1. उन्होंने कहा कि वेदान्त सभी के लिए धर्म है
2. वे हिन्दुत्व की सभी श्रेष्ठ परम्पराओं को पुनः जीवित करने में विश्वास रखते थे
3. वे पश्चिम में महिलाओं की स्थिति से प्रभावित हुए।
उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 2
(c) 2 और 3 (d) 1 और 3

25. वह कौन ब्रिटिश अधिकारी था जिसने भारत में टीपू सुल्तान को तथा यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया तथा अन्ततः ड्यूक ऑफ वेलिंग. टन बना?
(a) आर्थर वेलेजली
(b) रॉबर्ट क्लाइव
(c) वारेन हेस्टिंग्स
(d) रिचर्ड वेलेजली

26. गाँधीवादी आन्दोलनों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है?
(a) महात्मा गाँधी जनान्दोलन के पक्ष में थे
(b) गाँधीवादी आन्दोलन अहिंसक प्रवृति के थे
(c) गाँधीवादी आन्दोलनों में नेतृत्व की कोई भूमिका नहीं थी
(d) महात्मा गाँधी सविनय अवज्ञा के समर्थक थे

27. सुमेलित कीजिए और

	सूची I		सूची II
A.	राजकुमार शुक्ल	1.	खेड़ा सत्याग्रह
B.	अम्बालाल साराभाई	2.	अहमदाबाद मिल हड़ताल
C.	इन्दुलाल याज्ञिक	3.	बारदोली सत्याग्रह
D.	वल्लभभाई पटेल	4.	चम्पारण सत्याग्रह

कूट

	A	B	C	D
(a)	3	1	2	4
(b)	4	1	2	3
(c)	4	2	1	3
(d)	3	2	1	4

28. महात्मा गाँधी से सम्बन्धित 'अहिंसा' एवं सविनय अवज्ञा' के सिद्धान्त किनकी कृतियों से प्रभावित थे?
(a) चर्चिल-इरविन-टॉलस्टॉय
(b) रस्किन-टॉलस्टॉय-थोरू
(c) थोरू-ह्यूम-शॉ
(d) क्रिप्स-टॉलस्टॉय-हॉब्ज

29. निम्नलिखित में किसने 13 दिसम्बर, 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य-संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका (प्रीएम्बुल) का आधार बना?
(a) डॉ बी आर अम्बेडकर
(b) डॉ राजेन्द्र प्रसाद
(c) सरदार वल्लभभाई पटेल
(d) पं जवाहरलाल नेहरू

30. निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था?
(a) सरदार वल्लभभाई पटेल
(b) आचार्य जे बी कृपलानी
(c) लोकनायक जयप्रकाश नारायण
(d) के एम मुंशी

31. निम्नलिखित में से कौन 1919 ई. में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था?

(a) मोतीलाल नेहरू
(b) महात्मा गाँधी
(c) एम ए जिन्ना
(d) शौकत अली

32. निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बम्बई में गठन हुआ था?

(a) 1918
(b) 1919
(c) 1920
(d) 1921

33. निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था?

(a) सर स्टेफोर्ड क्रिप्स
(b) ए वी अलेक्जेण्डर
(c) रेडक्लिफ
(d) पैथिक लॉरेन्स

34. निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है?

1. रॉलेट एक्ट
2. गाँधी-इर्विन समझौता
3. मॉर्ले-मिण्टो सुधार
4. इल्बर्ट बिल

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए

(a) 1, 2, 4, 3 (b) 4, 3, 1, 2
(c) 4, 1, 3, 2 (d) 3, 4, 1, 2

35. निम्नलिखित कर-निर्धारण प्रणालियों में से किसके अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार कृषकों से सीधे राजस्व एकत्रित करती थी?

(a) जमींदारी
(b) रैयतवाड़ी
(c) अन्नावारी
(d) देसाईवारी

36. 1848 ई. में निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक-निर्माण विभाग प्रारम्भ किया?

(a) लॉर्ड विलियम बैंटिक
(b) लॉर्ड डलहौजी
(c) लॉर्ड वेलेजली
(d) लॉर्ड कॉर्नवालिस

37. निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीन बार अध्यक्ष चुना गया?

(a) दादा भाई नौरोजी
(b) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
(c) गोपाल कृष्ण गोखले
(d) शंकरन नायर

38. सुमेलित कीजिए:

	सूची I		सूची II
A.	जी के गोखले	1.	सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोयायटी
B.	एम एम मालवीय	2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
C.	सी राजगोपालाचारी	3.	फ्री इण्डिया सोसायटी
D.	वी डी सावरकर	4.	स्वतन्त्र पार्टी

कूट

	A	B	C	D
(a)	1	2	4	3
(b)	3	4	2	1
(c)	1	4	2	3
(d)	3	2	4	1

39. निम्नलिखित उर्दू कवियों में से किसे दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आमन्त्रित किया गया था?

(a) फैज अहमद फैज
(b) जोश मलीहाबादी
(c) मोहम्मद इकबाल
(d) फिराक गोरखपुरी

40. निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है?

1. बारदोली सत्याग्रह
2. राजकोट सत्याग्रह
3. चम्पारण सत्याग्रह
4. नागपुर सत्याग्रह

कूट:

(a) 1,2,4,3 (b) 4,3,1,2
(c) 3,1,4,2 (d) 3,4,1, 2

41. निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली रेलवे लाइन बम्बई और थाणे के बीच प्रारंभ हुई थी?

(a) 1853
(b) 1854
(c) 1856
(d) 1858

42. निम्नलिखित में से कौन उस संघ का सहभागी नहीं था, जिसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था?

(a) शुजा-उद्-दौला
(b) शाह आलम
(c) मीर जाफर
(d) मीर कासिम

43. निम्नलिखित में से कौन-मुस्लिम लीग का संस्थापक था?
- **(a)** मोहम्मद अली जिन्ना
- **(b)** शौकत अली
- **(c)** नवाब सलीमुल्लाह
- **(d)** आगा खान

44. भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कानून के तहत शुरू किए गए थे?
- **(a)** 1909 का भारत सरकार अधिनियम
- **(b)** 1892 का इण्डियन काउन्सिल्स ऐक्ट
- **(c)** 1919 का रॉलेट ऐक्ट
- **(d)** 1935 का भारत सरकार अधिनियम

45. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन, भारत का वायसराय था?
- **(a)** लॉर्ड मेयो
- **(b)** लॉर्ड रिपन
- **(c)** लॉर्ड डफरिन
- **(d)** लॉर्ड लैंसडाउन

46. निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाइए
1. बंगाल का विभाजन
2. चौरी-चौरा घटना
3. प्रथम गोलमेज सम्मेलन

कूट:
- **(a)** 1-2-3
- **(b)** 3-2-1
- **(c)** 1-3-2
- **(d)** 2-1-3

47. 'द मुसलमान' हस्तलिखित दैनिक समाचार पत्र, जो वर्ष 1927 से वितरण में है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से प्रकाशित किया जाता है?
- **(a)** चेन्नई
- **(b)** हैदराबाद
- **(c)** मैसूर
- **(d)** लखनऊ

48. भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलनों का निम्नलिखित में से कौन-सा सही कालानुक्रम है?
- **(a)** भारत छोड़ो आन्दोलन - असहयोग आन्दोलन - सविनय अवज्ञा आन्दोलन
- **(b)** असहयोग आन्दोलन- सविनय अवज्ञा आन्दोलन - भारत छोड़ो आन्दोलन
- **(c)** भारत छोड़ो आन्दोलन - सविनय अवज्ञा आन्दोलन - असहयोग आन्दोलन
- **(d)** असहयोग आन्दोलन - भारत छोड़ो आन्दोलन - सविनय अवज्ञा आन्दोलन

49. डॉ. राममनोहर लोहिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए.
1. उनका विश्वास था कि रचनात्मक कार्य के बिना सत्याग्रह क्रिया रहित वाक्य जैसा है.
2. उन्होंने महात्मा गाँधी के सामाजिक-आर्थिक सिद्धान्त पर संकेन्द्रित करते हुए अपना पी.एच.डी. शोध प्रबन्ध पत्र साल्ट सत्याग्रह के विषय पर लिखा।
3. उन्होंने पहचाना कि भारत की प्रगति में जाति, वर्ग से कहीं अधिक विशाल बाधा थी।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
- **(a)** केवल 1 **(b)** 2 और 3
- **(c)** 1 और 3 **(d)** 1, 2 और 3

50. दादाभाई नौरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस एक शहर में ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी?
- **(a)** पेरिस
- **(b)** लन्दन
- **(c)** न्यूयॉर्क
- **(d)** टोकियो

उत्तर

1.	(d)	18.	(b)	35.	(b)
2.	(b)	19.	(d)	36.	(b)
3.	(c)	20.	(a)	37.	(a)
4.	(a)	21.	(d)	38.	(a)
5.	(b)	22.	(d)	39.	(c)
6.	(b)	23.	(a)	40.	(d)
7.	(b)	24.	(a)	41.	(a)
8.	(d)	25.	(a)	42.	(c)
9.	(d)	26.	(c)	43.	(c)
10.	(a)	27.	(c)	44.	(a)
11.	(c)	28.	(b)	45.	(c)
12.	(d)	29.	(d)	46.	(a)
13.	(d)	30.	(c)	47.	(a)
14.	(b)	31.	(b)	48.	(b)
15.	(b)	32.	(c)	49.	(d)
16.	(a)	33.	(c)	50.	(b)
17.	(d)	34.	(b)		

समसामायिक आधारित बहुविकल्पी प्रश्न

Q 1. अरबिंदो घोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये

1. उन्होंने लंदन के सेंट पॉल्स स्कूल और केम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज से पढ़ाई की
2. उन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की और एक वर्ष तक ब्रिटिश सरकार में सिविल सेवक के रूप में अपनी सेवाएं दी
3. उन्होंने 13 वर्षों तक बड़ोदा देशी रियासत के बड़ोदा कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दीं

उपरोक्त में कौन से कथन सत्य हैं ?

(a) कथन 1 और 2 सत्य हैं **(b)** कथन 1 और 3 सत्य हैं
(c) कथन 2 और 3 सत्य हैं **(d)** तीनों कथन सत्य हैं

उत्तर (b)

Q2. हाल में ही किस राज्य ने अपना पहला समुद्री अभ्यारण गठित करने का निर्णय लिया है ?

(a) कर्नाटक **(b)** तमिलनाडु
(c) केरल **(d)** महाराष्ट्र

उत्तर (a)

Q3. बीएसएफ के सन्दर्भ में कौन सा कथन असत्य है ?

(a) बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर, 1967 को की गयी.
(b) के.एफ रुस्तमजी इसके पहले प्रमुख थे.
(c) 1971 के युद्ध में इसने एनी टास्क, एनी व्हेयर, एनी टाइम का नारा दिया.
(d) वर्तमान में बीएसएफ में कुल 192 बटालियन्स हैं.

उत्तर (a)

Q4. भारत में अब तक कुल कितने मरीन नेशनल पार्क्स हैं ?

(a) 5 **(b)** 6
(c) 7 **(d)** 8

उत्तर (b)

Q5. हाल में ही किन देशों मध्य इंग्लिश चौनल को लेकर विवाद हुआ ?

(a) फ्रांस और स्पेन के मध्य
(b) यूनाइटेड किंगडम और स्पेन के मध्य
(c) फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के मध्य
(d) यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड के मध्य

उत्तर (c)

Q6. भारत में स्थापित होने वाला पहले फूड म्यूजियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए

1. भारत का पहले फूड म्यूजियम के स्थापना तामिलनाडु के तंजावूर जिले में की जा रही है.
2. इस फूड म्यूजियम का निर्माण विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्युजियम्स के सहयोग से फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है.
3. तंजावूर फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया का बर्थ प्लेस रहा है जहां इसका पहला ऑफिस 14 जनवरी ,1965 को खोला गया था.

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है ?

(a) केवल कथन 1 और 2 सही हैं.
(b) केवल कथन 1 और 3 सही हैं.
(c) केवल कथन 2 और 3 सही हैं.
(d) सभी कथन सत्य हैं.

उत्तर (d)

Q7. इंग्लिश चौनल से जुड़े निम्न कथनों पर विचार कीजिए

1. इंग्लिश चौनल अटलांटिक महासागर की एक शाखा है.
2. यह ग्रेट ब्रिटेन को पश्चमी फ्रांस से अलग करती है.
3. यह उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है.

उपरोक्त कथनों में कौन सा/से कथन असत्य है ?

(a) कथन 1 और 3 असत्य है.
(b) केवल कथन 1 असत्य है.
(c) केवल कथन 2 असत्य है.
(d) केवल कथन 3 असत्य है.

उत्तर (c)

Q8. किस केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक एनीमिया (बच्चों में) कंहा है ?

(a) लक्ष्यद्वीप **(b)** दमन और दीव
(c) लद्दाख **(d)** जम्मू कश्मीर

उत्तर (c)

Q9. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) के बच्चों में एनीमिया से सम्बंधित निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिये

1. एनएफएचएस-4 की तुलना में एनएफएचएस-5 में 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एनीमिक बच्चों के अनुपात में वृद्धि हुई है.
2. एनएफएचएस-5 के अनुसार गुजरात में 6 से 59 माह के आयु वर्ग के लगभग 79.7% बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं, जो राज्यों में सर्वाधिक है.
3. एनएफएचएस-5 के अनुसार बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ में एनीमिया की वृद्धि दर सबसे तेज रही है.

उपरोक्त कथनों में कौन से कथन असत्य हैं?

(a) सभी कथन सत्य हैं.
(b) केवल कथन 1 और 3 असत्य हैं.
(c) केवल कथन 2 असत्य हैं.
(d) केवल कथन 2 और 3 असत्य हैं.

उत्तर (a)

Q10. हिन्द महासागर सम्मेलन के 5वें संस्करण का आयोजन कंहा किया गया ?

(a) कोलम्बो **(b)** अबुधाबी
(c) नई दिल्ली **(d)** माले

उत्तर (b)

Paper IV केस स्टडी

आप एक जिलाधिकारी हैं और आंध्र प्रदेश के एक दूरस्थ जिले में तैनात हैं. भारत सरकार आपके जिले में एक विशाल-परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रही है. यह विद्युत ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक आधारिक संरचना विकसित करने में सहायक होगा.

यह स्पष्ट है कि इससे औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा.

परमाणु संयंत्र की स्थापना के लिए आबादी से दूर, बंजर भूमि का प्रयोग किया गया है. यह उच्च स्तर की ऊर्जा-दक्ष तकनीक पर आधारित है. पर्यावरण पर इसका बहुत सीमित प्रभाव पड़ेगा, जबकि ताप विद्युत संयंत्र से बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। विकिरण को रोकने के लिए प्रर्याप्त सुरक्षा-उपाय किए गए हैं.

जैसे ही मीडिया ने इस परमाणु संयंत्र की जानकारी सार्वजनिक की, एक लोकप्रिय गैर सरकारी संगठन ने आपके जिले में धरना-प्रदर्शन आरम्भ कर दिया. इसने परमाणु-विकिरण के सम्बन्ध में अफवाह फैला दी, और इस संयंत्र को पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा घोषित कर दिया। इसने पूर्व में परमाणु संयंत्रों में हुए विस्फोटों के वीडियों सोशल मीडिया में प्रसारित कर दिए और सरकार से इस योजना को निरस्त करने की मांग आरंभ कर दी. बहुत से लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए, और देखते-देखते ये एक आंदोलन में तब्दील हो गया.

इसी बीच खुफिया संस्थाएं सूचित करती है, कि इस गैर सरकारी संगठन ने भारत में विकास-परियोजनाओं को बाधित करने के लिए, विदेशी सरकारें भारी मात्रा में धन हासिल किया है.

(a) इस प्रकरण में अंतनिर्हित नैतिक विषय स्पष्ट कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए.

(b) अब आप क्या कार्यवाही करेंगे.

उत्तर a : दिए गए मामले के अध्ययन में मैं आंध्र प्रदेश में जिलाधिकारी हूं. मुझे लोगों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करना है. इस मामले में वस्तुनिष्ठता, विश्वास, देशभक्ति और धारणीय विकास जैसे मूल्य निहित हैं.

नैतिक मुद्दे :

दिए गए मामले में एक लोकप्रिय गैर-सरकारी संगठन अपने निहित स्वार्थों के लिए, देश के लोकतांत्रिक ढांचे का दुरूपयोग कर रहा है. इसने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के सुरक्षा-उपायों के बारे में लोगों को भ्रमित करके, जनता और सरकार के मध्य अविश्वास की स्थिति पैदा कर दी है. इस गैर सरकारी संगठन ने जनता को विरोध-प्रदर्शन के लिए भड़का दिया है. जनता स्वयं अपने विकास को रोकने के लिए धरना दे रही है. ये गैर सरकारी संगठन मौलिक अधिकारों (अनु019(1)- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता) एवं विरोध प्रदर्शन के अधिकारों का अपने ही देश के प्रति दुरूपयोग कर रहा है. ये कुछ विकसित देशों की दुष्टता भी दिखता है जो विकासशील देशों को, प्रदूषण एवं भूमंडलीय ऊष्मन रोकने के उनके संघर्ष में न ही आवश्यक तकनीक उपलब्ध कराते है और न ही वित्तीय सहायता देते हैं, लेकिन इनके विकास को बाधित करने के लिए ऐसे अनैतिक प्रयास अवश्य करते हैं.

वास्तव में इन विकसित देशों को डर लगता है कि भारत, अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र का प्रयोग यूरेनियम के संवर्धन एवं परमाणु बम बनाने के लिए कर सकता है.

उत्तर b : मेरी कार्यवाही:

सर्वप्रथम मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वो प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, इस गैर सरकारी संगठन के बैंक खातों एवं वित्तीय लेन-देन की जांच कराये. धरना-प्रदर्शन के दौरान व्यापक सुरक्षा-व्यवस्था करूंगा.

तत्पश्चात मैं इलेकट्रानिक और प्रिंट मीडिया के सहयोग से जनता को उन नवीनतम तकनीकों की जानकारी दूंगा, जिनका प्रयोग करके इस संयंत्र के खतरे को न्यूनतम कर दिया गया है. हम उन्हें पर्यावरण-संरक्षण एवं विकास के मध्य संतुलन की आवश्यकता समझाएंगे. हम उन्हें विकसित देशों (जैसे-फ्रांस) के बारे में जानकारी देंगे जो 90 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा का उत्पादन परमाणु संयंत्र से करते है.

हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं ताप-विद्युत संयंत्र के तुलनात्मक अध्ययन पर कार्यक्रम प्रसारित कराएंगे. इससे जनता को जीवाश्म ईंधन की तुलना में परमाणु ऊर्जा के लाभों को समझने में सहायता मिलेगी.

इसके पश्चात हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अपनाए गए सुरक्षा उपायों एवं वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की राय पर एक वीडियों बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित कर देगें. इससे जनता अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो जाएगी।

हम उन्हें इससे होने वाले विकास एवं रोजगार की संभावनाओं के बारे में भी बताएंगे.

कुछ समय में प्रवर्तन निदेशालय अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर देगा। इससे जनता, गैर सरकारी संगठन के छुपे उद्देश्य को समझ जाएगी और समस्या पूर्णतय: हल हो जाएगी.

NOTES

व्यक्ति विशेष : अरविंदो घोष

अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था. अरबिंदो घोष के पिता का नाम के.डी. घोष और माता का नाम स्वमलता था. अरबिंदो घोष ने दार्जिलिंग के लोरेटो कान्वेंट स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और 7 साल की उम्र में वह शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए. जहाँ लंदन में सेंट पॉल्स स्कूल और केम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की. इस दौरान उन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की. हालांकि उन्होंने घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और इसी कारण वो सिविल सेवा में नहीं आ सके.

1893 में वो भारत लौट आये. इसके बाद अगले 13 वर्षों तक उन्होंने बड़ोदा की देशी रियासत के बड़ोदा कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दीं. 1905 में उनका ध्यान योग पद्धति की तरफ गया और उन्होने बड़ोदा में योगा का अभ्यास शुरू किया. इसी बीच वे एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी में भी शामिल हो गए और गुप्त रूप से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम करने लगे. 1902 में अहमदाबाद के कांग्रेस सत्र में अरबिंदो की मुलाकात बाल गंगाधर तिलक से हुई. उनके अद्‌भुत और क्रांतिकारी व्यक्तित्व से प्रभावित अरबिंदो ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने की ठान ली.

1906 में बंगाल विभाजन के तुरंत बाद अरबिंदो घोष ने बड़ोदा में अपने पद को छोड़ दिया और कलकत्ता चले गए और वहाँ जल्द ही राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से जाने गए. 1905 में हुए बंगाल बिभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन से इनका नाम जोड़ा गया. आगे 1908-09 में उन पर अलीपुर बमकांड मामले में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया. वह पहले ऐसे राजनीतिक नेता थे जिन्होंने अपने समाचार पत्र “वन्देमातरम” में देश की पूर्ण स्वतंत्रता का विचार दिया. उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार द्वारा दो बार राजद्रोह के लिए मुकदमा चलाया गया. मुकदमा चलने के बाद उन्हें सजा हुई और अलीपुर जेल में उन्हें रखा गया. यहीं से उनका जीवन पूरी तरह बदला और वे योग और अध्यात्म की तरफ मुड़ गए.

अध्यात्म से जुड़ाव के कारण जब वे जेल से बाहर आए, तो आंदोलन से नहीं जुड़े और 1910 में पुड्डुचेरी चले गए और उन्होंने अरबिंदो आश्रम ऑरोविले की स्थापना की और काशवाहिनी नामक रचना की. उन्होंने न्यू लैम्प्स फॉर दि ओल्ड्स जैसे लेख प्रकाशित किये थे. उन्होंने दि लाइफ डिवाइन, दि सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री नामक पुस्तकें भी लिखीं. नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, भी उनकी ही रचनाएं थीं. 1916 में उन्होंने दोबारा कांग्रेस का रुख किया और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये लाला लाजपत राय और बिपिन चन्द्र पाल के साथ जुड़ गए.

अरबिंदो घोष ने एक ऐसी शिक्षा पद्धति का विचार दिया जो मनुष्य का भौतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास कर सके. उनका कहना था कि शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का विकास करती है और उसमें ज्ञान, चरित्र और संस्कृति को जागृत करती है. अरबिंदो का शिक्षा-दर्शन लक्ष्य की दृष्टि से आदर्शवादी, उपागम की दृष्टि से यथार्थवादी, क्रिया की दृष्टि से प्रयोजनवादी तथा महत्त्वाकांक्षा की दृष्टि से मानवतावादी है.

उन्होंने अति मानव की धारणा दी. उन्होंने सर्वप्रथम घोषणा की कि मानव सांसारिक जीवन में भी दैवी शक्ति प्राप्त कर सकता है. वे मानते थे कि मानव भौतिक जीवन व्यतीत करते हुए तथा अन्य मानवों की सेवा करते हुए अपने मानस को श्अति मानसश तथा स्वयं को श्अति मानवश में परिवर्तित कर सकता है. अरविन्द का ये मानना था कि ये सारी बातें केवल शिक्षा द्वारा ही संभव हो सकती है.

राष्ट्रीय आन्दोलन में लगे हुए विद्यार्थियों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु जब कलकत्ता में एक राष्ट्रीय महाविद्यालय स्थापित किया गया. अरबिंदो को 150 रुपये प्रति माह के वेतन पर इस कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया. इस अवसर का लाभ उठाते हुए अरबिंदो ने 'राष्ट्रीय शिक्षा' की संकल्पना का विकास किया तथा अरबिंदो घोष ने तीन प्रकार के अधिकारों का समर्थन किया है –

स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र सार्वजानिक सभा करने का अधिकार और संगठन निर्माण का अधिकार. अगर राष्ट्रवाद की बात करें तो उन्होंने राष्ट्रवाद को अध्यात्म तथा मानवता से जोड़ा है. उनके अनुसार मनुष्य चाहे कितने भी तरह से भिन्न हो परन्तु राष्ट्र प्रेम उसे एकता के सूत्र में बाँध देता है. उनका कहना था कि “राष्ट्रवाद ही राष्ट्र की दैवीय एकता है”. उनके राष्ट्रवादी विचार उनके लेख “वन्देमातरम” में मिलते हैं.

वे सर्वधर्म सम्मान व एकता में विश्वास करते थे तथा विश्व संघ निर्माण का समर्थन करते थे. उनके अनुसार मानव एकता प्रकृति की देन है, तभी तो मनुष्य निरंतर सामाजिक संस्थाओं का विकास करके एकता के सूत्र में बंधा रहा है, जैसे परिवार, कबीला व राज्य.

अरबिंदो राज्य को किसी समझौते या दैवीय आधार पर निर्मित नहीं बल्कि निरंतर विकसित संस्था मानते हैं. वे राज्य को सीमित शक्तियाँ देने की बात करते हैं. उनके अनुसार राज्य को केवल बाधाओं व अन्याय को रोकने का काम करना चाहिए. उनके अनुसार राज्य मनुष्य के सम्पूर्ण विकास का साधन नहीं है.

अरबिंदो घोष समाजवाद को लोककल्याणकारी राज्य का आधार मानते हैं. परन्तु वे समाजवाद के राज्य शक्तियों के केन्द्रीकरण के सिद्धांत व सर्वाधिकारवाद के समर्थक नहीं थे.अरबिंदो घोष ने प्रतिनिधि लोकतंत्र की आलोचना की हैं उनका मानना है कि इसमें जनता के शासन के नाम पर कुछ कुलीन व धनी व्यक्तियों का ही शासन होता है तथा यहाँ जनता को राजनीतिक व आर्थिक अधिकार तो प्राप्त होते हैं परन्तु व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त नहीं होते.

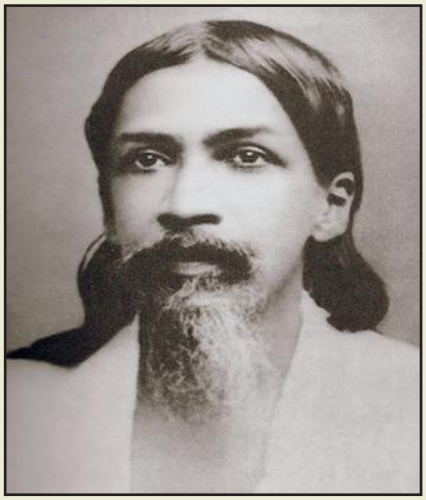

राजव्यवस्था शब्दावली

रिट

सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी. ये रिट 5 प्रकार की होती है जो निम्नलिखित होती है-

बन्दी प्रत्यक्षीकरण लैटिन भाषा का शब्द 'शरीर को प्रस्तुत किया जाए'

न्यायालय द्वारा पारित ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से निरूद्ध किए व्यक्ति के निरोध की वैधता के निर्धारण हेतु न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है.

इस रिट के माध्यम से मनुष्य की दैहिक स्वतन्त्रता के अधिकार की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित की जाती है.

निरोध अवैध होने पर व्यक्ति मुक्त कर दिया जाता है.

इस रिट का प्रयोग लोक प्राधिकारी के साथ-साथ व्यक्ति के विरूद्ध भी किया जाता है. इस रिट का प्रयोग नही किया जा सकता जहां

- निरोध विधिपूर्ण है.
- निरोध न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है.
- निरोध किसी सक्षम न्यायालय के अवमानना हेतु या विधायिका के अवमानना हेतु न्यायालय के आदेशानुसार है.

परमादेश 'हम आज्ञा देते है'

न्यायालय द्वारा पारित ऐसी रिट जिसके द्वारा किसी लोकप्राधिकारी, निगम, निचली अदालत अधिकरण या सरकार को किसी लोककृत्य को करने या पूर्ण करने या लोक उत्तर दायित्व को निभाने का आदेश दिया जाता है.

परमादेश जारी नही किया जा सकता :-

- निजी व्यक्ति या ईकाई के विरूद्ध
- गैर संवैधानिक विभाग के विरूद्ध
- ऐसे कर्तव्य जिनका पूर्ण किया जाना ऐच्छिक है
- भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरूद्ध
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरूद्ध

प्रतिषेध 'रोकने हेतु' (क्षेत्राधिकार के विस्तार को रोकना)

यह रिट उच्च न्यायिक निकाय द्वारा निचले न्यायिक निकाय के अधिकारियों (अधिकरण सहित) को शक्ति प्रयोग से प्रतिबंधित करने हेतु जारी की जाती है. इसका प्रमुख कारण निचले न्यायिक निकाय या अधिकरण द्वारा अपने क्षेत्राधिकार की सीमा से परे जाकर उन शक्तियों का प्रयोग करना होता है जिन शक्तियों के प्रयोग का अधिकार प्राप्त नही है.

प्रतिषेध रिट अति सक्रियता को रोकती है.

यह केवल न्यायिक निकाय (अधिकरण सहित) के विरूद्ध जारी हो सकती है.

उत्प्रेषण (प्रमाणित होना या सूचना देना)

इस रिट के द्वारा उच्च न्यायिक निकाय निम्न न्यायिक निकाय द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर सकती है या किसी भी प्रक्रियागत मामले को स्वयं के पास स्थानान्तरण हेतु आदेश जारी कर सकती है.

इस रिट द्वारा उच्च न्यायिक निकाय को निरीक्षणात्मक क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है. यह किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि या दुरूपयोग को सही करने हेतु प्रयोग किया जाता है. यह रिट प्रतिरोधात्मक के साथ साथ उपचारात्मक भी है.

उत्प्रेषण रिट केवल न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक निकायों के विरूद्ध जारी हो सकता है प्रशासनिक ईकाईयों के खिलाफ नही जारी हो सकता है.

अधिकार पृच्छा (किस अधिकार से)

किस अधिकार या किस वारंट से जारी करने की शर्त पद 'लोक पद' होना चाहिए जिसका सृजन विधि या संविधान द्वारा होना आवश्यक है.

पद का नियोजन किसी व्यक्ति के प्रसाद पर्यन्त नही अपितु विधि या संविधान द्वारा होना चाहिए.

व्यक्ति का नियोजन विधि या संविधान के विरूद्ध होना चाहिए.

यह केवल सरकारी प्राधिकारियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है. इसे न्यायालय किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय या लोक पद के दावे, अधिकार, शक्तियों के प्रयोग को जांचने हेतु जारी करती है.

यह उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जो सार्वजनिक पद को धारण करता है. तथा यह सिद्ध करने के लिए जारी किया जाता है कि वह किस अधि कार से उसका हकदार है.

इस रिट को दाखिल करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पीडित होने की आवश्यकता नही है.

NOTES

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

- भारत ने ओडिशा तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो सिस्टम (स्मार्ट) का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया.

- 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाएंगे भारत और बांग्लादेश.

- बहरीन में आयोजित एशिया यूथ पैरा खेलों में भारत ने 12 स्वर्ण, 15 रजत और 14 कांस्य पदक साहित कुल 41 पदक जीते हैं. भारत ने सर्वाधिक पदक एथलीट वर्ग में जीते हैं.

- चॉकलेट-बॉर्डर फ्लिटर नाम की तितली की एक नई प्रजाति सिक्किम में पाई गई.

- डेविस कप का फाइनल रूसी टेनिस महासंघ ने जीता. इस वर्ष डेविस कप (टेनिस) खेल का आयोजन मैड्रिड (स्पेन) में किया गया था.

- जर्मनी को हराकर अर्जेंटीना ने जूनियर हॉकी विश्व कप जीता. इस वर्ष का जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन ओड़िसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था.

- प्रसिद्ध भारतीय मूल के अमिरीकी गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को प्रतिष्ठित 'सिप्रियन फोयस पुरस्कार' के लिए चुना गया.

- प्रथम (एनजीओ) के सीईओ रुक्मिणी बनर्जी को वर्ष 2021 का यिदान पुरस्कार दिया जायेगा.

- हिंदुस्तान यूनिलीवर के अध्यक्ष और एमडी संजीव मेहता को फिक्की का अध्यक्ष नामित किया गया है.

- जीआरएसई ने पहला स्वदेशी सर्वेक्षण पोत (बड़ा) 'संध्याक' लॉन्च किया.

- साढ़े चार दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला संयुक्त अरब अमीरात पहला देश बना.

- भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन का निधन हो गया है.

- पूर्व सीईसी सुनील अरोड़ा को अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संगठन के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया.

- ऑस्ट्रेलिया, बीजिंग में होने वाले 2022 शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में अमेरिका के साथ शामिल हुआ.

- नीलमणि फूकन जूनियर को 56वां और दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जायेगा.

- उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्म निर्भर कृषक विकास योजना की मंजूरी दी.

- केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को कैबिनेट ने मंजूरी.

- मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई.

- ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के नए चांसलर नियुक्त.

- प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञ के लिए 2021 का 'रामानुजन पुरस्कार' मिला.

राज्यों के प्रमुख नृत्य

आंध्रप्रदेश
कुचीपुड़ी
घंटामरदाला
ओट्टम थेडल
वेदी नाटकम

असम
बीहू, बीछुआ, नटपूजा, महारास, कालिगोपाल, बागुरुम्बा, नागानृत्य, खेल गोपाल, ताबाल चोनग्ली, कानोई, झूमूरा होबजानाई

बिहार
जाट–जाटिन, बक्खो– बखैन, पनवारिया, सामा चकवा, डोमचक, बिदेसिया

गुजरात
गरबा, डांडिया रास, टिप्पनी जुरुन, भावई

हरियाणा
झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर

हिमाचल प्रदेश
झोरा, झाली, छारही, धामन, छापेली, महासू, नटी, डांगी

जम्मू और कश्मीर
रऊफ, हीकत, मंदजात, कूदडांडी नाच, दमाली

कर्नाटक
यक्षगान, हुट्टारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लाम्बी

केरल
कथकली (शास्त्रीय), ओट्टम थुलाल, मोहिनीअट्टम, काईकोट्टिकली

महाराष्ट्र
लावणी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा,दहीकला दसावतार या बोहादा

ओडीसा
ओडिसी (शास्त्रीय), पाइका, घूमरा, पैंरास मुनारी, छाउ

उत्तराखंड
गढ़वाली, कुंमायुनी, कजरी, रासलीला, छाप्पेली

गोवा
तरंगमेल, कोली,देक्खनी, फुग्दी, शिग्मो, घोडे. .मोडनी, समायी नृत्य, जगर, रणमाले, गोंफ, टून्नया मेल

मध्यप्रदेश
जवारा, मटकी, अडा, खाड़ा नाच, फूलपति, ग्रिदा नृत्य, सालेलार्की, सेलाभडोनी, मंच

छत्तीसगढ़
गौर मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवाणी, वेडामती, कपालिक, भारथरी चरित्र, चंदनानी

झारखंड
अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, हूंटानृत्य, मुंदारीनृत्य सरहुल, बाराओ, झीटका, डांगा, डोमचक, घोरा नाच

पश्चिम बंगाल
काठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, मरासिया, महाल, कीरतन

पंजाब
भांगड़ा, गिद्दा, दफ्फ, धामन, भांड, नकूला

राजस्थान
घूमर, चाकरी, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुईसिनी, घपाल, कालबेलिया

तमिलनाडु
भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम, कवाडी

उत्तर प्रदेश
नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चाप्पेली, जैता

अरुणाचल प्रदेश
बुईया, छालो, वांचो, पासी कोंगकी, पोनुंग, पोपीर, बारडो छाम

मणिपुर
डोल चोलम, थांग टा, लाई हाराओबा, पुंग चोलोम, खांबा थाईबी, नूपानृत्य, रासलीला, खूबक इशेली, लोहू शाह

मेघालय
शाद सुक मिनसेइम, नॉन्गरेम, लाहो

मिजोरम
छेरव नृत्य, खुल्लम, चौलम, स्वलाकिन

Achievers of Dhyeya IAS who made us proud.

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

पिछले 18 वर्षों में हमारे संस्थान से IAS में 1650+ एवं PCS में 2500+ चयन हुए हैं

KANISHAK KATARIA RANK 1 | JUNAID AHMED RANK 3 | SAUMYA PANDEY RANK 4 | LOK BANDHU RANK 7 | SURYAPAL GANGWAR RANK 8 | JAIPRAKSH MAURYA RANK 9 | MAHESH KUMAR RANK 14

SHIVANI GOYAL RANK 15 | SHWETA SINGHAL RANK 17 | SRIMAN SHUKLA RANK 18 | PRIYANKA NIRANJAN RANK 20 | ADESH TITARMARE RANK 21 | NEHA PRAKASH RANK 22 | ANURAJ JAIN RANK 24

AJIT RANK 26 | DIBYA JYOTI PARIDA RANK 26 | KARMVEER SHARMA RANK 28 | ANJNAY KUMAR SINGH RANK 29 | PARI BISHNOI RANK 30 | GANGA SINGH RANK 33 | ARUN RAJ RANK 34

GAURAV KUMAR RANK 34 | KANCHAN RANK 35 | BRAHMADEV TIWARI RANK 37 | SHAILENDRA SINGH RANK 38 | POOJA GUPTA RANK 42 | DIVYANSHU NIGAM RANK 44 | ASHWIN MUDGAL RANK 45

SAURABH GAHARWAR RANK 46 | DEEPAK KUMAR DUBEY RANK 46 | ABHISHEK SINGH RANK 48 | RENJINA MARY V. RANK 49 | RANGASHREE RANK 50 | ILA TRIPATHI RANK 51 | ASHISH MISHRA RANK 52

5 times Rank 1 in last 8 years of UPPCS

1st RANK Vaibhav Mishra | 1st RANK Arvind K. Singh | 1st RANK Himanshu Gupta | 1st RANK Abhinav R. Shriwastava | 1st RANK Anuj Nehra

MPPCS TOPPER

1st RANK Sampada Saraf

BPSC TOPPER

1st RANK Sanjeev Kumar Sajjan

AN INTRODUCTION

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DhyeyaIAS, one and half decade old institution, was founded by Mr.Vinay Singh and Mr. Q. H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential aspirants realize their dreams which is evident from the success stories of the previous years.

As the nation progresses, the young generations become more conscious and aware about their career options. There is plethora of jobs and one among them is civil services, the most prestigious service in the country, which needs no introduction. It attracts many young minds hailing from almost all spectra of academic disciplines. The popular belief that the examination for this service is only meant for the brilliant lots has become a taboo as it also attracts the hardworking, sincere and disciplined minds. The saying- "In the end passion and hard work can substitute natural talent" holds true. It gives immense power and opportunity for young folks to bring about the positive changes in the society which would bring harmony and development. It inculcates values, moral, ethos and feeling of national integrity.

Quite a large number of students desirous of building a career for themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vastly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move may invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. Classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals' capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything, you can only help him find it within himself.

We feel that despite brilliance and diligence, most of the students are lacking proper guidance and aptitude needed to clear Civil Services Examination. This is why, we at Dhyeya IAS amalgamated the traditional as well as modern approach of teaching by incorporating best educators of the industry ably supported by Academic Associates, Class Notes and printed Study Material, routine as well as surprise Tests. Due to its arduous efforts, Dhyeya IAS is able to carve a niche among all the civil services coaching institutes in India. Access to an institution is as important as the quality of Institution. Our faith in this philosophy made us grow. With 12 Face to Face Centers located in different parts in India, Distance Learning Program , Live Streaming Centers and Residential Academy, we have made truly pan India presence. Ever since the foundation the institute has produced a heavy pool of bureaucrats both at central and state level. Dhyeya IAS not only aims at imparting the content of civil services in best way but also nurturing the aspirants as leaders of tomorrow who have a responsibility of fulfilling the dreams of around 1.4 billion Indians. Dhyeya IAS has guided over 50,000 aspirants with more than 4000 selections in civil services. Our journey is a small contribution for the development of the society and nation by nurturing the potential civil services aspirants.

Considering the toughness of Civil Services Exam, where success rate is a meager 0.1 percent, Dhyeya IAS has continuously produced phenomenal results over the years. Year after Year Dhyeya IAS is being recognized for imparting guidance to civil services aspirants using benchmarked quality practices. On the basis of scalability, innovation, achievements, impact potential our efforts and contribution have been acknowledged and rewarded with Education Excellence Awards by ET NOW, Brands Academy, Times of India, etc. This has enhanced motivation, pride and self-esteem of entire Dhyeya family.

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 | **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 | **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 | **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 | **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 | **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow , UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 | **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha - 751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

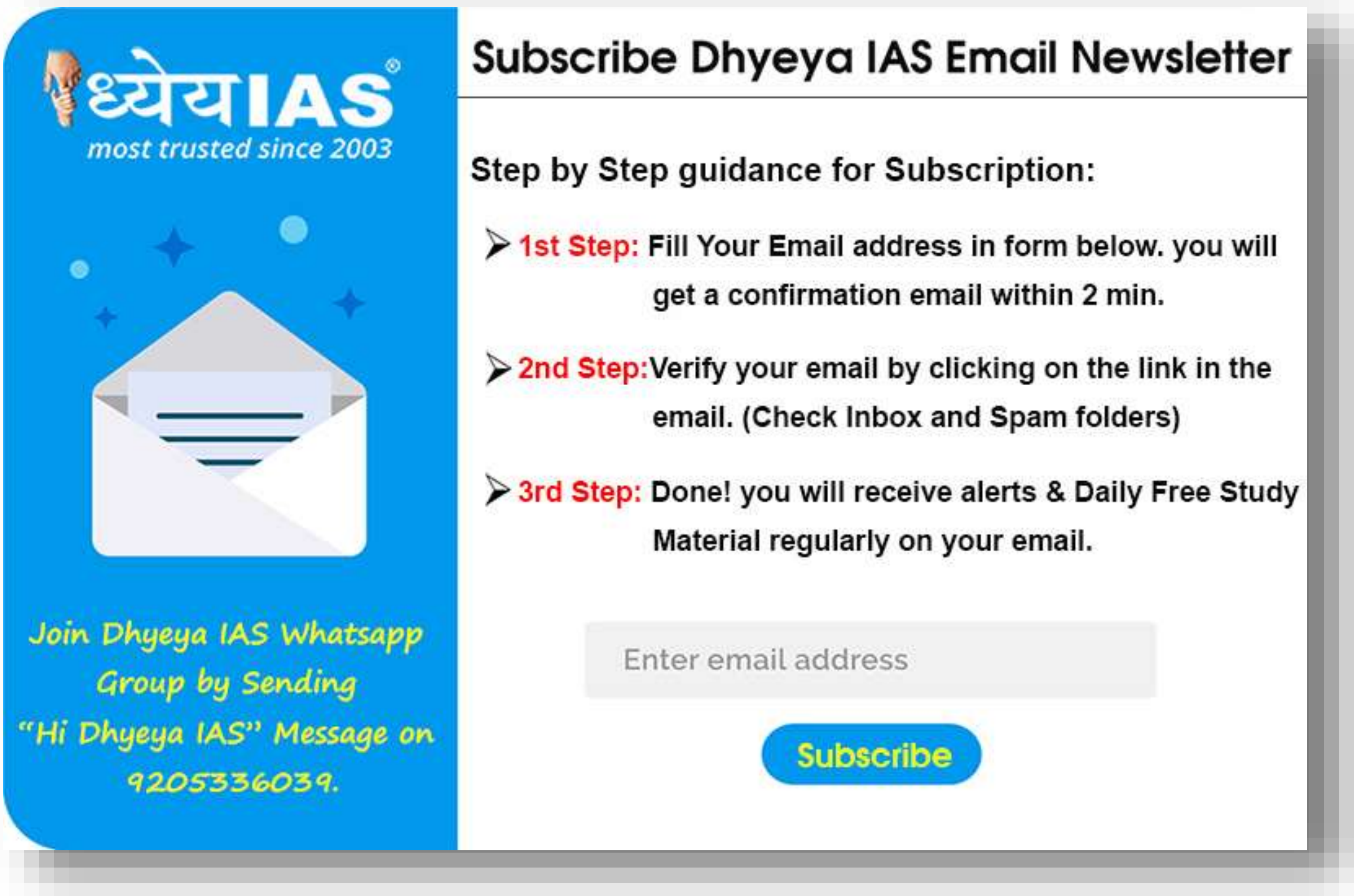

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744